ON KOMAGATA MARU

साका कोमागाटा मारु

मलविन्दर जीत सिंह वढ़ैच

अनुवादः

डॉ. प्रिया सूफी

साका कोमागाटा मारु

मलविन्दर जीत सिंह वढ़ैच
गाँव व डाकघर सकेतड़ी, जिला पंचकुला – 134109
(नजदीक सुखना झील, चण्डीगढ़)
फोनः 0172-2556314
ईमेलः mjswaraich29@gmail.com

अनुवादः

डॉ. प्रिया सूफी

साका कोमागाटा मारु

मलविन्दर जीत सिंह वढ़ैच
गाँव व डाकघर सकेतड़ी, जिला पंचकुला – 134109
(नजदीक सुखना झील, चण्डीगढ़)
फोनः 0172-2556314
ईमेलः mjswaraich29@gmail.com

अनुवादः
डॉ. प्रिया सूफी

Typesetting & Layout:
Ramesh Kumar, 1285-B, Phase 10, Mohali
Ph: (0172) 2233331, 09464952065

प्रो. मलविन्दर जीत सिंह वढ़ैच

पैतृक गांव लद्धेवाला वढ़ैच, जिला गुजरांवाला
वर्तमानः गांव व डाकघर सकेतड़ी, जिला पंचकुला 134109
(समीप सुखना झील, चंडीगढ़)
फोनः 0172-2556314; ईमेलः mjswaraich29@gmail.com

मलविन्दर जीत सिंह वढ़ैच ने अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा समाज शास्त्र में एम.ए. की डिग्रियां प्राप्त की हुई हैं।

30 साल गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज, लुधियाना में पढ़ाने के उपरांत नवंबर 1989 में सेवानिवृत्त हुए। फिर इन्होंने एल.एल.बी. करके 1992 में पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत शुरू की और जहाँ जनहित याचिकाऐं (PILs) दायर करके 'कूका विद्रोह', 'गदर लहर', 'कोमागाटा मारु' तथा 'जलियांवाला बाग' के शहीदों के कानूनी तौर पर शहीदों का दर्जा दिलवाया।

ये पहली बार 6 जून 1966 को बाबा सोहन सिंह भकना के संपर्क में आए थे। उसके पश्चात् तो ये गदरी बाबाओं के 'मुंशी' ही बन गए।

इन्होंने पहली पुस्तक "जीवन संग्रामः आत्मकथा बाबा सोहन सिंह भकना" उर्दू से पंजाबी में अनुवाद करके 1967 में छपवाई थी। उसके पश्चात् क्रांतिकारियों से संबंधित 50 से अधिक पुस्तकें, अंग्रेजी, पंजाबी तथा हिन्दी में प्रकाशित करवा चुके हैं और यह सिलसिला आज भी जारी है।

इसके अतिरिक्त प्रोफेसर साहिब ने क्रांतिकारियों के संग्रामों की एक फोटो दस्तावेजी गैलरी "नैशनल गैलरी ऑफ पोर्टरेट्सः 1857-1947" भी संकलित की है, जो सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी, सेक्टर 17, चंडीगढ़ में सुशोभित है।

डॉ. प्रिया सूफी

अहिन्दी भाषी क्षेष पंजाब की मिट्टी से उठती एक सूफियाना आवाज़ है डॉ. प्रिया सूफी। पंजाब के छोटे से शहर होशियारपुर के लगभग पहाड़ी अंचल में पली बढ़ी प्रिया सूफी ने पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ से एम. ए. हिन्दी करने के बाद 2002 में हिन्दी लिंग्विस्टिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। कविता का रचना धर्म तो कॉलेज के दिनों से ही जारी था, कॉलेज के मैग्ज़ीन से शुरू हुआ यह सफर अखबार, लोकल पत्रिकाओं से होता हुआ ब्लॉग की दुनिया में प्रविष्ट हुआ और आज तक अनवरत जारी है।

डॉ. प्रिया सूफी पिछले 15 वर्षो से हिन्दी प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं और बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी हैं। कनाडा वर्ल्ड एजुकेशन फाउंडेशन की वॉलेंटियर और रेड क्रॉस की आजीवन सदस्य डॉ. प्रिया सूफी ने न केवल हिन्दी बल्कि अपनी मातृ भाषा पंजाबी में भी कवितायें लिखी हैं तथा apnaorg.com जैसी अंतर्राष्ट्रीय नेट मैगज़ीन्स में कॉलम भी लिखती हैं।

"आराधन" नाम से एक काव्य संग्रह 2005 में आ चुका है और दूसरा "काव्यांजलि" और उनका शोध प्रबंध "कवि नंददास की कोशकला" प्रेस में है। डॉ. प्रिया सूफी काव्य ही नहीं अपितु कहानियां एवं लघु कथाएं भी लिख रही हैं। दिल्ली प्रेस में उनकी रचनाएं लगातार छप रही हैं।

2017 के अंतरराष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन में डॉ. सूफी ने न केवल पेपर प्रेजेंटेशन दी बल्कि पंजाब का प्रतिनिधित्व भी किया।

क्या? कब?

1. प्रवास की शुरूआत 1896-97
2. प्रवास के दाखिले पर पाबंदी 1907-08
3. जवाबी कार्रवाई 1913-14
4. कोमागाटा मारु (जहाज) का कनाडा को रवाना होना .... 2 मई 1914
5. जहाज का कनाडा पहुँचना व कनाडा सरकार द्वारा जहाज की घेराबंदी .... 22 मई 1914
6. जहाज पर पुलिस का धवा .... 19 जुलाई 1914
7. जंगी जहाज 'रेनबो' द्वारा डरावा .... 21 जुलाई 1914
8. वापसी के लिए समझौता – सफर के राशन-पानी की लदाई .... 22 जुलाई 1914
9. वापस चलना .... 23 जुलाई 1914
10. गदर पार्टी द्वारा 'एलाने जंग' की घोषणा .... 4 अगस्त 1914
11. जंग के संबंध में गदर पार्टी के प्रधान, बाबा सोहन सिंह भकना द्वारा कोमागाटा मारु के मुसाफिरों के साथ योकोहामा में सम्पर्क करना .... 16 अगस्त 1914
12. जहाज का कोबे वापस पहुंचना .... 21 अगस्त 1814
13. जहाज का सिंगापुर प्रस्थान .... 16-19 सितम्बर 1914
14. कलकत्ते के हुगली नदी में जहाज की घेराबंदी .... 26 सितम्बर 1914
15. जहाज व यात्रियों की तलाशी .... 27-28 सितम्बर 1914
16. बज बज में खून-खराबा – 20 यात्रियों की मौत .... 29 सितम्बर 1914
17. (211) यात्रियों की गिरफ्तारी पूरी होना .... 10 अक्टूबर 1914
18. लेखक द्वारा कोमागाटा मारु के जहाजियों को आजादी संग्रामियों के तौर पर मान्यता दिलाने के लिए माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका (P.I.L.) दायर करना .... 23 जुलाई 2003
19. भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा मान्यता देने से इंकार ..... 14 पफरवरी 2004
20. लेखक द्वारा मोड़वा जवाब .... 23 मार्च 2004
21. याचिका कामयाब .... 15 दिसम्बर 2011

(Writ No. C.W.P. 8377 of 2003; Filed on 23 July 2003 at Hon'ble Punjab and Haryana High Court, Chandigarh; Decided on 15.12.2011)

विषय वस्तु

1 चलो चलिए कैनेडा. 9

2 एशियाई बुरे, हिन्दी घटिया 15

3 व्यक्तिगत मसला बना राष्ट्रीय 29

4 वैनकूवर – संघर्ष 41

5 उल्टे पैर वापसी – सरकार की सांस में सांस आना 64

6 यात्रियों के ब्यौरे 85

परिशिष्टः बाबा गुरदित सिंह 111

1

चलो चलें कैनेडा

18वीं शताब्दी के शुरूआत की बात है। अपनी बढती हुई आबादी की बढती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने अमरीकी महादीप की लगभग गैर आबाद धरती पर पांव पसारने शुरू किए वहां के मूल निवासी अभी जंगली अवस्था में ही कहीं कहीं विचरण कर रहे थे, जिन पर बड़ी आसानी से यह बेहद चालाक व चुस्त गोरे हावी हो गए। उधर लण्डन सरकार भी इतनी कठोर थी कि इन प्रवासी गोरों के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार करने लगी और खास तौर पर आपसी व्यापार के मामले में बे रोक टोक एक तरफा नीति पर चलने लगी। अब चूंकि प्रवासी गोरे भी एक आजाद देश के वासी थे, वे इस ज्यादती को भला कैसे बरदाश्त करते? नतीजे के तौर पर अमरीका की 13 अंग्रेजी बस्तियों ने 1773 में बगावत करके आजादी हासिल कर ली थी।

पर कैनेडा वासी गोरे इस मामले में बहुत देर तक ही रहे, शायद इस कारण भी कि उनकी आबादी अभी तक भी अलग-अलग तथा दूर दराज इलाके में बिखरी थी। साथ ही अंग्रेजी सरकार को चूंकि पहले अमरीकी गोरों का तजुर्बा हो चुका था इसलिए उन्होंने भी सारा गंवाने से बेहतर आधा दिए बांट की नीति अपनाते हुए कैनेडा को अर्ध-खुद मुख्तारी (Dominion Status) का दर्जा दे दिया, जिसके तहत वहां का गवर्नर जनरल मुकर्रर तो करती थी बड़ी सरकार, परन्तु उसका सरकारी काम काज से कोई दखल नहीं था और यही स्थिति आज भी बरकरार है।

आर्थिक पक्ष से अभी भी कैनेडा बहुत पिछडा हुआ था और यह विकास के शुरूआती पडाव पर ही था, जहां अभी केवल गैर- आबाद इलाकों को ही रहने योग्य बनाया जा रहा था। इस कार्य के लिए मजदूरों को हाड तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, जो गोरे मजदूरों के वश की बात नहीं थी, और साथ ही वे बहुत मंहगे पड़ते थे। तो वहां जरूरत थी कम लागत के सस्ते एवं कर्मठ हाथों की, जो केवल एशियाई बस्ती से ही मिल सकते थे।

इस सिलसिले में सब से पहले तो एशिया से चीनी मजदूर 19वीं सदी के उतारार्ध में वहाँ प्रवास करने लगे, कुछ ही समय बाद फिर जापानी भी वहाँ जाना आरम्भ हो गए, हालांकि तुलनात्मक दृष्टि से उनकी गिनती चीनियों के मुकाबले बहुत कम थी।

भारतीय इस मामले में बहुत पीछे थे, भाव 19 वीं सदी के अन्तिम वर्षों में ही शामिल

हुए, वह भी एक प्रकार से इतेफाकवश, यह सबब कुछ इस तरह बना कि 1896-97 का वर्ष बरतानिया की मल्लिका विक्टोरिया की गोलडन जुबली वर्ष के रूप में मनाया गया और वह भी इतनें बड़े स्तर पर कि शायद ही पहले कभी ब्रिटेन में मनाया गया हो।

गोरे हाकिम ने इस मौके को अपनी विश्वव्यापी बादशाहत का दिखावा करने हेतु तथा यह दर्शाने हेतु प्रयोग किया कि देखो, हमारी सब से बड़ी और सिरमौर कलोनी यानि हिन्दोस्तान की प्रजा हमारी किस हद तक वफादार है और खास कर सिख समुदाय, जिसने चालीस-पचास वर्ष पूर्व हमारे विरूद्ध खौफनाक जंग (1848-49) लड़ी थी, आज वही हमारी ढाल बन चुका है; इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु दर्शकों को चकाचौंध करने के लिए रसाले के घुड़सवारों को रातों-रात खास तौर पर सात समुन्दर पार ला कर परेड में शामिल किया गया था, लगभग उसी प्रकार जैसे आजकल भारत में 26 जनवरी की परेड में बड़े-बड़े टैंक व अन्य युद्ध सामग्री प्रदर्शित की जाती है।

सिख फौजियों के वापसी के सफर में इन्हें सीधी रास्ते भेजने की बजाय, अर्थात सुऐज नहर की तरफ से भेजने की वजाय इनके जहाजों को कैनेडा के पूर्वी साहिल पर स्थित क्यूबेक शहर की मांट्रियाल बंदरगाह पर उतार कर रेलगाडियों से कैनेडा के पश्चिमी कोने के ब्रिटिश कोलंबिया शहर की वैंकुवर बंदरगाह पर पहुंचा दिया। यह सफर इतना ज्यादा लम्बा था कि

1907 में रानी विक्टोरिया के डायमंड जुबली समारोह में भाग लेने के बाद सिख फौजी वैनकूवर के बाजारों में।

इसे तय करनें में कई दिन लग गए होंगे; इन फौजी यात्रियों में बहुधा किसान- जिमींदार परिवारों में से थे ; सो जब उन्होनें सैकडों मील तक फैली गैर आबाद परन्तु हरी-भरी धरा को निहारा तो संभवतः उनके भीतर उपजाऊ व तैयार धरती के प्रति जिमींदारी वाला मोह उमड पडा होगा। उनमें से बहुतों ने तो तभी नौकरी छोड कर वहीं बसने का मन बना लिया बल्कि कुछ तो शायद रास्ते में ही चुपचाप हांगकांग बंदरगाह पर जहाज से उतर गए और भारत लौटे ही नही; और वहीं से प्रवास कर गए। बस फिर क्या था, इन्हीं की देखा-देखी बीसवीं सदी के आरम्भिक सालों में साबका सिख फौजी पंजाब के अतिरिक्त हांगकांग, शंधाई, सिंगापुर से जो पहले ही वहां जा बसे थे, और जिनमें से बहुधा चौकीदार थे, सब कैनेडा पहुंचने लगे, क्योंकि उन्हें वहां पर कहीं ज्यादा धन कमाने की उम्मीद थी।

तंगियां-तकलीफें

पहले पहल तो प्रवासी भारतियों को वहां के माहौल से सांमजस्य और सही रोजगार खोजना ही मुख्य चुनौती था, जिनसे उन्हें एक साथ जूझना था, उधर कैनेडा के कारोबारी जगत में भी कोई विशेष निश्चय नहीं था कि इन लोगो से क्या काम लिया जाए; एक और बडी अडचन भाषा की थी; सो उन्होनें इन को उसी काम में लगाना आरम्भ कर दिया, जिसमें ज्यादा समझाइश थी खास जरूरत न हो। जैसे कि इनको आरा मिलों में शहतीरों को लादने उतारने व चिराई जैसे काम दिए जाने लगे। इसी प्रकार नई रेलवे लाइनों को बिछाने के लिए जगह साफ करना, भारी समान इधर-उधर ले जाना, जैसे कार्य मिलने लगे। कुछ लोगों को जंगल साफ करवा कर बागवानी के कार्य में लगाया गया। कई मालिक तो ऐसे काम ,जो मशीनों से करवाने से ज्यादा इन लोगों से करवाने पर सस्ते पड़ते थे, भी इनसे करवाने को तरजीह देने लगे।

पर जिन्दगी का अजीब व्यंग्य था कि जिस सूनी उपजाऊ भूमि की तलाश में यह लोग देस से परदेस तक चले आए थे, उसकी झलक तक देखना इन्हें नसीब नहीं हुआ था। हालांकि जिन्दगी में पहली बार शायद पैसे की तरफ से कुछ राहत की सांस आई थी।

जब इन लोगों कि चिट्ठी-पत्री से तथा घर लौटते जान पहचान वालों से उधर की कमाई की चरचा इधर होने लगी तो कई लोग कर्जा लेकर, जमीन बेच कर, जायदाद गिरवी रख कर भावार्थ जैसे-तैसे सफर के लिए किराए के पैसे जुटा कर, उधर जाने लगे।

1907 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार वहां के कई मिल-मालिकों ने सस्ते मजदूर जुटाने के लिए पंजाब की अखबारों में इश्तिहार भी दिए, जिस से पंजाब वासियों को प्रवास के लिए प्रेरित व उत्साहित किया गया। परिणाम स्वरूप 1908 में कैनेडा पहुंचे 'हिन्दियों' की गिनती साल भर में 500 से बढ़कर 6000 तक पहुंच गई। यह सब अपने वतन की जायदादों का मोह त्याग कर इस धारणा के वशीभूत उधर जा रहे थे कि वहां

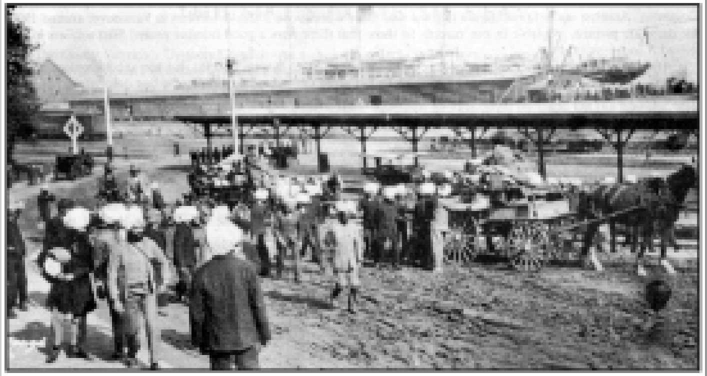

1904 में वैनकूवर में जहाज से उतरते पंजाबी

से डॉलर कमा कर वे कुछ ही समय बाद न केवल अपनी पिछली गिरवी रखी जायदादों को छुडवा लेगें बल्कि उनको बढाने लायक भी हो जाएंगे।

इन हिन्दियों में 80 फीसदी सिख थे जिनमें से बहुतायत अमृतसर, लाहौर, जालन्धर, लुध्याना और फिरोजपुर अर्थात केन्द्रीय पंजाब के निवासियों की थी।

उधर कैनेडा में लगभग यह सब पहले पश्चिमी साहिल पर ब्रिटिश कोलंबिया प्रदेश में ही गए, जो सब से पहले उनके लिए चुम्बक बना और खास बात वहां की आबो-हवा मौसम लगभग पंजाब जैसा ही था, न हद से ज्यादा सर्दी और न ही गर्मी।

अब सब से बडी समस्या सिर छुपाने के लिए आशियाने की थी, जिसके लिए मिल-मालिकों ने इन को मिलों के अहातों में ही लकडी आदि की झुग्गी-झोंपडी बनाने के लिए स्थान दे दिया था, या फिर पशुओं के लिए बनाए वाडे आदि भी इनके निवास के लिए छोड दिए थे, जिसमें इन को भेड- बकरियों के रेवड की तरह भर दिया जाता था। आस-पास खुले मैदान होने के कारण ठंड का कहर बरसता था,गर्मियों में लू झेलनी पडती थी; पानी केवल पीने हेतु ही दिया जाता था और नहाने-धोने के लिए नदी-नालियों या तालाबों का सहारा लेना पडता था। हद तो यह कि पाखाने के लिए भी मिल के अहाते में कोई प्रबन्ध नहीं था।

उनका लंगर सांझा होता था और वो सब मिल जुल कर बारी-बारी रोटी पकाते थे। काम-काज से फुरसत पा कर इनके दिल बहलाने का कोई भी साधन दूर-दूर तक नहीं था इसलिए उनमें से जो शौकिया ही ढोलकी, बांसुरी, सारंगी इत्यादि लेकर गए हुए थे, उन्हीं को बजा कर गा लेते-जैसे हम पंजाब में पूर्वीय प्रवासियों को रात के समय इकट्ठे होकर अपने आंचलिक गीत गाते हुए देखते-सुनते हैं। इस प्रकार वे मिल- जुल कर दिन में कमाई और रात में मौज-मेला कर लिया करते थे।

जब वे कुछ अपने पैरों पर खडे होने लायक हो गए तो वे अपने रहने के लिए अपने बलबूते पर आबादियों में बसने लगे और फिर उन्हें अपने पूजा-स्थानों की कमी भी सताने लगी। शुरू में तो कई स्थानों पर मिल-मालिकों की आज्ञा से कुछ थोडी जगह लेकर काम-चलाऊ पूजा-स्थल बनाए गए, जहां वे हर रविवार या और छुट्टी वाले दिनों में दीवान सजाते और लंगर भी लगाते थे।

1907 में सिक्खों के सामने एक अनोखी समस्या आ गई कि मृतक देह का संस्कार कहां किया जाए? क्योंकि उनमें से एक वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया था।और वहां कोई श्मशान घाट तो था ही नहीं। वैंकुवर के मेयर ने शहर की म्यूंसिपल हदों में संस्कार करने की मनाही कर दी। ईसाई पादरी मृतक देह को दफनाने पर जोर दे रहे थे, परन्तु साथ ही किसी 'काले' को गोरे के कब्रिस्तान में दफनाने के कट्टर विरोधी थे। भारतीयों ने

1907 में विदेशी धरती पर एक सिख की मृतक देह का संस्कार करते हुए साथी

आधी रात को मृतक देह को उठाया और घने जंगल में ले जाकर दिन निकलने पर संस्कार किया; उस मौके पर उनके कुछ गोरे शुभ चिन्तक भी वहां मौजूद थे।

उन दिनों में एक साधारण मजदूर वहां 10 रूपये दैनिक कमा लेता था। इस कमाई से कुछ न कुछ बचा कर उन्होंने थोडी बहुत जायदाद भी बना लीं जो 1908 के अनुसार लगभग दो करोड रूपये की होंगी। 'गुलाम' भारतियों की यह खुशहाली देख कर कई गोरे इनसे ईर्ष्या करने लग गए और कई बेरोजगार गोरे अपनी कमाई छिनती देख कर इनसे

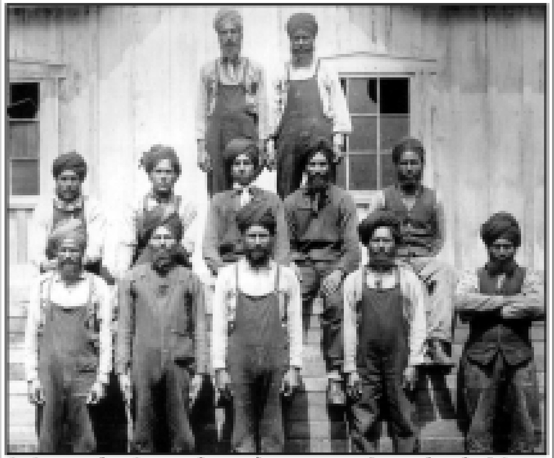

ब्रिटिश कोलंबिया के बरनैट शहर की नार्थन पेसीफिक लियूबर कम्पनी के सिख वर्कर्स

नफरत करने लगे। सो उन्होंने भारतियों को उनके बोरी-बिस्तर समेत भारत वापिस भेजने का प्रण कर लिया।

बात यहां तक बढ़ गई कि जनरल सवारन नामक एक गोरे ने तो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि किसी भारतीय को किसी भी अंग्रेजी बस्ती में रहने या कारोबार करने आज्ञा नहीं मिलेगी; गोरों के एक वर्ग में यह धारणा जोर पकडने लगी थी कि जो हिन्द वासी यहां गोरों की तरह निवासी होने के अधिकार प्राप्त कर सुख भोग रहे थे, वे इसकी जानकारी अपने संबंधियों को सुदूर भारत में भी पहुंचा रहे होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सुविधा विहीन जीवन जीने वाले भारतीय विदेश की तरफ रुख कर लेंगे,जिससे ऐशियाई लोगों में गोरी कौम की साख गिर जाएगी और हिन्दोस्तान में अंग्रेजी राज्य की पकड भी कमजोर हो जाएगी।

तत्कालीन पंजाब के प्रसिद्ध गोरे पुलिस अधिकारी पैटरी ने, जो कॉमागाटा मारू की कलकत्ता वापसी के मौके पर वहां तैनात था, ने तभी कहा था-

> यह एक आम धारणा है कि विदेशों से लौटे भारतीय अक्सर बिगडी हुई राजसी सोच और गोरे अधिकारियों की खास परवाह न करने जैसी रूचियों के साथ लौटते हैं।

2
ऐशियाई बुरे, हिन्दी घटिया

> सुनो हिन्दियों जरा ध्यान दे के, गल्लां सुणदेयां सार घबरावना ना।
> साडा हाल गरीबां दा दर्द भरेयां, खोल दस्दे हां मुंह भुवावना ना।
> 'गदर गूंज' अक्टूबर 1914

जैसा कि पीछे जिक्र किया है कि सब से पहले चीनी और फिर जापानी कैनेडा आए थे। वे रेलवे लाईनों को बिछाने जंगल आबाद करने और खानों में काम पर लगाए जाने लगे, चूंकि मालिकों को यह स्थानीय गोरों से कहीं अधिक सस्ते पडते थे, भाव इनकी दैनिक मजदूरी गोरों के मुकाबले आधी से भी कम थी तो इसी कारण मालिकों और गोरे मजदूरों में झगडा शुरू हो गया;

अब जल्दी ही गोरे मजदूरों ने कुछ वश चलता न देख कर इन बाहरी लोगों के विरूद्ध 'जेहाद' का बिगुल बजा दिया।

तब तो बी.सी. की मजदूर यूनियन, सियासतदान अखबार और यहां तक कि पादरियों ने भी चीनी-जापानी लोगों की आमद का पुरजोर विरोध किया। एक प्रसिद्ध मैगजीन 'परोविन्स' ने दुहाई दी कि नए आए लोग हम पर हावी हो जाएंगे, लगभग वैसे ही जैसे आजकल पंजाब में बाहरी प्रान्तों से आ रही जनसंख्या के मुदे पर कई लोग हाय तौबा मचाते हैं।

'दी ट्रिब्यून'

लाहौरःबुधवार, जुलाई 29,1914

क्या सचमुच ही पंजाबी प्रवासी घटिया हैं?

वैसे तो आजकल ब्रिटिश कोलंबिया में बसे पंजाबियों के विरूद्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं है, परन्तु इस मामले में वहां के एक अखबार 'विक्टोरिया कॉलोनिस्ट' (Victoria Colonist) की टिप्पणी अपने आप में एक मिसाल है, जिसके अनुसारः-

> जो सिख कुछेक साल पहले हमारी बंदरगाहों पर ठिठुरते मिलते थे, वही अब खेतों, शहरी आबादियों, बंगलों, मोटर-कारों डेयरी फार्मों और

> लकडी के कारखानों के कर्ता-धर्ता बन बैठे हैं, एक कडवा सच यह भी है कि चाहे हम इनके यहां बसने पर इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये हमारी नस्ल के नहीं हैं या ये गैर ईसाई हैं पर सब से बडी चिन्ता जो हमें खाए जा रही है यह है कि ये लोग किसी भी क्षेत्र में, जहां चाहे हम पछाड सकते हैं। और कोई भी चारा न देख कईयों ने यह सुझाव दिया कि वही कैनेडा आए जो कोई ना कोई योरूपीय जुबान पढ लिख लेता हो और यही ईसाई पादरी भी कह रहे थे, जो कैनेडा के मूल निवासी प्रचारकों को अपने गिरिजाघरों में अपनी मूल मातृ भाषा में व्याख्यान देने की आज्ञा तक नहीं देते थे।

नस्ली भेदभाव की सभी हदें पार करते हुए, गोरे वहां के मूल निवासियों के साथ भी गुलामों जैसा व्यवहार करते थे।

इसी खींचतान के बीच बीसवीं सदी के शुरू में भारत से सिक्खों की आमद ने इस विवाद को और पैना कर दिया। यह इसलिए भी हुआ,क्योंकि कई मिल-मालिक तो इनको चीनी और जापानी मजदूरों के मुकाबले अधिक महत्व देते थे, उनका मानना था कि अपने मजबूत डीलडौल की बदौलत ये उन लोगों से कहीं ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो रहे थे। और कौमों के मुकाबले इनका महत्व भी ज्यादा था कि जैसे कैनेडा एक बरतानवी डोमीनियन था, किसी हद तक भारत भी उसी प्रकार अंग्रेजों के राज्याधीन होने के कारण कैनेडा की कानूनी कार्यप्रणाली इन लोगों के लिए अनजानी नहीं थी।

परन्तु दूसरी तरफ चीनी तथा जापानी आजाद मुल्कों के निवासी होने के कारण अपने कैनेडा स्थित दूतावास से सहायता ले सकते थे और कम से कम कानून की नजरों में तो वे उसी प्रकार एक आजाद देश के नागरिक थे जैसे कि कैनेडियन गोरे। इनके मुकाबले भारतीय प्रवासी बरतानवीं सरकार की प्रजा थे नागरिक नहीं। परन्तु इसके साथ ही फौजी सिख अपनी नौकरी के दौरान अंग्रेजी सल्तनत की सलामती के लिए खून बहाते रहे थे, तो वे सच्चे दिल से अंग्रेज सरकार से अपने हितों की रक्षा के लिए सहायता की आशा लिए बैठे थे; उनकी अंग्रेज सरकार पर पूरी आस्था थी।

यहां यह बताना भी जरूरी है कि कैनेडा में वहां के गोरे निवासियों में से काफी कहीं न कहीं सिक्खों के शुभचिन्तक बल्कि उपासक भी थे। मिसाल के तौर पर कैनेडा की एक बहुत बडी कम्पनी ने 'दी डेली परोविंशल' 1906 में एक बयान छपवाया था कि हिन्दू भारतीय हमारे देखे परखे सिपाही हैं। उनको अपनी कवायत के अतिरिक्त कुछ नहीं आता था; हां, मैं भी चाहता तो यही हूं कि हमें गोरे मजदूर ही मिलते रहें, पर अगर मुझे अजनबियों को काम पर लगाना ही है तो मैं इन लोगों काम देना चाहूंगा, जो बरतानवी सल्तनत की रक्षा के लिए लडते रहे हैं।

एक और गलैंडस्टोन नामक नेता ने कहा था कि 'हैरानी की बात है कि यहां कुछ सिख कुली-मजदूर बन कर आए थे; ये अपने देश में उंची जाति में शुमार किए जाते हैं और वहां अपनी खेतीबाड़ी के अतिरिक्त फौजी और अर्द्ध फौजी रोजगारों से ही सबंधित हैं। मैंने हिन्दूस्तान में 15 साल रहते हुए जो अनुभव किया उसी नजरिए से मुझे यह बात अचम्भे से कम नहीं लगती कि यह लोग कैनेडा-अमरीका में मेहनत-मजदूरी के लिए ही आ रहे हैं।''

एक अन्य पक्ष एक विशेषज्ञ सर्जन डाक्टर जो कैनेडा दाखिल होने वाले सारे प्रवासियों की डाक्टरी जांच के लिए नियुक्त था, उसके कथनानुसार,''चाहे मैं शुरू में इन गैर यूरोपीय प्रवासियों को बुरी नजर से देखता था, पर मैं इस तजुर्बे दौरान इस संकीर्ण नजरिए से मुक्त हो गया हूं, वह इसलिए कि जितने मुसाफिर योरूपीय मुल्कों से आते थे, उनके मुकाबले ये गैर यूरोपीय व्यक्ति, और खास करके सिख कहीं अधिक हृष्ट-पुष्ट और रोग-रहित पाए जाते हैं। जिक्रयोग्य है कि यूरोप के मुकाबले कैनेडा में रोजगार के मौके अधिक होने के कारण, पश्चिमी देशों से भी लगातार थोडे बहुत व्यक्ति कैनेडा दाखिल होते रहते हैं।

एक और टिप्पणीकार रोबर्टसन ने कहा कि ये सिख अपने बेरोजगार भाई-बन्धुओं की पूरी देखभाल करते हैं ताकि वे वहां की सरकार पर बोझ न बनें।

ऐशियाई बहिष्कार लीग

यह निगोड़ी कुलक्षणी संस्था 12 अगस्त 1907 का, गोरों की मजदूर यूनियनों, कुछ सामाजिक संगठनों बरतानवी सल्तनत के कुछ साबका अफसरों और कुछ ईसाई पादरियों की गठजोड़ से अस्तित्व में आई थी।

उन्हीं दिनों ही कैनेडा की किसी अखबार में छपी एक खबर के अनुसार जापानी बन्दरगाह योकोहामा से एक मुसाफिर जहाज कैनेडा के लिए रवाना हो गया, जिस में 1100 चीनी, 900 सिख और कुछ जापानी भी थे। इस खबर ने आग में घी का काम किया।

7 सितम्बर 1907 में ऐशियाई बहिष्कार लीग के बुलावे पर वैंकुवर शहर में विशाल जुलूस निकला, जो हजारों की गिनती में था, और यह जुलूस नारे लगा रहा था:

''लीग का नारा... गोरा कैनेडा''
''हम लड़ने के लिए तैयार हैं''

“हम हर कीमत पर कैनेडा की रक्षा करेंगे”

“गोरे कैनेडा को जरूरत नहीं सस्ते एशियाई मजदूरों की”

जुलूस के बाद कुछ हुल्लड़बाजों ने बेकाबू होकर चीनी आबादी पर हमला बोल दिया, चीनियों ने कोई भी मुकाबला नहीं किया, पर जब वे जापानियों की आबादी में गए तो उन्होंने इन गुण्डों को मुँह तोड़ दिया। सिख इस हुल्लड़बाजी से तो बच गए, क्योंकि वे दिखाई ही नहीं दिए, ऐसा इसलिए कि उनकी आबादी शहर से दूर थी जबकि यह कांड शहर के बिल्कुल बीच में घटा था।

ऊपर की घटनाओं के बारे में कैनेडा के एक नामवर पादरी फ्रेज़र ने कहा कि “इन्होंने (हुल्लड़बाजों) ने कैनेडा वासियों को दृढ़ किया कि “लातों के भूत बातों से नहीं मानते” अब हम जिस दौर से निकल रहे हैं, यह सिर्फ बातों का नहीं, बल्कि लट्ठ-मार का है।

एशियाई बहिष्कार लीग का लक्ष्य था कि एक भी और चीनी, जापानी या भारतीय को अपनी धरती पर नहीं उतरने देनाः सो उन्होंने लगातार इस प्रकार के जलसे-जलूसों द्वारा प्रादेशिक तथा केन्द्रीय हुकूमतों पर दबाव डालना जारी रखा। अब चीन और जापान तो आज़ाद देश थे और उनके कैनेडा स्थित राजदूत समय-समय पर यहां की सरकारों से अपने-अपने नागरिकों की तंगियों-तकलीफों के मामले की पैरवी करते रहते थे, परन्तु बेसहारा हिन्द वालों की खबर, जो हिन्द सरकार को लेनी चाहिए थी, वह न सिर्फ तमाशबीन की ही भूमिका निभा रही थी, बल्कि भीतर ही यहीं अपनी प्रजा के विरोधियों की पीठ थपथपा रही थी।

कानूनी शिकंजा

प्रवासियों के विरूद्ध एक बेहद कमीनी चाल चली गई, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तदुनसार 8 जनवरी, 1908 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके अन्तर्गत केवल उसी यात्री को जहाज से उतरने दिया जाएगा, जो अपनी पैतृक धरती से सीधी समुद्री यात्रा करके पहुंचेगा। अप्रत्यक्ष तौर पर इसका निशाना भारतीय ही थे, क्योंकि उस वक्त तक भारत की अपनी कोई ऐसी जहाजी कम्पनी नहीं थी, जिसका जहाज भारत से सीधा वैंकुवर पहुंचता हो। हिन्दी यात्री तो पहले चीन या जापान पहुंच कर ही वहां से कैनेडा की तरफ जाते थे।

केवल सीधे सफर वाली पाबन्दी से भी सन्तुष्ट न होकर 9 अक्तूबर 1910 को एक और शर्त भी थोप दी गई कि कैनेडा में उतरने वाले हरेक यात्री के पास कम से कम 200 कनैडियन डॉलर नकद अवश्य होने चाहिए, जो कि गरीब-गुरबे हिन्दी यात्रियों के लिए जुटाने लगभग असंभव थे।

हिन्दियों के लिए हद बेहद उस दिन हो गई, जब पहले से पहुंचे हुए प्रवासियों के परिवारों की आमद पर भी यही पाबन्दियां लाज़िम कर दी गईं। अब जिन बेसहारा लोगों की गर्दन पर छुरी चलाई जा रही थी, उन में से बहुतायत सेवानिवृत फौजियों की ही थी, जिनके दिलों में ‘सरकार माई बाप’ की धारणा सर्वव्यापक थी और बरतानवी सरकार के मुश्किल समय में उन्होनें जान की बाज़ी लगाने में कभी परहेज़ नहीं किया था; उनको सरकार पर पूर्ण विश्वास था कि वह उन्हीं के पक्ष में खड़ी होगी। अपनी फरियाद को सही व जायज समझ-मान कर उन्होंने कैनेडा, लण्डन और दिल्ली की सरकारों के पास अपने डेलीगेशन भेज कर उनको अपने हक में करने की कोशिश की।

उन्होनें यह रणनीति अपनाई कि सब से पहले परिवारों को बुलाने के मुद्दे को ही उभारा जाए। जो उनके साथ सीधा-सीधा अन्याय था और इस कारण भी कि अभी तक कुछेक को छोड़ कर लगभग सभी के परिवार पीछे भारत में ही थे।

इस मकसद के लिए सब से पहले खालसा दीवान वैंकुवर के प्रधान, भाई भाग सिंह और उस गुरूद्वारे के पहले ग्रंथी भाई बलवंत सिंह और खुर्दपुर दिसम्बर 1911

भाई बलवन्त सिंह अपने परिवार के साथ

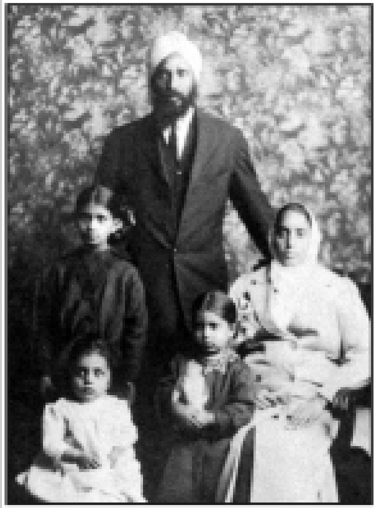

भाई बलवन्त सिंह अपने परिवार के साथ

में भारत आए और परिवारों समेत वापिस कैनेडा पहुंच कर परिवारों को दाखिल करने की याचना की। साथ ही, एक वफ़त ने इसी मकसद से कैनेडियन सरकार से भी बातचीत की, जिसने प्रतिनिधिमण्डल को मामले पर ‘हमदर्दीपूर्ण गौर करने’ का भरोसा

दिलाया, परन्तु दूसरी तरफ इन दोनों परिवारों को इमिग्रेशन जेल में नजरबंद कर दिया गया।

इस भडकाउ माहौल में भी जो ज्ञापन सम्बन्धित सरकारों को दिया गया, वह एक अतीव सौम्यता से रचित दस्तावेज था, जिस में परिवारों के साथ रहने के नैतिक आधार, दुनियावी सूझ-बूझ और जमीनी हकीकतों का उल्लेख किया गया था, जिससे कोई भी खुले दिल वाला व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नही रह सकता था; अपने अधिकारों की तरफ संकेत करते हुए यह भी कहा गया था कि जहां पर बरतानिया सरकार का राज्य है, वहां विचरण के लिए बरतानिया सल्तनत के सभी बाशिन्दों को बराबर का अधिकार होना चाहिए।

इस लिखित दस्तावेज का सार शैली व लहजा सभी एक ही दिशा की तरफ संकेत करते हैं कि प्रार्थनाकर्ता को कम से कम उस पडाव पर तथाकथित सरकारों की इन्साफ पसंद नीति पर पूर्णरूपेण विश्वास था, और उन्होंने समुचित निर्णय की आशा रखते हुए हाकिमों से गुजारिश की थी।

कैनेडियन सरकार का नकारात्मक जबाब

यहां रह रहे प्रवासी भारतीय अब अपने परिवारों को यहां लाने की आज्ञा चाहते थे; इन परिवारों की गिनती 2500 से 3000 के बीच होगी, और अगर औसतन एक परिवार में पांच सदस्य हों तो इससे हिन्दू आबादी में एकदम 12000 से लेकर 15000 तक की बढौतरी हो जाएगी।

हमारा नजरिया यह है कि इस मुद्दे पर हम भारतियों की इस मांग को ठुकराते हुए केवल अपनी पार्लीमेंट के अतिरिक्त किसी और के जबाबदार नहीं हैं।

प्रतिक्रम

कैनेडा से निकलने वाले अखबार 'दी आर्यन' के संपादक डॉ. सुन्दर सिंह ने इस मुद्दे पर एक साल बाद टिप्पणी करते हुए लिखा था कि साल 1911 दौरान 11932 चीनी और 2986 जापानी कैनेडा आए, जिनमें 1037 औरतें भी थी। यह आंकडे संबंधित मैडिकल अफसर के रिकार्ड से लिए गए हैं, जहां कि कैनेडा रह रहे भारतियों की बीवियों को अपने पतियों के पास आने की आज्ञा नहीं दी जा रही, जबकि पिछले साल कुल मिलाकर 400 जापानी स्त्रियां अमरीका आई हैं, यहां तक कि प्रसिद्ध हिन्दी प्रधानों भाई भाग सिंह, भाई बलवंत सिंह की पत्नियों को जब उन्हें कैनेडा में उतरने नहीं दिया गया। सान फ्रांसिसकों में भी उतरने की इजाजत नहीं दी गई और उन्हें जबरदस्ती हांगकांग वापिस भेज दिया गया था। इससे भली-भान्ति दिखाई दे रहा है कि अमेरिकन

जापानी औरतों को आज्ञा व हिन्दी औरतों के लिए जेल

सरकार भी इस मामले में कैनेडा के पदचिन्हों पर चल रही है।

भारतीय प्रवासी समस्या – एक समकालीन कैनेडियन नज़रिया

''भारतियों के प्रवास का मसला केवल कैनेडा तक ही सीमित नहीं बल्कि हरेक बरतानवी आबादी का है, क्योंकि जहां कहीं भी जमीनें गैर-आबाद हैं और मजदूरों की कमी रहती है। इस वक्त कैनेडा में मुद्दा है भारतीय प्रवासियों का अपनी पत्नियों को लिवाने का; वैसे असूलों के तौर पर इस बारे में दो राय नहीं कि बरतानवीं छत्रछाया में विचर रहे हरेक भारत जैसे देश का कोई भी व्यक्ति जो अपनी कमाई के बूते पर अपने परिवार के रहन-सहन का प्रबन्ध कर सकता है तो उसे अपने परिवार को यहां लाने की आशा होनी चाहिए है। इस मामले में रूकाबट डालना बर्बरता ही तो है। और सीधे तौर पर, 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' और 'असूलों को गोली मारो' जैसी मनोदशा को ही दर्शाता है। इस प्रकार की नीति के पीछे कैनेडा के राजसी नेताओं की बुजदिली है, जो मुट्ठी भर गोरे मजदूरों की सीनाजोरी से डरते हैं; यह बात माने लायक नहीं है कि कोई भी समझदार कैनेडावासी ऐसी सोच रखता होगा।''

''ऐसे विचार किया जाए तो यह मसला मूल रूप में इस वक्त कुछ इस तरह का भी है कि कुछ देश आबादी से भरपूर हैं, किन्तु साधन सीमित होने के कारण वहां के निवासी प्रवास के लिए उतावलें हैं और दूसरी तरफ यह कुछ देश खुलापन लिए हैं, किन्तु

आबादी कम है, पर यह देश गोरों की विश्व व्यापक दबदबे के कारण उनके कब्जे में हैं, जैसे कि कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि।

''यहां द्वंद्व यह है कि एक तरफ तो गोरे मालिक सस्ते मजदूर चाहते हैं, पर इस बात से डरते भी हैं कि अगर बाहरी लोगों की भरमार हो जाएगी तो ये लोग हम पर हावी हो जाएंगे और इनका ही बोलबाला हो जाएगा और हमारी 'संस्कृति' तहस-नहस हो जाएगी।

''परन्तु आखिर इस मसले का क्या कोई हल हो सकता है?''

चेतावनीः-

रौस (Ross) नामक एक व्यक्ति ने जो भारतियों के मसले पर काफी दिलचस्पी रखता था, ग्रेन, ग्रोअंस गाइड, विनी पैग को एक पत्र लिख भेजा था, जिसका शीर्षक था – **'कैनेडा में सिख किसान'**:-

> ''हमें हमारे समाज सेवकों और अंग्रेज नीतिवानों की तरफ से कहा जा रहा है कि कैनेडा का भविष्य कैनेडा के सिखों के साथ किए जाने वाले बर्ताव पर निर्भर है। सिखों ने गदर के समय बरतानिया का साथ दिया था। अगर हिन्दोस्तान में कहीं एक और गदर हो गया तो हिन्दोस्तान का भविष्य सिखों के हाथ में होगा। इस वक्त बी.सी. में सिखों की आबादी 7000 है; हजारों और आएंगे पर कैनेडा के संगठित मजदूर इस व्यवहार के विरोधी हैं और कैनेडा की सरकार सिखों को आने से रोक रही है। हिन्दोस्तान में मौजूद सरकार विरोधी संगठन इसका प्रचार करके वफादार सिखों में बेचैनी फैला रही है। मेरी समझ के अनुसार जहां तक कैनेडा के जमीन मालिकों का संबंध है, उनके लिए तो खास तौर पर सिख मजदूर किसी वरदान से कम नहीं होंगे। अच्छे मजदूरों की कमी उनके द्वारा भली प्रकार से दूर हो सकती है। कुछ समय पहले मैंने इनको (सिख किसानों को) कैलिफोर्निया में संतरो के बागों के लिए बंजर धरती को संवारते देखा है; यह लोग पैदायशी किसान हैं। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हमें उन्हें ऐसे कामों में लगाकर पर्दों परखें कि वे कहां तक हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं? वैसा देखा जाए तो वे नस्ल के पक्ष से भी हमारी तरह आर्यन भूल के ही हैं और उनके नैन नक्श भी हमारे साथ मिलते-जुलते हैं, जो हमारी पैतृक सांझ का प्रमाण है। वे अच्छी सूझ-बूझ वाले हैं, वे न तो मुसलमानों की तरह एक से ज्यादा बीवियां रखते हैं और न ही हिन्दुओं के समान बुत पूजा करते हैं।

क्या कैनेडा द्वारा भारतियों के साथ किया जा रहा सुलूक जायज है?

''आज हम बैसे तो हर मूल के विदेशियों को 'खुशआमदीद' कह रहे हैं, जिनमें से कईयों ने तो भीतर से अंग्रेजी सल्तनत के प्रति वफादारी का अंश नाममात्र भी नहीं है, जो मुसीबत के समय हमारे साथ नहीं होंगे। जबकि दूसरी तरफ हम बेतुके नियमों द्वारा उन बरतानवी राज के हमारे जैसे निवासियों को जो सल्तनत के लिए जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, उनको दुत्कार रहे हैं और वह भी उन नीच वर्गों के दबाब से जो यहां वहां के युरोपीय मुल्कों से आकर बसे हुए हैं। सिख एक सम्मानजनक वंश से हैं, जो समझदार हैं और डॉलर परस्ती को घटिया मानते हैं। उनको जब और जहां भी मौका मिलेगा, वह अवश्य ही अपने पीछे छूटे हमवतनों को उनके साथ हो रहे बुरे व्यवहार की जानकारी देंगे और दुनिया में ऐसे संगठनों कोई कमी नहीं, जो इसका नाजायज फायदा उठाएंगे। हम प्रवासियों को यहां अपनी पत्नियां लाने की आज्ञा भी नहीं दे रहे। जो हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है और जो ईसाई धर्म की मान्यताओ के अनुसार भी उत्तम स्थान रखता है; और फिर ये जो 'सीधे सफर' का नियम बनाया गया है, वह गुप्त रूप से इनके दाखिले को ही रोकने के लिए बनाया गया है और दुनिया भर में इस नीति की खिल्ली उठाई जा रही है कि देखो ''ये (हम) कितने कायर हैं कि जिसे हम जाहिराना रूप से करने योग्य नहीं हैं, उसे अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं।''

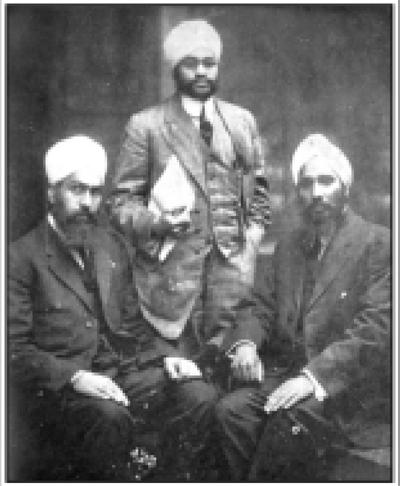
(बायीं ओर से) भाई नारायण सिंह, नंद सिंह सीहरा व भाई बलवंत सिंह

एक और डेपुटेशन

मार्च 1913 दौरान एक और वफ्द बरतानिया सरकार की ओर भेजा गया, भाई बलवंत सिंह खुर्दपुर, भाई नंद सिंह सीहरा और भाई नारायण सिंह, ये तीनों

लंडन की सर्वोच्च सरकार के पास और बरतानिया के लोगों के सामने अपना दुखड़ा सुनाने के लिए गए; अन्ततः ले देकर बड़ी सरकार के पास तो इस मामले में प्रवासी आबादी के वजीर के ए.डी.सी. (A.D.C.) फौजी सहायक के साथ ही भेंट हो सकी, जिसने सरकारेआली की तरफ से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह मुद्दा कैनेडा और हिन्द सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

वफत ने 14 मई 1913 को लंडन के प्रसिद्ध कैक्स्टन - हाल में एक सभा को भी अपनी समस्या से अवगत करवाया। बाद में उन्होंने भारत पहुंचकर लाहौर के लामी ब्रैडला हाल में बड़ी सभा को अपनी आपबीती सुनाई। इस सभा में कई गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए, जिनकी सभा में हाजरी पंजाब के गवर्नर सर माईकल ओडवायर को बहुत अखरी।

इसके बाद वे पंजाब के गवर्नर को भी मिले, जिसने अपनी पुस्तक 'हिन्दोस्तान – जैसे मैंने इसे जाना' (*India As I know It*) 1885-1925 में गदर पार्टी की तरफ इशारा करते हुए लिखाः-

> ''भारतियों की अनपढ़ता, उनकी हर प्रकार की बात पर भरोसा करने की प्रवृत्ति, और उनके कैनेडा के प्रवास संबंधी कानूनों के बारे में, जायज या नाजायज रोष का भरपूर फायदा उठाते हुए हरदयाल और उसके सहयोगियों ने कई उधर गए भारतीय प्रवासियों को बरगला कर अंग्रेजी राज्य को पलटने की साजिश में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया।
>
> ''1913 की गर्मियों में कैनेडा से एक वफद पंजाब आया था; दरअसल उसके मैंबर गदर पार्टी के ही अग्रदूत थे, चाहे हमें इस तथ्य की जानकारी तब नहीं थी। वह प्रत्यक्ष रूप से तो कैनेडा के प्रवासी कानूनों के परिणामस्वरूप उपजी अपनी तकलीफों और दुःख के बारे में इधर की सरकारों और आम जनता को जागरूक करने के लिए आए थे और उन्होंने पंजाब के कई शहरों-कस्बों में सभाएं की, जिनमें कुछ स्थानों पर इस वफद (प्रतिनिधिमंडल) की सुर तीखी हो गई और खालिस प्रवास सम्बन्धी कानूनी अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए उनके बयान भड़काऊ रंग इख्तियार करते गए, इसलिए मैंने वफद के सदस्यों को चेतावनी दी कि यदि वे ऐसी हरकतों से बाज न आए तो मैं कोई सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त पंजाब, दिल्ली-लाहौर की हिंसक वारदातों और साम्प्रदायिक झगड़ों के कारण पहले ही तनाव के दौर से गुजर रहा था।
>
> ''वफद ने मेरे साथ मुलाकात की और मैंने उनसे अपनी ऊपर लिखी चेतावनी दोहराई; उनमें से दो तो चिकनी-चुपड़ी जुबान वाले थे, पर

> तीसरे (शायद भाई बलवंत सिंह) की बोलचाल एक खतरनाक बागी जैसी थी, और मैंने वायसराय को उस (तीसरे) व्यक्ति के बारे में पहले ही बता दिया था।''

बाद में वफद ने वायसराय को भी एक स्मरण पत्र दिया, जिसके पैरा 15 में दर्ज थाः-

> जहां पर जापानियों को तो कैनेडा में तीन साल रहने के उपरांत ही पूर्ण नागरिकता के दस्तावेज मिल जाते हैं, पर अभी तक हजारों हिन्दियों को वहां कितने साल रहने के बावजूद किसी एक को भी यह सहूलियत प्रदान नहीं की गई।''

21 जनवरी 1914 को वायसराय ने वफद की कखण फरियाद सुनने के बाद इस मामले में दखल देने से साफ इंकार कर दिया।

हिन्दियों के साथ एक और छल

कैनेडा की सरकार ने हिन्दियों से पीछा छुड़ाने के लिए एक और कमीनी चाल चली, जो हिन्दवासी भगाओ मण्डली की शह पर ही रची गई थी; वो यह थी कि अगर नए आने वाले भारतीय चाहें तो उनको कैनेडा की बजाय एक और देश अर्थात् होंडुराज नामक बरतानवी नई बस्ती (जो दक्षिणी अमेरिका के दूर-दराज पश्चिमी तट पर स्थित है) में आवास मिल सकता है।

कैनेडा सरकार की होम मिनिस्ट्री की तरफ से यह भरोसा दिलाया गया कि कैनेडा सरकार उनको वहां पहुंचाने की जिम्मेवारी लेने को तैयार है। कैनेडा में हिन्द सरकार के गोरे ऐजंट, होपकिन्सन ने हिन्दियों की इस बारे में कैनेडा सरकार के नुमायंदे के साथ 8 अक्टूबर 1908 को मीटिंग करवाई और हिन्दियों के दो सिख नुमांयदों को होपकिन्सन और एक अन्य अधिकारी हारेन के साथ ब्रिटिश होंडुराज जाने के लिए राजी कर लिया; सो भाई शाम सिंह और भाई नागर सिंह को साथ लेकर यह वफद 25 अक्टूबर 1908 को वहां पहुंच गया।

इस दो मैंबरी वफद (प्रतिनिधिमंडल) ने कैनेडा वापिस आकर 7 नवम्बर 1908 को गुरूद्वारा वैंकुवर में संगत के सामने अपने दौरे की रिपोर्ट पेश कीः-

> ''होंडुराज की जलवायु रहने योग्य नहीं है, वेतन भी बहुत मामूली मिलता है, ताजा पानी और दूध, उपलब्ध नहीं है, और नहाने-धोने के लिए समुन्द्र का खारा पानी ही प्रयोग करना पड़ता है। मच्छरों की भरमार है, जोकि बिमारियों का घर है। रोजगार भी कभी-कभी ही मिलता है। जो कुछेक हिन्दी वहां हैं, वे केवल नरक भोग रहे हैं। हमें

3000 डॉलर की रिश्वत का लालच देकर अच्छी रिपोर्ट देने के लिए राजी करने की कोशिश की गई थी।''

संगत ने सर्वसम्मति से होंडुराज जाने की तजवीज को ठुकरा दिया।

प्रवासी मसला और गदर लहर - 1908-1912

स्पेशल ट्रिब्यूनल की नजरों में:-

''1908 से 1910 तक कुल मिलाकर कैनेडा में कोई गड़बड़ी नहीं थी। हमारी जानकारी के अनुसार 1910 में नया कानून लागू करके कैनेडा आने वाले हर यात्री के लिए अपने देश से सीधे समुद्री यात्रा की शर्त सारे एशिया वासियों के लिए लाजमी कर दी गई और बाद में 20 डॉलर नगदी साथ लाने की शर्त भी इसके साथ जोड़ दी गई।

''हम इस मुकाम पर इस प्रवासी कानून के वाजिब या नावाजिब होने के चक्कर में न पड़ते हुए, इतना कह सकते हैं कि यह पाबन्दियां केवल भारतियों पर ही नहीं लगी थीं (आफरीन)! जिसको हिन्दियों ने अपने पर ही साधा समझ लिया था। यह भ्रम इसलिए पैदा हुआ था क्योंकि बरतानवी सल्तनत में केवल भारत ही ऐसा देश था, जहां वैंकुवर के लिए समुद्री सफर की सहूलियत उपलब्ध नहीं थी।

''1912 के दौरान कैनेडा में जो कुछ घटित हुआ इसके बारे हमारे पास कोई जानकारी नहीं, पर 1913 में हालात चिन्ताजनक हो गए थे; बेशक उस समय कैनेडा में, माहौल बहुत उत्तेजनाशक हो रहा था।

''जून 1913 में 'संसार' नाम का एक अखबार विक्टोरिया (बी. सी.) से शुरू हुआ, जो थोड़ा सा पंजाबी और बाकी अंग्रेजी जुबान में था और जिसको वतन सिंह, बिशन सिंह, दयाल सिंह, हरी सिंह (भाई), बलवंत सिंह, मुंशा सिंह और प्यारा सिंह लंगेरी (दोषी) की हिमायत हासिल थी, इस अखबार का प्रमुख मुद्दा तो कैनेडा प्रवास ही था, परन्तु कभी-कभी इसमें भड़काऊ लेख भी आने लगे थे और यह मुद्दा विद्रोही सुर पकड़ता जा रहा था; यहां तक कि कई बार तो जानबूझकर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर इस ढंग से पेश किया जाता था कि हिन्दियों को सरकार के विरूद्ध भड़काया जा सके। परन्तु फिर भी हमें इन लेखों में कोई ऐसा अंश नहीं मिल सका जो लोगों को कानून अपने हाथ में लेने या कानून का उल्लंघन करने या भारत में बगावत करने को प्रेरित करता हो। 1913 में बदनाम बागी, भगवान सिंह ग्रंथी भी जो कि अति

खतरनाक फरार व्यक्तियों में से था, और जो हरदयाल से शायद ही कुछ कम खतरनाक होगा, कैनेडा के दौरे पर आया था।''

भाई भगवान सिंह का कैनेडा आना और वहां से जबरदस्ती निकाले जाना

भाई भगवान सिंह

बदनाम गद्दार बेला सिंह जो वैंकुवर के प्रवास महकमे का था, वह अपनी जून 1913 वाली भारत प्रवास से वापसी के समय भाई भगवान सिंह को हांगकांग से साथ ले गया था। भाई भगवान सिंह शुरू में पीनांग में गुरूद्वारे के ग्रंथी रहे थे, जिसकी कमेटी मलाया सरकार के अधीन थी। कुछ समय बाद वह हांगकांग चले गए, जहां उन्होंने तीन साल वहां के प्रमुख गुरूद्वारे में ग्रंथी, कथावाचक और प्रचारक की सेवा निभाई थी, वह उच्चकोटि के विद्वान, प्रौढ़ कवि और प्रभावशाली वक्ता भी थे।

बेला सिंह को कैनेडा के भारतीयों की नजरों में गद्दार समझा जाता था; उसने हिन्दियों में अपने जासूस छोड़े हुए थे, जो उसे चोरी-छुपे जरूरी जानकारी दिया करते थे; इनको कभी-कभी सिंगापुर इत्यादि स्थानों पर अटके अपने भाई-बन्धुओं को कैनेडा मंगवाने के लिए उसका सहारा लेना पड़ता था। बेला सिंह सीधे होपकिनसन के अधीन था, जो पंजाबी पृष्ठभूमि वाला ऐंग्लो-इंडियन था और जो हिन्द सरकार' को खुफिया ऐजंट था।

बेला सिंह का भगवान सिंह को साथ लेकर जाने का गुप्त मकसद भी था कि उसको वैंकुवर गुरूद्वारे में स्थापित करवा कर वहां के प्रबंधकों के विरूद्ध प्रयुक्त किया जाए, जो प्रवासी मामलों में हक सच के मुदई थे। धीरे-धीरे भाई भगवान सिंह वैंकुवर गुरूद्वारे के दीवानों में तो जाने लगे, पर उन्होंने वहाँ के कार्य-व्यवहार के बारे में बेला सिंह को किसी भी प्रकार की जानकारी देने से साफ इन्कार कर दिया। जल्दी ही उन्हें बेला सिंह की कमीनी चाल का पता चल गया और वह उससे अलग हो गए।

बाद में वह गुरूद्वारे की संगत को संबोधन भी करने लगे और खालसा दीवान सोसाइटी ने प्रभावित होकर उनको ग्रंथी की सेवा की पेशकश की, जो उन्होंने स्वीकार कर ली; बेला सिंह और होपकिन्सन को जब यह पता चला तो वो आग बबूला हो गए।

उन्होंने भाई भगवान सिंह को जाली पासपोर्ट पर सफर करने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया; खालसा दीवान सोसाइटी ने उनको जमानत पर रिहा करवा लिया; और साथ

ही उनके हक में हेबियस कार्पोस (नाजायिज हिरासत) की पटिशन भी दायर कर दी।

वैंकुवर प्रवास विभाग का प्रमुख रीड़ और होपकिन्सन जो कहीं दूर के भाई-बन्धु भी थे, दोनों ही भाई भगवान सिंह के कट्टर विरोधी थे, क्योंकि उनको वे अपनी खतरनाक व कमीनी हरकतों की राह में रूकावट समझते थे, जो बिल्कुल सही भी था, साथ ही जहां उसे कठपुतली के तौर पर कैनेडा बुलाया गया था, वहीं खालसा दीवान सोसाइटी के साथ मिल गया था।

होपकिन्सन मण्डली को खतरा था कि अगर कहीं भाई जी की पटिशन कामयाब हो गई और वह यहाँ टिकने में कामयाब हो गई और वह यहाँ टिकने में कामयाब हो गए तो प्रवास विभाग की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, और उसकी साख खत्म हो जाएगी।

सो उन्होंने एक साजिश रची; होपकिन्सन और रीड दोनों स्वयं तो घुप्प अंधेरे में छुपे रहे और अपने एक आदमी को भगवान सिंह के पास उसके रिहायशी कमरे से बुलाने भेजा कि उसका एक दोस्त उससे मिलना चाहता है। जब भाई जी बाहर आए तो उन्हें दबोच लिया गया और हाथ-पाँव बांध कर रात के घुप्प अंधेरे में एक कश्ती में फेंक दिया गया और चोरी-छुपे जापान जा रहे जहाज में चढ़ा कर देश निकाला दे दिया।

भाई भगवान सिंह 19 नवम्बर 1913 को जबरदस्ती बाहर भेज दिए गए थे; वह जापान पहुँच कर जहाज़ से उतरे और कुछ महीने वहां रह कर अमेरिका जा पहुँचे।

वैसे कुल मिला कर जहाँ साल 1908 तक बी.सी. प्रदेश में 6000 के करीब भारतीय थे, उसके बाद 'सीधे सफर' की आड में हिन्दियों की आमद रूक गई थी और एम.टी. स्टीवन्स के प्रतिनिधित्व में चली सिख विरोधी लहर के परिणाम-स्वरूप वहां उनके लिए रोजगार के दरवाजे बन्द होने लगे। तो उन्होंने अमेरिका की तरफ जाना शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप 1911 तक बी.सी. में उनकी गिनती केवल 2342 रह गई थी।

3
व्यक्तिगत मसला बना राष्ट्रीय

किस्मत फिरी जमाने ने गेड़ लाया, कीती आप किरपा करतार सानूं।
चलो हिन्दीओ चलो कैनेडडें नूं, केहा सिंह गुरदित्त सरदार सानूं।
दुखी सुखी पैसा पैसा जमा करके, कीता सारेयाँ ताईं तैयार सानूं।
डाले 70 हजार नूं बोट लै के, कीता सारेयाँ नूं असवार सानूं।
जिस दी खुशी आ चढ़े बेखौफ हो के, केहा सिंह गुरदित्त ललकार सानूं।
नाले देखना जे कदर अपनी नूं, किवें जाने अंग्रेजी सरकार सानूं।
जदों तुरन लग्गे औकड़ पेश आई, काणी अक्ख दिस पई दग़ेदार सानूं।
अग्गे जाऊने ते सानूं रोक दित्ता, ऐह बदमाश कीता पहला वार सानूं।
पकड़ लेआ सरदार गुरदित्त सिंह नूं, बहु सवाल कीते पेचदार सानूं।
कीतें यतन डरौन दे हिन्दियाँ नूं, दिस पई बदमाश दी कार सानूं।
नहीं डोलणां हिन्दियो सब्र करना, केहा सिंह होरां थापी मार सानूं।
जाणा बिच कैनेडे जरूर इक बार, कीते शेर ऐह कौल इकरार सानूं।
आखर खां होएआ बेड़ा खालसे दा, खड़कन लग्ग पई तार पर तार सानूं।
सुणो हिन्दियो जरा ध्यान दे के, गल्लां सुणदेयां सार घबरावना ना।
साडा हाल गरीबां दा दरद भरेआ, खोल दसदे हां मुंह भुवानना ना।

'गदर गूँज' अक्टूबर 1914

एक हां-पक्षी अदालत का फैसला

27 अक्टूबर 1913 को 39 भारतीय (सारे सिख) बी.सी. की विक्टोरिया बन्दरगाह पर उतरे तो प्रवास विभाग ने उनको वापिस भेजने का हुक्म जारी करके हिरासत में ले लिया। उनकी तरफ से हेबियस कापर्स पटीशन दायर किए जाने पर उनको अदालत में पेश किया गया; चीफ जस्टिस हण्टर के अदालती फैसले ने प्रवास विभाग की इस कार्यवाही को गैर कानूनी करार देकर बन्दी सिक्खों की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया।

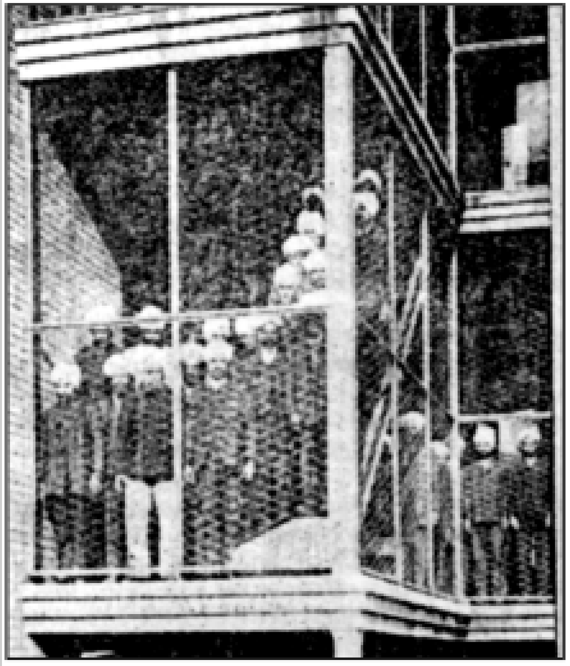
30 सिख विक्टोरिया की जेल में

इन सिक्खों को वहां की सिख संगत एक जुलूस की शक्ल में गुरूद्वारे ले गई, जहां संगतों ने ख़ुशियाँ मनाई। उन्होंने भाई बलवन्त सिंह को (जो उस समय वफ़्त लेकर इंगलैंड होकर भारत पहुँचे हुए थे) तार द्वारा यह खबर भेज दी; यह खबर रंगून, पेनांग, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई में नष्ट कर दी गई, परिणामस्वरूप हर कोई छोटा-बड़ा कैनेडा जाने को तैयार हो गया।

गुरू नानक स्टीमशिप कंपनी कैसे अस्तित्व में आई – सरकारी अटकलें

दो प्रतिष्ठित अंग्रेज अधिकारियों, आइसमोंगर और स्काटरी को 1913-16 दौरान रची गई गदर साज़िश बारे रिर्पोट तैयार करने को कहा गया था, जिन्होंने यह रिर्पोट 1922 में पेश की थी।

दूसरे मुद्दों के अतिरिक्त इस रिर्पोट में 1913 दौरान कैनेडा से प्रवासी भारतियों द्वारा इंग्लैंड और भारत भेजे गए वफ़्त के भारत दौरे दौरान ही गुरू नानक स्टीमशिप कंपनी के गठन की सांठ-गांठ का भी खुलासा किया, जिसने आगे जाकर कोमागाटा मारु जहाज़ का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था।

रिर्पोट अनुसार, ''इस वफ़्त की (भारत में) गतिविधियों का उल्लेख जरूरी है। इस तीन सदस्य वाली वफ़्त ने विशाल स्तर पर बेचैनी फैलाई थी।

''इनके द्वारा की गई बैठकों के लिए हर प्रकार के सार्वजनिक मंचों और धार्मिक स्थानों का भरपूर लाभ उठाया गया और हर वर्ग के नेताओं जैसे धार्मिक, पत्रकार, वकील सभी के सहयोग से पंजाब के कई शहरों में जलसे - बैठकें करके प्रवास के मुद्दे की आड़ में ये लोग आंधी की तरह छा गए थे। इनके समर्थकों में औरों के अतिरिक्त प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता सुरिन्द्र नाथ बैनर्जी भी शामिल थे..., साथ ही बलवन्त सिंह ने अपने लायलपुर यात्रा के मौके पर हरचन्द सिंह से दोस्ती कर ली, जिसने 1913-14 समय दिल्ली के गुरूद्वारा रकाबगंज की (सरकार द्वारा) दीवार गिराने विरूद्ध खूब तूफान मचाया था और संभवतः बाद में भी इसका बलवन्त सिंह से पत्र व्यवहार चलता रहा था और जो सरकार समर्थक चीफ खालसा दीवान के प्रतिरोध के लिए सरकार विरोधी सिख संस्था के गठन के प्रति सक्रिय था।

''उस अवस्था पर हमारे द्वारा इन प्रतिनिधियों की भारत यात्रा के महत्त्व का अहसास नहीं किया गया, पर अब साफ ज़ाहिर हो गया है कि यह यात्रा इंकलाबी साजिश से ही जुड़ी हुई कड़ी थी और जिसका मुख्य मकसद भारत के हिन्दियों और कैनेडा के प्रवासियों के बीच भावुक सांझ को बढ़ावा देना था।''

इसी रिर्पोट में भाई बलवन्त सिंह का खास उल्लेख किया गया है :-

> उसने सरदार हरचन्द सिंह को अंग्रेज सरकार विरूद्ध डटने, और चीफ खालसा दीवान की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने के लिए प्रेरित किया, (क्योंकि) उसने अपनी भारत यात्रा दौरान यह भली भांति देख-समझ लिया था कि चीफ खालसा दीवान वाले केवल सरकार के पिट्ठु ही हैं, जिसके बदले उसने एक नई सिख सोसाइटी कायम करने का सुझाव दिया था, जिसका मुख्य दफ्तर लाहौर में हो और जिसमें भारत तथा विदेश में रहने वाले सिक्खों की भागीदारी हो, और जो एक पत्रिका भी शुरू करें, भाव यह कि उनकी मंशा थी कि सिख संगत चीफ़ खालसा दीवान जैसी संस्था, जो सरकारी पिट्ठुओं, बड़े जिमींदारों और धनाढ्यों की मण्डली है, के स्थान पर साधारण सिख, किसान वर्ग और आम लोगों के हित की रक्षा करने वाला संगठन अस्तित्व में आए। उस वक्त 'खालसा समाचार' ही एक मात्र पंजाबी (गुरूमुखी) पत्रिका थी, जो चीफ खालसा दीवान चला रहा था, और जो कभी भूल कर भी प्रवासी सिक्खों के संकटो का जिक्र नहीं करता था। इसलिए वह (बलवन्त सिंह) चाहता था कि इसकी बजाय एक नई सोसाइटी बने और वह अपनी पत्रिका जारी करे।''

रिर्पोट में खुल कर कहा गया था कि ''हालांकि जो भी व्यक्ति कैनेडियन सिक्खों के साथ हमदर्दी रखता था, उसे सरकार विरोधी और बागी समझा गया था, पर हकीकत में बहुत बड़ी गिनती में हिन्दुओं, सिक्खों और मुसलमानों ने एक आवाज़ होकर इस मुद्दे

पर कैनेडियन और हिन्द सरकारों दोनों की ही व्यापक रूप से निंदा की।''

हालांकि इस सिलसिले में 1911 में भाई बलवन्त सिंह साहब भारत आए थे तो उनका मिशन केवल प्रवासी भारतियों के परिवारों को वहां ले जाने तक ही सीमित था, उन्होंने सुझाया तो पहले भी था कि जब तक अपनी जहाजी कम्पनी नहीं होगी तब तक स्थिति ज्यूं की त्यूं बनी रहेगी। यह सच में ही उस वक्त के नेताओं के लिए परीक्षा की घड़ी थी।

अब (1913) उसी प्रकार के प्रतिनिधिमण्डल ने सारे पंजाब का दौरा किया और खुल्लमखुल्ला ऐलान किया कि हमारे लिए अपनी जहाजी कम्पनी का गठन जरूरी है, जो सीधी कलकत्ता से वैंकुवर के बीच चलती हो।

जब भाई बलवन्त सिंह फिरोजपुर गए तो वहाँ खालसा गर्ल्ज हाई स्कूल (कन्या महाविद्यालय) के मैनेजर भाई तख्त सिंह के पास ठहरे, भाई तख्त सिंह के अतिरिक्त सरदार हरचन्द सिंह लायलपुरी, सिंह सभा अमृतसर के सचिव भाई देवा सिंह, चीफ खालसा दीवान के सीनियार धार्मिक लैक्चरार भाई बुध सिंह और तरनतारन के भाई मोहन सिंह वैद ने भी सच्चे दिल से भाई बलवन्त सिंह के सुझाव की भरपूर हिमायत की।

भाई तख्त सिंह तो अपनी जहाजी कम्पनी बनाने के लिए इतने तुले हुए थे कि जब प्रतिनिधिमण्डल उनके पास ठहरा तो उन्होंने उसी वक्त अपने सचिव भाई दलजीत सिंह और सहायक भाई वीर सिंह की सेवाएं इस कार्य के लिए सौंप दीं थी।

जैसे रिर्पोट अनुसार ''उस वक्त (1913 में) वफ़त था प्रतिनिधिमण्डल तो अभी भारत में ही था और यह बेहद हैरानी की बात थी कि जब गुरदित्त सिंह हांगकांग पहुँचा और जहाज ठेके पर लिया, तो उस मौके पर उनके साथ दलजीत सिंह नामक एक व्यक्ति भी शामिल हुआ था, जो कुछ समय पहले तक 'पंजाबी बहन' नामक मासिक पत्रिका का सहायक संपादक था, जो स्त्री शिक्षा का प्रचार करती थी और जो सिख कन्या महाविद्यालय की छत्र-छाया में प्रकाशित होती थी। जैसा कि ऊपर जिक्र किया है कि यह संस्था तख्त सिंह ही चलाता था, जिसके पास फिरोजपुर में वफ़त ठहरा था, दलजीत सिंह, गुरदित्त सिंह का सचिव बन गया, और उसकी हरेक गतिविधि में साथी रहा।

''इससे साफ ज़ाहिर होता है कि तख्त सिंह और गुरदित्त सिंह ने जहाज़ी कम्पनी की योजना बलवन्त सिंह के भारत में यात्रा के दौरान ही बना ली थी।''

उल्लेखनीय है कि जब कॉमागाटामारू जापानी बन्दरगाह, मोजी पर पहुँचा था तो भाई बलवन्त सिंह ने भी मोजी से कॉमागाटामारू पर सफ़र किया था और योकोहामा पहुँच कर वो वहाँ एक तेज जहाज़ से इसके वैंकुवर पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ उनके पहुँचने पर एक हस्तलिखित इश्तिहार बांटा गया था, जिस में मुसाफिरों के नाम और पते दर्ज थे और उनके लिए खुले योगदान की अपील की गई थी।

इन्क्युऐरी (जांच) रिर्पोट अनुसार :-

''1913 के आखिर (अंत) में लगभग कई कैनेडा जाने के इच्छुक भारतीय हांगकांग, शंघाई, मनीला और कुछ अन्य स्थानों पर कैनेडा जाने की प्रतीक्षा में अटके हुए थे। यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वैंकुवर के प्रवासी भारतियों के नेता जिनमें बलवन्त सिंह, भाग सिंह और हसन रहीम बहुत उत्सुक थे कि प्रवासी भारतियों की दशा के मुद्दे को किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में हिन्दुस्तान से जरूरतमन्दों को मंगवाया जाए और अंग्रेज़ी सरकार को हरकत में लाया जाए। सच में ही इस मकसद का प्रस्ताव कैनेडियन वफ़त के भारत से वापिस लौटने से पहले ही तय कर लिया गया था''

भाई हसन रहीम

भाई हसन रहीम मूल रूप से गुजरात के काठियावाड़ की पोरबन्दर रियासत के निवासी थी, जो 15 जनवरी 1910 को वैंकुवर पहुँचे थे और वहां अपनी असली पहचान छुपाने के लिए खुद को हसन रहीम नामक मुसलमान के रूप में दर्शाया, जबकि उनका असली नाम छग्गन खैराज वर्मा था। उन्होंने अपने आप को एक पर्यटक बताते हुए मोंट्रियल (कैनेडा) उतरने की आज्ञा ले ली थी।

असल में वह एक इंकलाबी थे। जिनकी भारत सरकार को उनकी 1905 वाले बंगाल बंटवारे के विरूद्ध गतिविधियों के कारण तलाश थी। वह पहले जापान और फिर अमेरिका के दूर-दराज टापू होनेलूलू चले गए। वह ऐसे ही ठिकाने की तलाश में थे, जहां ठहर कर वह भारत के अंग्रेजी राज्य का सर्वनाश करने के लिए अपनी विद्रोही गतिविधियाँ जारी रख सकें। उस मुकाम पर बी.सी. में लगभग 600 सिख मजदूर थे और उन्होंने वैंकुवर में गुरूद्वारा भी स्थापित कर लिया था। भाई हसन रहीम को अपने मकसद की पूर्ति के लिए वैंकुवर और विक्टोरिया से बेहतर कोई अड्डा न मिला और उन्होंने वहां रह रहे बेचैन सिक्खों के बीच घूमने की ठान ली।

उनके विरूद्ध 2 अक्टूबर 1911 सोमवार वाले दिन देश निकाले का हुक्म जारी कर दिया गया, पर जस्टिस मोरीसन ने उनकी 'हेबियस कॉपर्स' पटीशन स्वीकार करते हुए प्रवास विभाग को इस बारे में अगली कार्यवाही करने से रोक दिया था।

यह बिल्कुल सही है कि भाई गुरदित्त सिंह और भाई दलजीत सिंह दोनों जनवरी 1914 में एक साथ हांगकांग में मौजूद थे, उन्होंने गुरू नानक स्टीमशिप कम्पनी बनाई और भाई दलजीत सिंह उस कम्पनी के सचिव-कोषाध्यक्ष बने थे, भाई गुरदित्त सिंह हांगकांग से सिंगापुर वापिस आने से पहले भाई दलजीत सिंह को वैंकुवर के चोटी के नेताओं के नाम-पते देकर उनके साथ पत्र-व्यवहार करने को कह गए थे, जो संभवतः उन्हें भाई बलवन्त सिंह से ही मिले होंगे।

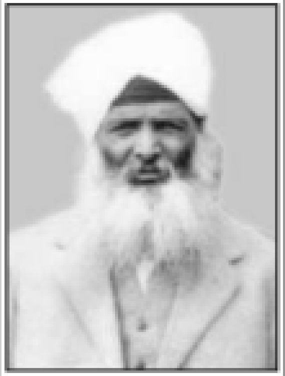
बाबा गुरदित्त सिंह

भाई गुरदित्त सिंह ने भारत में सूचना दी कि एक हिन्दुस्तानी जहाज़ी कम्पनी कलकत्ते से सीधे वैंकुवर के लिए जहाज़ मुहैया करवाएगी जो कैनेडा सरकार की तरफ से लगाई सीधे सफ़र की शर्त पूरी करेगी। उन्होंने इसी मकसद के लिए कलकत्ते में अपना ऐजंट भी नियुक्त किया, जो इच्छुक मुसाफिरों की सूची तैयार करेगा।

भाई गुरदित्त सिंह सिंगापुर से हांगकांग पहुँचे और बयूने नामक जर्मन जहाज़ी ऐजंट से जापान की The Shiner Kishen Goshi Kaishi से 11000/- पौंड महीने पर जहाज़ किराए पर ले लिया।

जहाज़ बारे सरकारी जांच रिर्पोट :-

बज बज के हादसे के बाद सरकार की तरफ से इस कांड की छान-बीन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिर्पोट 3-12-1914 को पेश की गई थी। इसके पैरा नंः 15 के अनुसार, ''5 जनवरी 1914 को कॉमागाटामारू मुहिम का नेता गुरदित्त सिंह हांगकांग आया। उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हमें बस इतना ही पता है कि वह अमृतसर ज़िले का है और साधारण सी आर्थिक हैसीयत वाला है, जो कुछेक एकड़ जमीन का मालिक था। वह हिन्दुस्तान 20-30 साल पहले छोड़ गया था और कुछ साल सिंगापुर-मलाया में ठेकेदारी करता रहा। वह 1909-1912 दौरान वापिस भारत आता-जाता भी रहा, पर 1913 में वह सिंगापुर वापिस आ गया था। हमारे पास उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में ठोस जानकारी नहीं है, परन्तु लगता है कि उसके पास साधन सीमित ही थे, परन्तु था वह दृढ़ निश्चय वाला इन्सान और थोड़े समय में ही उसने हांगकांग वाले हमवतनों का विश्वास जीत लिया था। बस फिर क्या था, वह प्रवास की समस्याओं में गहरी दिलचस्पी लेने लगा था और हमारे पास इस सम्बन्ध में सबूत मौजूद हैं कि जहाज़ किराए पर लेने के मामले में वह कैनेडा रह रहे भारतियों और इधर के प्रवास करने के इच्छुक व्यक्तियों

के साथ लगातार सम्पर्क में था। जिक्र करने योग्य है कि जनवरी 1914 के आखिरी दिनों में हांगकांग के गुरूद्वारे में प्रवास की मंशा से वहां ठहरे कोई 150 सिख मौजूद थे, और तभी गुरदित्त सिंह उनको जहाज मुहैया करवाने का भरोसा दिला कर वापिस सिंगापुर आ गया था।

''तब यह स्पष्ट नहीं था कि क्या वह जहाज़ हांगकांग से किराए पर लेगा या पहले कलकत्ता से मुसाफिर लाएगा और असल में उसके हांगकांग से चलते समय इस विषय में मतभेद थे, उसने एक ख़त द्वारा हांगकांग की सिख संगत को कलकत्ते से जहाज़ लेकर चलने के हक में दलीलें दी और साथ ही वहां की गुरूद्वारा कमेटी को जहाज किराए पर लेने के लिए 11000/- पौंड पेशगी उपलब्ध करवाने के लिए कहा था। ऐसा लगता है कि इस दौरान गुरदित्त सिंह ने कलकत्ता से जहाज़ हासिल करने के प्रयत्न जारी रखे और 13 फरवरी को प्रस्तावित यात्रा के विवरण सहित विज्ञापन भी दिए, जिनकी भाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि उसको कैनेडा प्रवास के रास्ते की कानूनी रूकावटों की जानकारी थी, और उसने इन्हीं अशंकाओं को दूर करने के लिए 24 नवम्बर 1913 वाले जस्टिस हंटर के फैसले (जिसका जिक्र पहले किया गया है) का हवाला भी दिया गया था।

''चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने कानूनी अड़चनों से मुक्त होने सम्बन्धी कलकत्ता से वैंकुवर सीधे सफ़र करने की सभी शर्तें पूरी करने की ठान रखी थी, जिसमें 200/- पौंड नकद वाली शर्त भी शामिल थी।''

उधर बाबा गुरदित्त सिंह ने पहले मलाया की जहाज़ी कम्पनियों से जहाज लेने के कोशिश की, पर कोई विश्वास योग्य जहाज नज़र नहीं आया। हांगकांग पहुँच कर एक जॉरडन नामक अंग्रेजी कम्पनी के साथ सब कुछ तय हो गया, परन्तु हस्ताक्षर करने के समय कम्पनी ने इन्कार कर दिया, शायद अंग्रेजी सरकार के इशारे पर ही। अब यह साफ दिख रहा था कि अंग्रेजी हाकिम इस जहाजी सफर को ध्वस्त करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, पर इसके बावजूद बाबा जी ने अपने यत्न जारी रखे और अंततः जहाज़ी कम्पनी के एक बयून नामक जर्मन ऐजंट से एक जापानी कम्पनी से कॉमागाटामारू नामक जहाज किराए पर ले लिया, चूंकि उन दिनों में इंग्लैंड और जर्मनी आपसी जंग पर तुले हुए थे, इस मामले में जर्मन ऐजंट की भूमिका को बाद में स्पेशल ट्रिब्यूनल के जजों ने इस जहाज़ी सफ़र की पृष्ठभूमि में जर्मनी का हाथ लेने की अशंका भी जताई थी।

जहाज़ का महीने का किराया 11000/- पौंड था और दो महीने का किराये का भुगतान पेशगी किया जाना तय हो गया था, अगले दो महीनों का किराया जहाज के रवाना होने को दो महीने बाद और आखिरी एक महीने का मालिकों को जहाज वापिस सौंपते वक्त प्रशिक्षित इन्जीनीयरों के मुआइने के बाद Passenger Officer से जहाज़ के लिए मुसाफिरी जहाज़ (Passegner Ship) होने का सर्टीफिकेट हासिल कर लिया गया।

जहाज़ी मुसाफिरों की सेहत की देखभाल के लिए एक इंडियन मैडिकल सर्विस के भूतपूर्व डाक्टर रघुनाथ सिंह का साथ जाना निश्चित हुआ।

नोटः- जैसा कि हम आगे चल कर देखेंगे कि यह नियुक्ति हिन्द सरकार की नपी-तुली चाल मुताबिक हुई थी, जिसने पहले दिन से ही जहाज़ी मुसाफिरों में बाबा गुरदित्त सिंह के विरूद्ध चोरी छुपे प्रचार करके कुछ मुसाफिरों को साथ मिला लिया और बाद में हर मुकाम पर धोखा दिया और दूसरे स्पलीमैंटरी लाहौर साज़िश मुकद्दमे दौरान सरकारी गवाह के रूप में ही पेश हुए थे।

अब जहाज़ सफर के लिए तैयार था, प्रबन्धक जरूरी सामग्री जैसे लंगर पकाने के लिए राशन, पानी, बर्तन, जहाज़ के लिए कोयला वगैरा लदाने लग गए; डाक्टर द्वारा प्रस्तावित दवाईयां आदि भी ले ली गई।

आम जनता की जानकारी के लिए 'पोस्ट ऑफिस शेड्यूल' अखबार में जहाज़ के 30 मार्च 1914 को वैंकुवर के लिए रवाना होने की सूचना जारी कर दी गई; अब अगर कुछ कसर बाकी थी, तो वह थी गर्वनर हांगकांग से रवानगी का 'आज्ञा पत्र' जो एक रस्मी जैसी कार्यवाही होती थी, पर यही मिल नहीं रहा था और बाबा जी द्वारा इस संदर्भ में भेजे गए प्रार्थना पत्र भी बेनतीजा रहे और अंततः तंग आकर उन्होंने गर्वनर के सैक्रेटरी को चिट्‌ठी लिखी, उसका भी कोई जबाब नहीं मिला।

27 मार्च 1914 को जब बाबा जी जहाज में सामान वगैरा लदवाने के काम में लगे थे, पुलिस सुर्प्रीडेंट किंग की कमान में पुलिस ने बाबा जी के गुरूद्वारे स्थित ठिकाने पर छापा मारा; बाबा जी का निजी कार्यालय भी गुरूद्वारे में ही था, जो स. वीर सिंह के चार्ज में था, पुलिस ने दफ्तर की भी अच्छी तरह तलाशी ली, पर कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। बाबा जी को यह इत्तलाह तब मिली जब वह बन्दरगाह पर थे; कुछ शुभचिन्तकों ने सुझाया कि बाबा जी 'इधर-उधर' हो जाएं, पर बाबा जी भी कोई कच्ची गोलियां खेलने वाले नहीं थे। वह 'खिसकू' नीति का प्रस्ताव ठुकरा कर रात के पिछले प्रहर दो बजे गुरूद्वारे लौटे तो उन्होंने देखा कि कैनेडा जाने वाले वहां ठहरे हुए यात्री घबराए हुए थे; बाबा जी ने उन्हें वाहेगुरू पर विश्वास रखने को कहा।

थोड़ी ही देर बाद दो पुलिस के सिपाही आए, उन्होंने बाबा जी को बताया कि सुप्रीडेंट पुलिस, पुलिस पोस्ट नं-2 पर कितनी देर से उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, बाबा जी ने बड़े आराम से खाना-पानी पिया और पुलिस वालों के साथ थाने की तरफ चल पड़े। और जाते हुए यात्रियों को ढ़ाढस बंधाते गए। उधर बाबा जी के मना करने के बावजूद यात्रियों में से कई यात्री बाबा जी के पीछे-पीछे चलते पुलिस पोस्ट तक जा पहुँचे।

खैर मामला तो रफा दफा हो गया पर दूरदर्शी बाबा जी ने भांप लिया कि दाल में कुछ काला जरूर है, तो उन्होंने एहतियात वश अपने वकील मि. हैरिस के माध्यम से गवर्नर को कानूनी नोटिस भिजवा दिया कि इस बेवजह देरी के कारण हो रहे काफी सारे फालतु खर्चों की भरपाई के लिए वह गवर्नर पर दीवानी दावा करेंगे। तीस मार्च का दिन भी निकल गया, जहाज़ उसी प्रकार समन्दर किनारे खड़ा था। गवर्नर के इस कठोर रवैये से हांगकांग के भारतीय निवासी उत्तेजित हो रहे थे, गुरूद्वारे के हरेक दीवान में इसकी चर्चा होती; यहां तक की जब इसकी भनक वहाँ तैनात फौजियों के कानों में पड़ी तो उनमें भी रोष की लहर दौड़ गई। खास करके 26 नबम्वर पंजाब रैजीमेंट के सिपाहियों को तो गुरूद्वारे जाने से रोक दिया गया। यहां ही बस नहीं हुई, कुछ ही समय बाद इस पलटन को वापिस अपने डिपू कराची भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि यह वही रैजीमेंट थी जो 19 फरवरी 1915 वाले ग़दर प्रयत्न के वक्त फ़िरोजपुर छावनी में तैनात थी और वहां करतार सिंह सराभा जैसे गदरियों का अड्डा था। ग़दर साजिश केस में कोमागाटा मारु के बखेड़े और इसका फौजी सिपाहियों पर पड़े प्रभाव का विशेष उल्लेख किया गया था।

अपने प्रोग्राम अनुसार तो जहाज़ ने 28 मार्च को हांगकांग से चलना था। पर हांगकांग का गवर्नर कैनेडियन सरकार से सलाह लेने का बहाना बनाकर पैसेंजर सर्टीफिकेट जारी करने से टाल-मटोल कर रहा था। उसने कैनेडियन सरकार को सूचित किया कि गुरदित्त सिंह नामक एक सिख यहां मार्च के आधे बीतने पर आया था जिसने गुरू नानक स्टीमशिप कम्पनी कायम करके एक जापानी कम्पनी से कॉमागाटामारू नामक जहाज किराए पर ले लिया है। इस जहाज़ ने 28 मार्च को वैंकुवर रवाना होना था, परन्तु मैं पैसेंजर सर्टीफिकेट जारी करने में देरी कर रहा हूँ; मुझे अब पता चला है कि मेरे पास सर्टीफिकेट देने से इन्कार करने का अधिकार नहीं है।

गवर्नर ने कैनेडियन सरकार से यह भी पूछा कि जिन मुसाफिरों के पास हिन्दुस्तान से वैंकुवर के लिए सीधी टिकटें नहीं, क्या उनको भी कैनेडा उतरने दिया जाएगा? पर जब उसे कैनेडा सरकार की तरफ से कोई माकूल जबाब नहीं आया तो उसने जरूरी सर्टीफिकेट जारी कर दिया। अब सर्टीफिकेट हासिल करके बाबा जी सीधे गुरूद्वारे की तरफ दौड़े, जहां सभी यात्री सांस रोके उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही जहाज़ी कमेटी के सैक्रेटरी दलजीत सिंह ने यह खुशखबरी सुनाई तो बेसाख्ता 'बोले सो निहाल' 'सत् श्री अकाल' के जैकारों से इसका स्वागत किया गया। बाबा जी ने उन्हें सफर सम्बन्धी जरूरी हिदायतें दीं और बताया कि जहाज़ आज ही चल पड़ेगा; मुसाफिरों ने भी कोई ढील नहीं की और अरदासों से शुद्ध कर जहाज़ का नाम रख लिया - 'गुरू नानक जहाज़'।

बाबा जी ने अपने तौर पर तो कुल 500 यात्री ले जाने का प्रबन्ध किया हुआ था, लगभग 360 तो हांगकांग में ही मौजूद थे; पर दूसरी तरफ सरकार के खुफिया ऐजंटों ने

अफवाह फैला दी कि वैसे तो जहाज को चलने ही नहीं दिया जाएगा और अगर चल भी पड़ा तो किसी न किसी बहाने इसको मंजिल तक नहीं पहुँचने दिया जाएगा। ऊपर बताई पुलिस छापे वाली घटना के कारण कईयों को इन अफवाहों में कुछ सच्चाई की झलक भी दिख रही थी और नतीजे के रूप में 350 में से सिर्फ 165 यात्री ही सफ़र के लिए दृढ़ रहे थे। बाबा जी ने इस कमी की पूर्ति के लिए सहायक सैक्रेटरी भाई वीर सिंह को एक तेज़ जहाज़ से शंघाई भेजा और स. हरनाम सिंह कहूटा को मनीला, ताकि वे वहां के इच्छुक यात्रियों को जापान की मोजी बन्दरगाह तक ले आएं।

8 अप्रैल सुबह जहाज़ शंघाई पहुँचा; यह चीनी शहर अंग्रेजों के अधीन था, जो बड़ा व्यापारिक केन्द्र भी था; यहां से काफी गिनती में भाव 111 यात्री जहाज़ पर सवार हुए; जहाज यहां पर 6 दिन तक टिका रहा; एक दिन यहां के गुरूद्वारे के दीवान में भाई दलजीत सिंह ने संगत को बाबा जी के साथ सरकार द्वारा हांगकांग में की गई ज्यादतियों के बारे में बताया, जहां कुछ पत्रकार भी मौजूद थे; उनको भी बाबा जी सारे हालात विस्तार से बताए, जो कई अखबारों में प्रकाशित भी हुए। एक अमेरिकन पत्रकार ने सरकार की नीच हरकतें खोल कर ब्यान की। बाबा जी ने इन अखबारों की कापियाँ लेकर पीछे हिन्दुस्तान और बाहर के भारतियों तक पहुँचा दी।

इस पड़ाव पर अमेरिका से गदर पार्टी का साहित्य भी पूर्वी एशिया के मुल्कों में पहुँचने लग पड़ा था, जो बड़े पैमाने पर मुफ्त बांटा जा रहा था, जिन के द्वारा हिन्दुस्तान में अंग्रेजी राज्य की 'बरकतों' की पोल खोली जा रही थी; खास करके 'गदर की गूंज' वाली कविताएं तो पूर्वी एशिया के सारे गुरूद्वारों के साप्ताहिक दीवानों में स्टेज से पढ़ी जाती थी, जिनको संगतों द्वारा भरपूर सहमति मिल रही थी। कई अनपढ़ों ने भी एक एक - दो दो कविताएं याद कर ली थी। जो मौका मिलने पर घरों, होटलों और महफिलों में सुनाई जाती थी। खैर! जहाज़ 19 अप्रैल को जापान की मोजी बन्दरगाह पर पहुँचा, जो शंघाई की तरह ही व्यापार का गढ़ थी; उधर जहाज़ की दूसरी किश्त का भुगतान भी करना था, जो कर दिया गया।

यहाँ कोयले का बड़ा भण्डार भी खरीद कर जहाज़ पर लाद लिया गया, जो 100 फीसदी मुनाफे पर कैनेडा में बेचा जा सकता था। सम्बन्धित जहाज़ कम्पनी का बड़ा दफ्तर भी वहां ही था; पर बुरी बात यह हुई कि जहाज़ का पहला कप्तान जो बाबा जी को पूरा सहयोग देता आ रहा था, बदल दिया गया और उसकी जगह पर एक यामामाटो नामक कप्तान थोप दिया गया, जो सारी यात्रा दौरान बाबा जी के लिए मुसीबत ही बना रहा और कदम-कदम पर उनके रास्ते में विघ्न ही डालता रहा।

यहां मनीला से आए 86 मुसाफिर जहाज़ पर सवार हुए। यहां भाई बलवन्त सिंह खुर्दपुर वाले भी जहाज़ पर सवार हुए, जिन्होंने कोबे बन्दरगाह तक बाबा जी के साथ ही

सफर किया, यहां से उन्होंने एक तेज़ रफ्तार जहाज़ पर सवार होने से पहले ही तार द्वारा वैंकुवर के भारतियों के हितों के रक्षक खालसा दीवान वैंकुवर को सूचना भेज दी कि "कोमागाटा मारु जहाज़ हिन्दी मुसाफिरों को लेकर पहुँच रहा है। उनके स्वागत की तैयारी की जाए और चन्दा भी इकट्ठा कर लिया जाए।"

इस घटनाक्रम का उल्लेख दूसरे सप्लीमेंटरी लाहौर साजिश केस के सरकारी गवाह डॉ. रघुनाथ सिंह की गवाही में विस्तार से किया गया है, जिसने यह भी बताया था कि उसने मुसाफिरों से सुना था कि बलवन्त सिंह अनुसार ''हिन्दुस्तान में हरेक शख्स सरकार का विरोधी है और भारतवासी विदेशी सरकार पर घातक वार करने की ताक में हैं।''

जहां तक ज्ञानी भगवान सिंह का सम्बन्ध है, उनको कैनेडा से तो निकाल दिया गया था, और उन्हीं दिनों वह मौलवी (प्रोफैसर) बरकतऊला भोपाली के पास योकोहामा ठहरे हुए थे। यह दोनों अमेरिका में गदर पार्टी दफ्तर तक पहुँचने की ताक में थे, क्योंकि बाबा सोहन सिंह 23 जुलाई को वहां से भारत के लिए रवाना हो चुके थे।

ज्ञानी जी ने भी बाबा गुरदित्त सिंह को कैनेडियन सरकार की तरफ से वहां रहने वाले हिन्दियों के साथ किए जा रहे घटिया व्यवहार के बारे में विस्तार से बताया, और खुद को वहां से निकाले जाने की पृष्ठभूमि का भी खुलासा किया, और यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में कैनेडियन और अंग्रेज सरकारों की मिलीभगत है। कैनेडियन सरकार ने यह तय कर रखा था कि एक भी भारतीय यहां घुसने नहीं देंगे। ऐसे हालात में कोमागाटा मारु के मुसाफिरों का वहां उतरना संभव नहीं लगता।

बाबा जी का जवाब था, ''मैंने तो वाहेगुरू पर भरोसा रख कर अपना पूरा जोर लगा देना है और मेरा अटल विश्वास है कि हम जो चाहते हैं, वह कानून के दायरे से बाहर नहीं, अन्दर ही है।''

ज्ञानी जी ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि ''मुझे इस मामले में कोई आशा की किरण नहीं दिख रही, बाकी परमात्मा के हाथ में है।''

बाबा जी बोले, परमात्मा न करे अगर कोमागाटा मारु को किनारे पर लगने नहीं दिया गया तो मैं बरतानवी राज्य का वास्तविक कुरूप चेहरा देशवासियों के सामने नंगा करूंगा और जिन शासकों की खातिर आप भारत के अन्दर और बाहर अपना जीवन दांव पर लगाते रहे हो, वह आपको कितना नीच समझता है।''

ज्ञानी जी ने अनुमोदन करते हुए कहा कि ''हां कुछ भी हो पर यह सुलूक अंग्रेजी राज्य के प्रति भारतियों के भ्रम के मकड़जाल को सिरे से नष्ट कर देगा।''

आखिर कोमागाटा मारु 376 मुसाफिरों के साथ प्रबन्धकों के द्वारा उनके नामों और पतों की सूची और तफ्सील दर्ज करके, उसकी एक प्रतिलिपि जहाज़ के कप्तान को सौंप 2 मई 1914 को योकोहामा से कैनेडा के लिए रवाना हो गया।

हक सच की आवाज - 'दी ट्रिब्यून' अख़बार की संपादकी टिप्पणी (तारीख 29 अप्रैल 1914) :-

चार सौ हिन्दुस्तानी

चार सौ हिन्दुस्तानी जिन में से बहुतायत सिक्खों की है, ने यह जानते हुए भी कि उन्हें जहाज से उतरने नहीं दिया जाएगा, शंघाई से वैंकुवर के लिए रवाना होने की खबर को इतना महत्त्व नहीं दिया गया, जितना कि दिया जाना चाहिए था। कैनेडियन सरकार ने प्रवास विभाग को कह दिया था कि इनको जहाज़ से उतरने नहीं देना। हिन्द सरकार की शायद यह धारणा है कि इन 400 भारतियों ने, यह जानते हुए भी कि कैनेडा सरकार स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि हमें और मजदूर-कारीगर नहीं चाहिए, फिर भी खामख़ाह क्यों मुसीबत मोल ली, पर सब से बड़ा सवाल तो यह है कि हिन्दुस्तानियों के बतौर अंग्रेजी प्रजा क्या अधिकार हैं? इन भारतियों ने बहुत खर्चीला और कठिन खतरा मोल लिया है और हम आशा करते हैं कि उन्हें वापिस भेजा नहीं जाएगा। ऐसा भेदभाव भरा कदम सरकार को महंगा पड़ सकता है और वक्त आ गया है जब कैनेडियन सरकार को यह 'लगातार सफ़र' वाली नाजायिज़ शर्त हटा देनी चाहिए। यही शर्त है जिस कारण सिखों को सरकारी विरोध का सामना करना पड़ा है और जो लोग इन बेसहारों पर दोष लगा रहे हैं, बेशक बुजदिल हैं, जिनमें इस छुपे हुए तरीके से बरतानवी साम्राज्य की प्रजा को सगे-सम्बन्धियों सहित वहाँ जाकर रहने से रोका जा रहा है, उसकी निंदा करने की जुर्रत नहीं रखते।

4
वैंकुवर - ज़ोर अज़मायश

जहाज़ 2 मई को वैंकुवर की तरफ चल तो पड़ा, पर इसके मिशन की कामयाबी के बारे में शंकाएं निर्मूल नहीं हो रही थी; कैनेडा वासी भारतियों को दिन-रात यही चिन्ता परेशान किए जा रही थी कि क्या किया जाए? इसी शंका के वशीभूत भारतियों के हितों के रक्षक खालसा दीवान ने वायसराय हिन्द से प्रार्थना की कि कैनेडियन सरकार से कहे कि इन मुसाफिरों को उतरने दें, किन्तु भारतीय सरकार का दो टूक जवाब था कि प्रवास के बारे में कैनेडियन कानून जग-ज़ाहिर हैं और इनसे ये मुसाफिर भी वाकिफ हैं कि कानून इनके प्रवास की आज्ञा नहीं देता।

कुछ मुसाफिरों की तरफ से खालसा दीवान को लिखित दरख्वास्तः-

" एक ओंकार श्री वाहेगुरू जी की फतेह, खालसा दीवान वैंकुवर, श्रीमान् जत्थेदार साहिब की सेवा में प्रार्थना है कि कृपा करके किसी भी कीमत पर हमें वापिस न किया जाए। हम (कोमागाटा मारु) के कुल खर्चे जो भी आप करोगे, जब तक हम आप का नौकरी करके अदा नहीं करेंगे, हम आप के गुलाम हैं। बार-बार आग्रह है कि हमें पीछे वापिस न किया जाए, हमें हर प्रकार की मदद करके उतार लीजिए। हम नीचे लिखने वाली सभी इकरार कते हैं कि हम (2000) डाले के लिए हर प्रकार से आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, चाहे तो आप हमारी पिछली जायदाद भी ले लीजिए।"

इन मुसाफिरों के नाम, विवरण और अंगूठे/हस्ताक्षर आदि इस प्रकार हैं :-

पहली सूची - खालसा दीवान के लिए

पहला पन्ना

	नाम	गाँव	जिला	तहसील	हस्ताक्षर
1	भाई सद्दा सिंह	चूहड़ चक्क	फिरोजपुर	मोगा	पंजाबी
2	बिशन सिंह सपुत्र भाई सद्दा सिंह				अंग्रेजी
3	इन्द्र सिंह	चड़िक चौबार	फिरोजपुर	मोगा	पंजाबी

4	सूबा सिंह	दूलों	लुधियाना	लुधियाना	पंजाबी
5	अरजन सिंह	ढंडे	जालन्धर	जालन्धर	पंजाबी
6	मित सिंह	बुघीपुर	फिरोजपुर	मोगा	अंग्रेजी
7	ईशर सिंह	संधुआ के मानुके	लुधियाना	जगराओं	पंजाबी
8	कर्म सिंह	जमशेर	जालन्धर	जालन्धर	पंजाबी
9	अमरीक सिंह	झंडियाना	फिरोजपुर	मोगा	पंजाबी
10	वीर सिंह	करबाठ	लाहौर	लाहौर	पंजाबी
11	रलहा सिंह	ढैपई	लुधियाना	लुधियाना	पंजाबी
12	नत्था सिंह	चकर	लुधियाना	जगराओं	पंजाबी
13	भजन सिंह	राजीआ	नाभा रियासत	धनौला	पंजाबी
14	पूरन सिंह	चौ?	लुधियाना	लुधियाना	पंजाबी
15	पूरन सिंह	सिधॅम	जालन्धर	कपूरथला	पंजाबी
16	सुंदर सिंह	काले	जालन्धर	फिल्लौर	पंजाबी
17	इन्द्र सिंह	रामा	फिरोजपुर	मोगा	पंजाबी
18	चंनण सिंह	वजीदके	पटियाला	बरनाला	पंजाबी
19	लछमण सिंह	मानोचाहल	अमृतसर	तरन तारन	पंजाबी
20	इन्द्र सिंह	सिधम	जालन्धर	कपूरथला	पंजाबी
21	बीना ? सिंह	घलौटी	पटियाला	पायल	पंजाबी
22	मेला सिंह	खुर्दपुर	जालन्धर	जालन्धर	पंजाबी
23	दान सिंह	अचरवाल	लुधियाना	जगराओं	पंजाबी
24	मल सिंह	लक्खा	लुधियाना	जगराओं	अंगूठा
25	गोधा राम	अचरवाल	लुधियाना	जगराओं	पंजाबी
26	वीर सिंह	कुलार	जालन्धर	नकोदर	पंजाबी
27	बख्शी सिंह	पंडोरी	लुधियाना	जगराओं	पंजाबी
28	पाखर सिंह	पंडोरी	लुधियाना	जगराओं	पंजाबी
29	झगड सिंह	सरावीं	फिरोजपुर	रियासत फरीदकोट	पंजाबी
30	हरनाम सिंह	मल्ला	लुधियाना	जगराओं	पंजाबी
31	राम चन्द	जंडोली	होशियारपुर	होशियारपुर	पंजाबी
32	मंगल सिंह	मिरजापुर	होशियारपुर	होशियारपुर	पंजाबी
33	गनेश सिंह	खानपुर	अमृतसर	अमृतसर	पंजाबी
34	भान सिंह	कोट राये बुड्डा	लाहौर	कसूर	पंजाबी
35	बिशन सिंह	दतेर	अमृतसर	तरनतारन	पंजाबी
36	टहिल सिंह	रानीवाला	अमृतरसर	तरनतारन	पंजाबी
37	टहिल सिंह	चौहाला	अमृतसर	तरनतारन	पंजाबी
38	वीर सिंह	गुड़े	लुधियाना	जगराओं	पंजाबी
39	फौजा सिंह	लाम के	अमृतसर	तरनतारन	पंजाबी
40	भान सिंह	लौहारवाला	अमृतसर	तरनतारन	पंजाबी
41	किशन सिंह	डल्ला	गुरदासपुर	बटाला	पंजाबी
42	इन्द्र सिंह	ददेहर	अमृतसर	तरनतारन	पंजाबी

पन्ना नं: 2

1	शीहां सिंह	भैल सिंह	अमृतसर	वैरोवाल	पंजाबी
2	बहादर सिंह	कलेर	अमृतसर	वैरोवाल	पंजाबी
3	जवंद सिंह	फतिहगढ़	अमृतसर	वैरोवाल	पंजाबी
4	बुधा सिंह	तुंगवाल	फिरोजपुर	नथाना	पंजाबी
5	नन्द सिंह	गंगा अंबोकी	फिरोजपुर	कोटकपुरा	अंगूठा
6	नौरंग सिंह	मुंडा	अमृतसर	मुंडा	अंगूठा
7	बघेल सिंह	पूरनीयां	लाहौर	वलटोहा	अंगूठा
8	भगत सिंह	पूरनीयां	लाहौर	वलटोहा	पंजाबी
9	किशन सिंह	मुंडा	अमृतसर	मुंडा	पंजाबी
10	मन्ना सिंह	ढोटीया	अमृतसर	ढोटीया	पंजाबी
11	सुरैण सिंह	पधाना	लाहौर	पधाना	पंजाबी
12	गनेशा सिंह	पधाना	लाहौर	पधाना	पंजाबी
13	मईया सिंह	पधाना	लाहौर	पधाना	पंजाबी
14	महैन सिंह	पधाना	लाहौर	पधाना	पंजाबी
15	पाला सिंह	बोपाराये	लुधियाना	बोपाराये	पंजाबी
16	नत्था सिंह	बोपाराये	लुधियाना	बोपाराये	अंगूठा
17	सुच्चा सिंह	सुरसिंह	लाहौर	सुरसिंह	पंजाबी
18	अर्जन सिंह	पालीया	लुधियाना	आबलू	पंजाबी
19	हरनाम सिंह	पालीया	लुधियाना	आबलू	अंगूठा
20	फुमन सिंह	संदोहा	पटियाला	मोड	पंजाबी
21	मंगल सिंह	धुन	अमृतसर	सरहाली	अंगूठा
22	ध्यान सिंह	घुमान	लुधियाना	रायेकोट	अंगूठा
23	चंनण सिंह	किशनपुर	फिरोजपुर	किशनपुर	पंजाबी
24	कुंदन सिंह	सराभा	लुधियाना	पक्खोवाल	अंगूठा
25	दलीप सिंह	मोरावाली	सियालकोट	मोरावाली	पंजाबी
26	हरबिशन सिंह	मोरावाली	सियाल	कोटमोरावाली	पंजाबी

27	पाला सिंह	लुहारा	लुधियाना	लुधियाना	पंजाबी
28	शिव सिंह	नानोके	अमृतसर	चिमियारी	हस्ताक्षर
29	किशन सिंह	ठीकरीवाला	पटियाला	बरनाला	हस्ताक्षर
30	केहर सिंह	रोडे	फिरोजपुर	बाघापुराना	अंगूठा
31	भाग सिंह	माडी समरा	लाहौर	खालड़ा	पंजाबी
32	अर्जन सिंह	जालड	शाहपुर	नौशहरा	पंजाबी
33	चंनण सिंह	तलवंडी (मंझूकी)	पटियाला	भदौड़	पंजाबी
34	दियाल सिंह	शादी हरी	पटियाला	दिड़बा	पंजाबी
35	सुंदर सिंह	बचौकी	गुरदासपुर	बटाला	पंजाबी
36	गेंदा सिंह	जसवाल	लुधियाना	जसपाल	पंजाबी
37	चंनण सिंह	?	फिरोजपुर	बुटर	पंजाबी
38	मल्ल सिंह	अचरवाल	लुधियाना	बसीयां	अंगूठा
39	प्रताप सिंह	?	फिरोजपुर	बाघापुराना	पंजाबी
40	प्रताप सिंह	नत्थोवाल	पटियाला	नत्थोवाल	अंगूठा
41	पूर्ण सिंह	बिंजल	लुधियाना	रायेकोट	पंजाबी
42	संतोख सिंह	कमालुपुर	लुधियाना	कमालपुर	अंगूठा
43	शेर सिंह	कमालुपुर	लुधियाना	कमालपुर	पंजाबी
44	मस्त सिंह	लीणा	लुधियाना	जगरावां	पंजाबी
45	काका सिंह	ताबा	लुधियाना	लुधियाना	पंजाबी
46	मुनशी	रामघौलीया	फिरोजपुर	मोगा	उर्दू
47	जाता सिंह	बोपाराये	लुधियाना	रायेकोट	पंजाबी
48	मस्तान सिंह	मूम	पटियाला	भदौड़	पंजाबी
49	हीरा सिंह	रामगढ़	पटियाला	भदौड़	पंजाबी
50	मित सिंह	खराज	फिरोजपुर	भाई की समाध	पंजाबी
51	आला सिंह	भरोवाल	अमृतसर	फतियाबाद	पंजाबी
52	गुरमुख सिंह	ललतो छोटी	लुधियाना	ललतो	बड़ीअंग्रेजी
53	शेर सिंह	कोट (सैदे?)	अमृतसर	अमृतसर	पंजाबी
54	करतार सिंह	मेली	जालन्धर	फराला	उर्दू
55	अमर सिंह	सानपुर	लाहौर	खरड़ा	पंजाबी
56	अमर सिंह	रूढ़ीवाला	अमृतसर	सरहाली	पंजाबी
57	बूड़ा सिंह	भेल	अमृतसर	सरहाली	पंजाबी
58	सुंदर सिंह	मितोवाल	अमृतसर	तिमोवाल	पंजाबी
59	केहर सिंह	खेमोवाल	फरीदकोटकोट	कपुरा	पंजाबी

60	पूर्ण सिंह	जनेतपुर	लुधियाना	जगरावां	पंजाबी

दूसरी सूची – जहाज के रिकार्ड की

एक और तरह की सूची - अंग्रेजी में - यकीनी तौर पर यह सूची जहाज के नियमित रिकार्ड का हिस्सा ही होगी, जिसका पहली सूची के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

क्रम	नाम	गाँव	जिला	हस्ताक्षर/अंगूठा
1	बखतावर सिंह	बुर्ज हरीके	पटियाला	अंगूठा
2	हरदित सिंह	ढंडे	संगरूर	अंगूठा
3	पूर्ण सिंह	घौलीया	फिरोजपुर	अंगूठा
4	सुंदर सिंह	खोटे	फिरोजपुर	अंगूठा
5	शेर सिंह	आलमवाला	फिरोजपुर	अंगूठा
6	मल्ला सिंह	जैमलवाला	फिरोजपुर	अंगूठा
7	भगत सिंह	राजियाना	फिरोजपुर	अंगूठा
8	केहर सिंह	रोडे	फिरोजपुर	अंगूठा
9	देवा सिंह	लोगोआना	फिरोजपुर	अंगूठा
10	रूड़ सिंह	लोगोआना	फिरोजपुर	अंगूठा
11	नारायण सिंह	रोडे	फिरोजपुर	अंगूठा
12	हीरा सिंह	तंगवाल	फिरोजपुर	अंगूठा
13	सरूप सिंह	बानावाला	पटियाला	अंगूठा
14	जीवन सिंह	बांदर	पटियाला	अंगूठा
15	सुच्चा सिंह	माछीके	पटियाला	अंगूठा
16	कर्ता राम	तुंगावाला	पटियाला	अंगूठा
17	शेर सिंह	--	--	अंगूठा
18	केहर सिंह	--	--	अंगूठा
19	गुरमुख सिंह	--	--	अंगूठा
20	रामजी	--	--	अंगूठा
21	हीरा सिंह	बांदर	पटियाला	अंगूठा
22	नंदा सिंह	--	--	अंगूठा
23	बिजला सिंह	जातरी	--	अंगूठा
24	शहजादा सिंह	अबलू	फिरोजपुर	अंगूठा
25	जैमल सिंह	सेखा	फिरोजपुर	अंगूठा
26	बचित्तर सिंह	खेडी	पटियाला	अंगूठा

27	संत सिंह	कपूरथला	--	अंग्रेजी
28	गज्जन सिंह	बुटर	फिरोजपुर	अंगूठा
29	खान मुहम्मद	जाबेह	शाहपुर	अंगूठा
30	कर्म इलाही	धनेर-पदावर	अंबाला	अंगूठा
31	पीर बख्श	नूरमहिल	जालन्धर	अंगूठा
32	कपूर सिंह	ख्याला	पटियाला	अंगूठा
33	पाला सिंह	जलालदीवाल	--	अंगूठा
34	महिमा सिंह	सिहाल	--	अंगूठा
35	सुंदर सिंह	जलोवाल	फिरोजपुर	अंग्रेजी
36	भगवान सिंह	आलमवाला	--	अंगूठा
37	बहाऊदीन	जाबिह	--	अंगूठा
38	पोहला	?	--	अंगूठा
39	कर्म लाल	झंडू	?	अंगूठा
40	समीर सिंह	सरहाली	अमृतसर	अंगूठा
41	पुरबा सिंह	बहादरगढ़	पटियाला	अंगूठा
42	अमीर मुहम्मद खाँ	लुधियाना	लुधियाना	अंग्रेजी
43	लाल सिंह	खियाली	लुधियाना	अंगूठा
44	दरबा सिंह	?	फिरोजपुर	अंगूठा
45	वजीर सिंह	रला	पटियाला	अंगूठा
46	पंजाब सिंह	कोटली?	जालन्धर	अंगूठा
47	ठाकर सिंह	उदोनंगल	अमृतसर	अंगूठा
48	मक्खन सिंह	लधेवा	अमृतसर	अंगूठा
49	किशन सिंह	छजलबड़ी	अमृतसर	अंगूठा
50	दियाल	ककड़	अमृतसर	अंगूठा
51	राम सिंह	दपड़	अंबाला	अंगूठा
52	हाकम सिंह	ननहेरीया	थाना खरड़, अंबाला	अंगूठा
53	नंद सिंह	सलाबतपुर	अंबाला	अंगूठा
54	केहर सिंह	पलो	अंबाला	अंगूठा
55	इन्द्र सिंह	भिखीविंड	लाहौर	अंगूठा
56	सुरजन सिंह			अंगूठा
57	शीहां सिंह	कोट दाता	अमृतसर	अंगूठा
58	केहर सिंह	अचरवाल	अमृतसर	अंगूठा
59	प्रेम सिंह	पंडोरी	पटियाला	अंगूठा

60	हरनाम सिंह	गुजरवाल	लुधियाना	अंगूठा
61	दलीप सिंह	वडाला	जालन्धर	अंगूठा
62	बदन सिंह	सलामतपुर	अंबाला	अंगूठा
63	हरनाम सिंह	पलगोटा	अमृतसर	अंगूठा
64	नौरंग सिंह	डलेवाल	लुधियाना	अंगूठा
65	शीहां सिंह	सरहाली	अमृतसर	अंगूठा
66	राम सिंह	मौड़	पटियाला	अंगूठा
67	जय सिंह	वहीला	पटियाला	अंगूठा
68	जहांगीर सिंह			अंगूठा
69	प्रताप सिंह			अंगूठा
70	चंदा सिंह	ठीकरीवाला	पटियाला	अंगूठा
71	बेशर सिंह?	खड्डी	पटियाला	अंगूठा
72	इन्द्र सिंह	लधेके	फिरोजपुर	अंगूठा
73	माल्हा सिंह	सेखा	फिरोजपुर	अंगूठा
74	मेवा सिंह	नक्कोवाला	फिरोजपुर	अंगूठा
75	अर्जन सिंह	महिना	फिरोजपुर	अंगूठा
76	प्रेम सिंह	जवॅदी	लुधियाना	अंगूठा
77	जैमल सिंह	लोंगेआना	फिरोजपुर	अंगूठा
78	ईशर सिंह	रौली	फिरोजपुर	अंगूठा
79	बचन सिंह	महिराज	फिरोजपुर	अंगूठा
80	गुरदित सिंह	कुलार	जालन्धर	अंगूठा
81	बेअंत सिंह	सलोन	--	अंगूठा
82	काबल सिंह	हरीपुर	--	अंगूठा
83	अमर सिंह	कालवां	कपूरथला	अंगूठा
84	दलीप सिंह	मूसापुर	जालन्धर	अंगूठा
85	रल्ला सिंह	महेडु	जालन्धर	अंगूठा
86	नर सिंह	रले	पटियाला	अंगूठा
87	हरनाम सिंह	संधवा	जालन्धर	अंगूठा
88	मोहा सिंह	महेड	जालन्धर	अंगूठा
89	रल्ला सिंह	लादपुर	जालन्धर	अंगूठा
90	हरनाम सिंह	कुंबापिंड	पटियाला	अंगूठा
91	गुरबख्श सिंह	भड़ौली	जालन्धर	अंगूठा
92	मोता सिंह	भड़ौली	जालन्धर	अंगूठा
93	सुरजन सिंह	खमानों	नाभा?	अंगूठा

94	काका सिंह	पाखड़ी	फिरोजपुर	अंगूठा
95	भाग सिंह	सहिमा	लुधियाना	अंगूठा
96	गेंदा सिंह	बाड़े	फिरोजपुर	अंगूठा
97	नर सिंह	जोगा	पटियाला	अंगूठा
98	शेर सिंह	टलेवाल	जालन्धर	अंगूठा
99	गुरमुख सिंह	वारी	फिरोजपुर	अंगूठा
100	भान सिंह	हरदोवाल	जालन्धर	अंगूठा
101	तारा सिंह	अलूणी मियानी	लुधियाना	अंगूठा
102	सुंदर सिंह	झिंगड़	जालन्धर	अंगूठा
103	गंडा सिंह	बल्ल	जालन्धर	अंगूठा
104	चेत सिंह	वडाली आला सिंह	पटियाला	अंगूठा
105	पाल सिंह	रूमी	लुधियाना	अंगूठा
106	कृपा सिंह	डरौली	जालन्धर	अंगूठा
107	नरैण सिंह	गोनियाना	फरीदकोट	अंगूठा
108	हज़ारा सिंह	पांछटा	जालन्धर	अंगूठा
109	पूर्ण सिंह	तदूके	फिरोजपुर	अंगूठा
110	मीहा सिंह	रायेपुर डब्बा	जालन्धर	अंगूठा
111	मुनशी	गुलपुर	होशियारपुर	अंगूठा
112	करतार सिंह	मूसापुर	जालन्धर	अंगूठा
113	भगवान सिंह	रायेपुर डब्बा	जालन्धर	अंगूठा
114	इन्द्र सिंह	बिंजों	होशियारपुर	अंगूठा
115	सुंदर सिंह	चिमना	लुधियाना	अंगूठा
116	चंदा सिंह	कोट फतूही	होशियारपुर	अंगूठा
117	लाल सिंह	जड़तौली	लुधियाना	अंगूठा
118	दान सिंह	फूलेवाल	लुधियाना	अंगूठा
119	बेला सिंह	कंचाबड़ी	अमृतसर	अंगूठा
120	कृपा सिंह	मीआंपुर	अंबाला	अंगूठा
121	मुनशा सिंह	चठेरी	पटियाला	अंगूठा
122	सुंदर सिंह	इच्छोगिल	लाहौर	अंगूठा
123	नंद सिंह	लहिरा	फिरोजपुर	अंगूठा
124	बरकत सिंह	संतपुरा	गुजरांवाला	अंगूठा
125	नारायण सिंह	संतपुरा	गुजरांवाला	अंगूठा
126	सुंदर सिंह	काले	जालन्धर	अंगूठा
127	लाल सिंह	--	--	अंगूठा

128	जवंत सिंह	कोट दाता	अमृतसर	अंगूठा
129	नारायण सिंह	लो.गोदवा	फिरोजपुर	अंगूठा
130	वजीर सिंह	बल्ला (भिखी)	पटियाला	अंगूठा
131	इन्द्र सिंह	ठीकरीवाला	पटियाला	अंगूठा
132	करतार सिंह	रायेपुर	जालन्धर	अंगूठा
133	हुकम सिंह	नत्त	जालन्धर	अंगूठा
134	सुरजन सिंह	बुरज गिल	नाभा	अंगूठा
135	मंगल सिंह	दयापुर	अंबाला	अंगूठा
136	राम रत्न	तंगवाली	फिरोजपुर	अंगूठा
137	बंसी लाल	तंगवाली	फिरोजपुर	अंगूठा
138	नाजर सिंह		लाहौर	अंगूठा
139	डोगर सिंह	कामोके-भाई फेरू	लाहौर	अंगूठा
140	वीर सिंह	रता गुदानी, कसूर	लाहौर	पंजाबी
141	बारू खाँ	ढोलेवाल	लुधियाना	अंगूठा
142	बेला सिंह	ककड़	लायलपुर	पंजाबी
143	सुरैण सिंह	पंडोरी वड़ैच	अमृतसर	पंजाबी
144	संता सिंह	कालेके	पटियाला	पंजाबी
145	बहादर सिंह	गिलांवाली	पटियाला	अंगूठा
146	अजैब सिंह	कसेल	अमृतसर	पंजाबी
147	संता सिंह	नंगल?	होशियारपुर	पंजाबी
148	तेजा सिंह	कसेल	अमृतसर	पंजाबी
149	संता सिंह	काद गिल	अमृतसर	पंजाबी
150	केहर सिंह	कोट दाता	अमृतसर	उर्दू
151	साधु सिंह	कोट दाता	अमृतसर	अंगूठा
152	किशन सिंह	जिऊनवाला	फिरोजपुर	पंजाबी
153	नरैण सिंह	धुन	लाहौर	अंगूठा
154	बग्गा सिंह	रामपुर फूल	पटियाला	पंजाबी
155	नंद सिंह	बलेर	लाहौर	पंजाबी
156	सेवा सिंह	फुरवाही	लुधियाना	अंग्रेजी
157	देवा सिंह	सेरों	अमृतसर	पंजाबी
158	चंदा सिंह	बीला	पटियाला	अंगूठा
159	बंता सिंह	ठठा	लाहौर	अंगूठा
160	आसा सिंह	कोट दाता	अमृतसर	अंगूठा
161	भगवान सिंह	मूसे	अमृतसर	अंगूठा

162	सुरैण सिंह	सरहाली	अमृतसर	पंजाबी
163	इन्द्र सिंह	घनीऐके बागर	गुरदासपुर	अंगूठा
164	अतर सिंह	घडका	अमृतसर	अंगूठा
165	वीर सिंह	झबाल	अमृतसर	अंगूठा
166	तारा सिंह	जमीयतपुर	अमृतसर	अंगूठा
167	बूटा सिंह	मानोचाहल	अमृतसर	अंगूठा
168	वधावा सिंह	पचकुआ	अमृतसर	अंगूठा
169	महिंगा?	बिंगा	सियालकोट	अंगूठा
170	नंद सिंह	सुरसिंह	लाहौर	अंगूठा
171	केहर सिंह	सोठा	फिरोजपुर	अंगूठा
172	सम्पूर्ण सिंह	नाथापुर टांडा	अंबाला	अंगूठा
173	हरनाम सिंह	खालड़ा	लाहौर	अंगूठा
174	नादर शाह	जालार	शाहपुर	अंगूठा
175	अनवर खाँ	जालार	शाहपुर	अंगूठा
176	फतिह शेर	जालार	शाहपुर	अंगूठा
177	सिरकड़ खाँ	जालार	शाहपुर	अंगूठा
178	यासीन	जालार	शाहपुर	अंगूठा
179	सिरकरू	जालार	शाहपुर	अंगूठा
180	रमजान (मिरासी)	जालार	शाहपुर	अंगूठा
181	कासिम	जालार	शाहपुर	अंगूठा
182	मियां मुहम्मद	जालार	शाहपुर	अंगूठा
183	जोवाया	जालार	शाहपुर	अंगूठा
184	हाजी	जालार	शाहपुर	अंगूठा
185	बेग अली	जालार	शाहपुर	अंगूठा
186	शेर अली खाँ	जालार	शाहपुर	अंगूठा
187	नूर मुहम्मद (नाई)	जालार	शाहपुर	अंगूठा
188	गौहर	उचाली	शाहपुर	अंगूठा
189	फकीर मुहम्मद	चायिकी	शाहपुर	अंगूठा
190	बशर दाद	चायिकी	शाहपुर	अंगूठा
191	गुलाब सिंह	जालार	शाहपुर	अंगूठा
192	हिदायत	बुटेवाल	शाहपुर	अंगूठा
193	रला	सुम	होशियारपुर	अंगूठा

जहाज़ 22 मई को वैंकुवर पहुँचा, जिसकी आमद की पूर्व सूचना पहले ही पहुँच चुकी थी। प्रवास विभाग की तरफ से किसी एक मुसाफिर को भी किसी कीमत पर उतरने से रोकने के लिए पूरी तैयारी की जा रही थी; पूर्वनिर्धारित नीति अनुसार जहाज़ को साहिल से काफी दूर अलग फासले पर एक नदी में रोक दिया गया और किसी को भी जहाज़ से उतरने या चढ़ने नहीं दिया गया, यहाँ तक कि नियमों के अनुसार जहाज़ के संचालक बाबा गुरदित्त सिंह को बन्दरगाह के मुखिया (Harbour Master) के पास जहाज के आगमन की सूचना देने के लिए भी नहीं जाने दिया गया।

केवल डॉ. रघुनाथ सिंह और उनके सिफ़ारशी 20 मुसाफिरों को कैनेडियन निवासी स्वीकार कर उतरने दिया गया, पर उसके खुशामदी भान सिंह को कथित तौर पर बाकी मुसाफिरों ने उतरने नहीं दिया।

स्थिति की पेचीदगी के मद्देनज़र बाबा जी ने अधिकारियों को उनके इस रवैये के कारण पहुँची हानि की भरपाई करने के बारे में कानूनी नोटिस दे दिया। सम्बन्धित अधिकारियों की तरफ से जबाब आया, ''तहकीकात जारी है, आपको सूचित किया जाएगा।''

पंद्रह दिन बीत गए, जिस दौरान मुसाफिरों का राशन-पानी भी खत्म होने को आ गया, क्योंकि किसी बाहर वाले को भी साहिल के नज़दीक फटकने नहीं दिया जा रहा था, न ही बाबा जी को बेचने के लिए लाया कोयला ही उतारने दिया गया। और तो और बाबा जी को वकील के साथ सलाह-मशवरा तक भी नहीं करने दिया गया और न ही पत्रकारों को मुसाफिरों से बातचीत करने की आज्ञा दी गई। बाबा जी ने लंडन स्थित भारतीय बस्ती के मुख्य सचिव तक पहुँच की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

इसी बीच वैंकुवर के भारतीय, मुसाफिरों को उतारे जाने के हक में लोक राय को लामबन्द करने लगे; भारी गिनती में भारतीय जिन में बहुतायत सिक्खों की थी, रोज़ मुसाफिरों के साथ एकजुटता दर्शाने के लिए साहिल पर इकट्ठे होते।

चंदे के लिए अपीलः-

अब चूंकि बाबा जी को बेचने के लिए लाए माल को उतारने नहीं दिया जा रहा, और उधर जहाज की 11,000 पौंड की दूसरी किश्त के भुगतान की समय सीमा पूरी हो रही थी, इसीलिए संबंधित दस्तावेजों में अपेक्षित तबदीली करके बाबा जी की बजाय खालसा दीवान सोसाइटी के प्रधान, भाई भाग सिंह और युनाइटिड इंडिया लीग के प्रमुख श्री हसन रहीम को जहाज़ का संचालक बना लिया गया जिससे उन्होंने इस हैसियत से किराए की रकम अदा करते हुए लोगों को विज्ञापन द्वारा चंदे के लिए याचना भी कर दी।

यह अपील इस प्रकार थी :-

एक ओंकार सतगुरू प्रसाद

सूरा सो पहचानीए जो लड़े दीन के हेत,

पुर्जा पुर्जा कट मरे कबहूँ न छाड़े खेत।

नीचे विस्तार सहित सम्बन्धित हालात का उल्लेख करते हुए स्थानीय भारतियों के सम्मुख आवाज़ दी गई है; कि ''इस वक्त यह सवाल हमारी जिन्दगी और मौत से मुठभेड़ कर रहा है, दुनिया की आँखें इस कोमागाटा मारु जहाज़ पर लग रही हैं, क्योंकि इस जहाज़ का फैसला दुनिया के इतिहास में एक अजीब यादगार रहेगा। हमारे लिए हिम्मत, संगठन, दिलेरी और मर्दानगी का वक्त आ गया है, क्योंकि उपलिखित बातों के मुताबिक यह हमारे लिए परीक्षा का आखिरी पर्चा है। सो हे मादरे हिन्द के सपूतो वक्त सचमुच ही परीक्षा का आ पहुँचा है, इसलिए अब बातों का समय नहीं बल्कि काम करके दिखाने का है, इस काम के लिए कम से कम पच्चीस हजार डॉलर की जरूरत है। सो आप इस फर्ज़ को समझते हुए इस पर्चे को देखते ही माया की खुली (भारी) मात्रा में कुर्बानी करो।

भाई बलवन्त सिंह जी भी जो कैनेडा के हिन्दुस्तानियों की तरफ से उनकी तकलीफों को दूर करवाने के लिए हिन्दुस्तान भेजे गए थे, वापिस आ गए थे। उन भाईयों के नाम जो इस जहाज़ में सवार हैं, नीचे प्रकट किए जाते हैं:-

(लिस्ट पन्ना 45 से 50 तक)

दूसरा विज्ञापन

'जहाज़ का सफर' शीर्षक अधीन जहाज़ के हिन्दुस्तान चलने सम्बन्धी हालात बयान किए गए थे और अन्तिम पंक्तियों में फिर चुनौती है ''एह हिन्दुस्तानी भाईयों तुम्हारा फर्ज़ है कि तेंतीस करोड़ हिन्दुस्तानियों की किस्मत का फैसला करने के लिए गफलत की नींद से जाग कर इमीग्रेशन के मुकाबले पर खूब डट कर तैयार हो जाओ, जब तक मोर्चा फतेह न हो जाए, आराम नहीं लेंगे।

माया का दान इस पते पर भेजे :-

Bhai Bhag Singh, Mr. Rahim, 1866,
2nd Ave. W. Vancouver, B.C.

नोटः- जिस भाई के गांव का या भाई बन्धु इस लिस्ट में हो, वह कम से कम 25 डाले भेजें और दूसरे भाई पांच डाले से कम न भेजें, ज्यादा जितना हो सके, भेजें।

मुसाफिरों की दुर्दशा

जहां पर मुसाफिरों के साथ बन्दियों जैसा बर्ताव किया जा रहा था, पर सरकारी प्रवक्ता मुसाफिरों पर किसी प्रकार की बन्दिश से इन्कार कर रहे थे। कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं था, जो उन दुखियों ने न्याय के लिए नहीं खटकाया, पर किसी ने उनकी खबर नहीं ली। उध ार वैंकुवर पहुँचते ही सरकारी ऐजंट डाक्टर रघुनाथ सिंह जहाज़ के मिशन के बारे में सारी जानकारी गुप्त तौर पर अंग्रेजी कठपुतली होपकिन्सन को बे-रोक टोक पहुँचा रहा था, जिसका निचोड़ था कि ''यह सब कुछ एक साजिश के तहत भारत में अपनी साख बनाने के लिए किया जा रहा है।'' इस बीच अंग्रेजी अफसरों को कैनेडा-अमरीका से गदर पार्टी की शुरूआत की पहुँच रही खुफिया सूचनाओं ने उनको और अधिक चौकन्ना कर दिया था।

होपकिन्सन ने अपने चार भारतीय चेले-चपाड़े जहाज़ में भेजे, जिन्होंने बाबा जी के विरूद्ध बुरा प्रचार करके दो-फाड़ करने की कोशिश की, जो सफल न हुई। और कोई चारा न देख कर कैनेडियन सरकार ने बन्दूक की नोक पर जहाज़ को बिना राशन पानी दिए वहां से खदेड़ने के लिए 18 जुलाई अर्धरात्रि के समय पुलिस फोर्स भेजी, जिसको मुसाफिरों ने कोयले की जवाबी 'बारिश' से जहाज़ पर पैर भी नहीं रखने दिया।

अखबारी टिप्पणियाँ

(क) 'दी ट्रिब्यून'

लाहौर : बुधवार, मई 20, 1914

कैनेडा में हिन्दुस्तानी

छः सौ हिन्दुस्तानियों के ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ, प्रवासी कानूनों के अनुसार सीध ो समुद्री जहाज़ द्वारा चले जाने के बारे में एक समकालीन का ख्याल है कि अगर इनमें से कई वहां कैनेडा पहले से रह रहे प्रवासियों की पत्नियां और बच्चे भी हैं तो संभव है कि उनको वहां उतरने की विशेष छूट दी जाए। परन्तु हमारे ख्याल से इस तरह मसला हल नहीं होगा और कैनेडा रहने वाले हिन्दी बीवी बच्चों के दाखले से ही सन्तुष्ट नहीं होंगे।

(ख) 'दी ट्रिब्यून'

लाहौर : शुक्रवार, मई 29, 1914

एक अंग्रेजी अखबार 'दी इंग्लिशमैन' के हवाले सेः-

'प्रवासी मसला'

600 पंजाबियों के कैनेडा में जबरदस्ती दाखिल होने के बहादुरी भरे प्रयत्न के मुद्दे पर यह अखबार स्वीकार करता है कि ''बरतानवी सरकार हिन्दियों के कैनेडा में प्रवास के मसले को हल करने में फेल हुई है। अखबार की राय अनुसार भारतीय प्रवासी आबादी

(कैनेडा) की सरकार की तरफ से प्रवासियों पर बेतुकी (सीधे सफ़र जैसी) शर्ते लगाने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ कैनेडा सरकार को किसी भी तरह समझा कर 600 मुसाफिरों के लिए कैनेडियन सरकार से उनके उतरने की इजाज़त मिलने से ही होगा।''

अखबार मुताबिक जरूरत तो इस बात की है कि एक शाही कमीशन (Imperial Commission) को फौरन यह काम सौंपा जाए, जो यह स्पष्ट करे कि अंग्रेजी सल्तनत के कौन से मुल्क में भारतीय जाने के हकदार हैं और कहाँ नहीं हैं। तथा वे किन जगहों पर बिना किसी रूकावट के जा सकते हैं।

(ग) 'दी ट्रिब्यून'

लाहौर : बुधवार, जून 03, 1914

कैनेडा में विदेशी

(नोटः- 'दी ट्रिब्यून' की इस संपादकीय टिप्पणी द्वारा भारतियों के कैनेडा में प्रवास के मामले में वहां की सरकार द्वारा हिन्दियों के प्रवेश पर लगाई गई बेतुकी पाबन्दियों का पर्दा-फाश करते हुए, उस सरकार पर तीखी नुकताचीनी की गई है।

इस टिप्पणी की पृष्ठभूमि है-लण्डन के एक अखबार 'दी टाइमज़' में कैनेडा की आबादी की बनावट, जिसमें कुल 72 लाख की आबादी में सबसे ज्यादा अंग्रेज, कुछ फ्रांसिसी और भारतीय केवल 2342 ही हैं। – लेखक)

'दी ट्रिब्यून' अनुसार अगर मान भी लिया जाए कि अब इनकी (भारतियों की) गिनती 8-9 हजार हो गई है तो भी यह उन सभी कौमों के मुकाबले मामूली है, जिनकी बरतानवी सल्तनत के प्रति वफादारी नाम मात्र भी नहीं है; और तो और एशिया में भी हिन्दियों के मुकाबले चीनी और जापानी कई गुणा ज्यादा संख्या में हैं।

हमारी बतौर बरतानवी प्रजा कहीं भी पूछ पड़ताल नहीं। सो कुर्बान जाएं पंजाब के महान सपूत सरदार गुरदित्त सिंह के, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, बतौर बरतानवी प्रजा हमारे जन्मसिद्ध अधिकारों की प्राप्ति के लिए मैदान में उतरा है। हर पंजाबी का फर्ज़ बनता है कि उनकी डट कर हिमायत करे।

(घ) 'दी ट्रिब्यून'

लाहौर : शनिचरवार, 6 जून, 1914

कैनेडा में संकट

लगता है कैनेडा सरकार ने पक्का इरादा बना लिया है कि कोमागाटा मारु का एक

भी यात्री उतरने नहीं देना, चाहे वह किसी भी प्रकार का सबूत पेश करे। यह भी बताया जाता है कि शायद जहाज़ को वापिस हांगकांग भेज दिया जाए; उधर मुसाफिर भी घबराए हुए हैं और उनमें से कई खतरनाक मनोदशा में हैं। इस 'खतरनाक मनोदशा' से क्या भाव है, अभी इस पडाव पर हम कुछ भी कहने की हालत में नहीं हैं। जहां तक वापसी की संभावना का सवाल है, सरदार गुरदित्त सिंह ने पहले दिन से ही इसे नजर अन्दाज नहीं किया था जबकि उन्होंने हमारी बरतानवी प्रजा की हैसियत से अधिकारों को परखने का बीड़ा उठाया था। पर इन हालातों में वह क्या करने जा रहे हैं, वो खास अहमियत नहीं रखता; बहरहाल हम पंजाबियों को सरदार गुरदित्त सिंह की इस बहादूरी भरी जद्दो जहद दौरान डट कर समर्थन करना चाहिए।

(ङ.) 'दी ट्रिब्यून'

लाहौर : बुधवार, 10 जून, 1914

छः सौ भारतियों की होनी

हमारे लिए यह समझ सकना बहुत मुश्किल है कि कैनेडा सरकार, सुप्रीम कोर्ट के 'निकाले जाने' (Exclusion) के विरूद्ध फैसले के बावजूद किस प्रकार भारतियों के प्रवेश को रोकना जायज़ ठहरा रही है। लार्ड हंटर द्वारा इस बारे में किए गए फैसले के बाद कानून में कोई संशोधन नहीं किया गया, लिहाज़ा वहीं फैसला आज भी कानूनी हैसियत रखता है, और मौजूदा सरकार का कोई भी कार्यकारी (Executive) आदेश उसकी उल्लघंन नहीं कर सकता; हालांकि वह अदालती फैसला ऐसे मुसाफिरों को केवल तीन महीने ही ठहरने की आज्ञा देता है जिस दौरान वह पक्के प्रवास के लिए याचना कर सकते हैं, पर किसी भी हालत में उनको दो टूक जवाब दे देना प्रवास कानून का घोर उल्लंघन है।

इसके अनुसार कैनेडियन सरकार की तरफ से मुसाफिरों को उतरने की आज्ञा देकर पक्के प्रवास के लिए कानूनी फरियाद का मौका दे देना चाहिए।

(च) 'दी ट्रिब्यून'

लाहौर : शुक्रवार, जून 19, 1914

कैनेडा में पंजाबी

हमें यह जान कर खुशी हुई कि पंजाब हिन्दू सभा ने, जिसके प्रधान सर पी.सी चैटर्जी हैं, कैनेडा के प्रधानमंत्री को तार भेजी है, जिसका मजमून है :-

''पंजाब हिन्दू सभा 600 हिन्दी मुसाफिरों को प्रवेश की आज्ञा न दिए जाने के विरूद्ध सख्त रोष प्रकट करती है।''

वैसे तो सभा को इस मामले में पहली पंक्ति में होना चाहिए था, परन्तु लगता है इनकी

कुंभकरनी नींद से इनको सार्वजनिक सभाओं, सिंह सभाओं और सिख दीवान की तरफ से पास किए गए प्रस्तावों ने जगाया है। आशा करते हैं कि सभा ने इस तार की नकलें हिन्द सरकार और लण्डन सरकार के सैक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को भी भेजी होगी।

(छ) 'दी ट्रिब्यून'

लाहौर : इतवार, 05 जुलाई 1914

टोरंटो-कैनेडा से एक पत्रकार ने दो-तीन उधर की अखबारों की तरफ से भारतियों के हक में की गई टिप्पणियों का खुलासा किया है, जिनकी राए में अंग्रेजी सल्तनत (Empire) की सलामती के लिए उसकी कुल प्रजा (Subjects) को सम्पूर्ण सल्तनत में आने जाने की आज़ादी होना लाजमी है। परन्तु अंग्रेजों के अधीन मुल्कों (Dominious) को प्रवास पर पाबन्दियाँ लगाने से नहीं रोका जा सकता और पश्चिमी साहिल (Pacific Coast) की तरफ ऐशियाईयों (Asiatics) की आ रही भीड़ पर रोक लगानी ही होगी; पर यह सोच केवल कुछ ही कट्टरवादी लोगों की है, न कि समूची कैनेडियन आबादी की, जैसे कि वहां दर्शाई गई टिप्पणियों से ज़ाहिर होता है।

(ज) 'दी ट्रिब्यून'

लाहौर : वीरवार, जुलाई 09, 1914

हेबियस कार्प्स पटीशन खारिज

विक्टोरिया-बी.सी. से तार आई है कि कोमागाटा मारु वाली हेबियस कार्प्स पटीशन खारिज हो गई है। अदालत ने इसको खारिज करते हुए कहा है कि ''ब्रिटिश नार्थ अमेरिका एक्ट द्वारा कैनेडा सरकार को पूरा इख्तियार है कि वह अंग्रेजी सल्तनत के किसी भी प्रवासी के प्रवेश पर रोक लगा सकती है। चाहे वह (यू.के.) इंग्लैंड का ही क्यों न हो।'' बेशक यह फैसला प्रवेश निषेधकर्ताओं (Exclusionists) के लिए बड़ी खुशखबरी होगा और उन्हें यह कहने का 'सुनहरी मौका' भी देगा, ''देखो जी, हम तो पहले ही कहते थे; पर बरतानवी सल्तनत की हिन्दी प्रजा के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण ही है; अभी तो फिर भी ले देकर उनकी उम्मीद भारत और अंग्रेजी सरकारों पर ही है कि वे उनके हक में व्यवहार करते हुए इस मामले में उनकी मुसीबतों का निवारण करें।

(झ) 'दी ट्रिब्यून'

लाहौर : शनिवार, जुलाई 11, 1914

गुरदित्त सिंह की नाकामयाबी

हमारी समझ के अनुसार कैनेडा की बड़ी अदालत की तरफ से गुरदित्त सिंह द्वारा

दायर की गई अपील के खारिज हो जाने पर भी गुरदित्त सिंह घबराया नहीं; याद रखने वाली बात है कि उसने यह खर्चीला अभियान यही परखने के लिए आरम्भ किया था कि ले देकर बरतानवी हुकूमत की प्रजा की हैसियत से हमारी बरतानवी प्रवासी - आबादियों में क्या कीमत है। जभी उसका जहाज़ बी.सी. के साहिल पर पहुँचा था तो उसने सरे-आम कहा था कि हम तो यहां यह आज़माने आए हैं कि हमारी क्या औकात है। इक्का-दुक्का भारतियों की आमद रोकने पर यह यकीन से नहीं कहा जा सकता था, जबकि बरतानिया की हिन्दी प्रजा को यहां 300 हिन्दियों को, उनकी सारी दलीलें सुनने के बाद भी उतरने नहीं दिया जाता तो स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी; अपनी औकात का अनुभव भी तो कुछ अहमियत रखता है, जिस आधार पर हम भारत लौट कर यह निर्णय कर सकेंगे कि आखिर यह व्यवहार कहां तक उचित है।

(ण) 'दी ट्रिब्यून'

लाहौरः मंगलवार, 23 जुलाई 1914

हमें लायलपुर के 'खालसा' अखबार से वैंकुवर से कोमागाटा मारु पर आधी रात 400 हथियारबन्द पुलिस द्वारा नाकाम हमले की सूचना मिली है, हालांकि यह पता नहीं लग सका कि कितने मुसाफिर मरे या जख्मी हुए हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पता नहीं इस तरह ताकत का इस्तेमाल करने की क्या मजबूरी थी, पर हमारी समझ अनुसार ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। फर्ज करो (जैसे कहा जा रहा है) कि जहाज की वहाँ आमद को कैनेडा सरकार ने चुनौती समझ लिया हो तो भी मुसाफिरों ने तो सच्चे दिल से अंग्रेजी सरकार के 1858 वाले इस ऐलान का सहारा लेकर ही ऐसा किया है, जिस द्वारा अंग्रेजी राज की कुल प्रजा को उसके राज्य के अधीन किसी देश में बराबर के हक हासिल होंगे; दूसरी तरफ अगर चीनी और जापानी अंग्रेजी इलाकों में प्रवास कर सकते हैं तो फिर हिन्दियों को क्यों निकाला जा रहा है।

18 जुलाई की झड़प बारे सरकारी प्रैस नोट – तारीख 20 जुलाई

''कोमागाटा मारु के कप्तान को पिछली रात स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि क्या वह 350 हिन्दियों के निर्वासन (deportation) के हुक्म की तामील कर रहा है या नहीं। कुछ ही समय पश्चात् उसने कह भेजा कि मुसाफिरों ने उसको ऐसा करने से जबरदस्ती रोक लिया है, इसलिए मदद भेजी जाए। सो कोई 160 पुलिस कर्मचारी और प्रवास अधिकारी बड़ी सी कश्ती में जहाज़ के पास पहुँचे, परन्तु जहाज़ी मुसाफिरों ने हर तरफ से कोयले के टुकड़े, लोहे के सरिए, मशीनरी के पुर्जों और कुल्हाड़ियों से पुलिसियों को ज़ख्मी कर दिया और कश्ती के शीशे भी तोड़ दिए। उनकी तरफ से कुछ फायर भी

किए गए पर पुलिस ने धीरज से काम लेते हुए जवाबी फायरिंग नहीं की; आखिर कोई पेश चलती न देख पुलिस आधी रात 2 बजे के करीब 20 ज़ख्मियों के साथ, जिनमें कश्ती का कप्तान भी शामिल था, जिसकी दो पसलियाँ टूट गई थी, वापिस आ गए, खुशकिस्मती से कोई जानी नुक्सान नहीं हुआ था।

''पुलिस की 'धैर्य वाली भूमिका' के लिए उनकी सरकार की तरफ से विशेष तौर पर प्रशंसा की गई।

''यह चाहते हुए भी कि भरसक हिंसक कार्यवाही से गुरेज़ किया जाए, सरकार ने तय कर रखा है कि कानून का पालन हर हाल में सुनिश्चित कराया जाएगा; तदुनसार सरकार जरूरत पड़ने पर (युद्धपोत) रेनबो (Rainbow) का प्रयोग भी कर सकती है जिस से जहाज़ को काबू करके मुसाफिरों को हथकड़ियां लगाई जाएंगी, ताकि वे पुलिस पर हाथ न उठा सकें।''

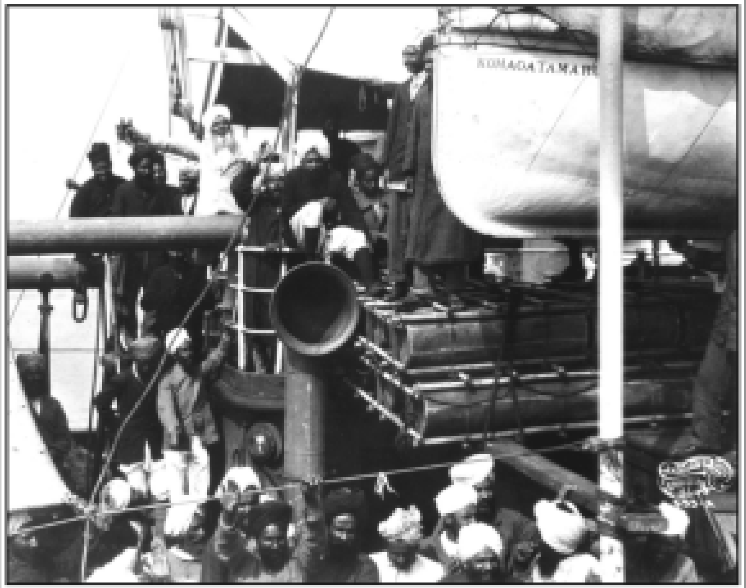

बाबा गुरदित्त सिंह दूरबीन के साथ...

फिर क्या हुआ?

20 जुलाई की रात मुसाफिरों ने कैनेडा सरकार के होम मनिस्टर को तार दी कि ''हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस ने हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया। प्रवास अधिकारी हमें बिना राशन-पानी के जबरदस्ती वापिस भेजने पर तुले हैं। अगर दो दिन में कोई फैसला न लिया गया तो पुलिस हमें खत्म कर देगी, और आप इसके लिए जवाबदेह होंगे। हम जबरदस्ती वापिस जाने से मर जाना बेहतर समझेंगे। हमारे मरने के बाद फिर सोच-विचार के लिए क्या बच जाएगा?

रेनबो (Rainbow) भेजने की तैयारियां – कैनेडा के गवर्नर-जनरल ने आदेश दिया है कि हर हालत में इन भारतियों को यहां से निकाल बाहर किया जाए। इसलिए रेनबो का प्रयोग किया जाए और आवश्यकतानुसार फोर्स वैंकुवर से मंगवा ली जाए। – (21 जुलाई)

जनता का क्रोध

स्थानीय भारतियों के कानों में इसकी भनक पड़ते ही सैंकड़ों लोग साहिल पर एकत्रित होने लग पड़े, और उनके हाव-भाव भी सरकार को भयभीत करने लगे, उधर कोई पेश न चलती देख, बेवजह खून-खराबे को टालने के लिए हसन रहीम ने जहाज़ी मुसाफिरों से सलाह-मशवरा करने की आज्ञा मांगी।

यह भी बताया जाता है कि सरकारी रवैये में 'नर्मी' का कारण यह भी था कि खुफ़िया जानकारी के अनुसार वैंकुवर के कई हिन्दियों ने ऐलान कर दिया था कि अगर उनके हमवतनों पर कोई हमला किया गया तो वह सारे शहर में रातों रात मिट्टी का तेल छिड़क कर शहर को खाक कर देंगे।

अंततः ले देकर मुसाफिरों को अपेक्षित राशन सामग्री और कुछ वापसी का खर्च मुहैया करवा कर 23 जुलाई सुबह जहाज़ को वैंकुवर से रवाना कर दिया गया।

सरकार का इकबालिया बयान

सरकारी कोमागाटा मारु कमिशन की रिर्पोट में कुबूल किया गया है कि, ''वैंकुवर पहुँचने पर मुसाफिरों को कैनेडा में दाखिल होने की आज्ञा नहीं दी गई और वे दो महीने वहां उतरने का असफ़ल प्रयत्न करते रहे। इस दौरान उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा और कितनी देर वे अन्न-पानी से भी महरूम रहे। आखिर उनको लाख-डेढ़ लाख रूपये इस यात्रा पर खर्च करके वापिस लौटना पड़ा।''

'दी ट्रिब्यून'

लाहौर : शनिचरवार, जुलाई 25, 1914

कोमागाटा मारु का अंजाम

अभी-अभी पहुँची खबरों के अनुसार कोमागाटा मारु वाले पंजाबियों ने कैनेडा सरकार की तरफ से उनको वापिस भेजने के फैसले का विरोध समाप्त करके, वापसी का खर्च लेकर वापिस जाना स्वीकार कर लिया; लगता है गुरदित्त सिंह और उसके सहयोगी इस फैसले अनुसार वापसी सफ़र के लिए राज़ी हो गए हैं, और मुसाफिर कुछ हफ्तों बाद वापिस भारत लौट आएंगे। उधर बरतानवी सरकार ने दक्षिणी अफ्रीका में बसे हिन्दियों को वहाँ बसाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, पर हमें लगता है कैनेडा के मामले में अंग्रेज सरकार ने अपनी प्रजा को उस सरकार के रहम पर ही छोड़ दिया होगा।

बुरे हाल महीने दे बाद जा के, आया नज़र कैनेडे दा बार सानूं।
अग्गे रंग मौला वाले होर देखो, दुख मिलन लग्गे बेशुमार सानूं।
दो तिन्न मील शहरों बाहर खड़ा कीता, पैहरे खूब लाए बेशुमार सानूं।
उतर सकदे ना खूब कैद कीते पाणी विच पक्के जंदे मार सानूं।
लग्गी खबर कैनेडे दे हिन्दियां नूं, आए मिलन हो तैयार बर तैयार सानूं।
करके बोट किराये ते वीर साडे, आए मिलन समुन्दर विचकार सानूं।
औंदे देख भरावां नूं जोश आया, दिलों खून आया जोश मार सानूं।
भारत वर्ष दे नाम दे मार नारे, दूरों रहे सन सैंनतां मार सानूं।
पकड़ लए पुलिस दे बोट ने आ, खबर नहीं सी की इसरार (भेद) सानूं।
बातचीत नहीं करन दा हुक्म तुमको, ऐह केहा गोरे हाक मार सानूं।
असीं पुछेआ असां की खून कीता, करड़ा हुक्म क्यों लाया सरकार सानूं।
चुप रहो बदमाश। जवाब आया, आह! फिर गई दिल विच तार सानूं।
भला कर की सकदे सां उस वेले, शेर बन्द सां जिंदरे मार सानूं।
सुक्के नहीं जांदे ऐस हद विचों, दिसे जुल्म दे ऐन आसार (निशान) सानूं।

बोट पकड़ लै गए भाईयां औदेयां दा, गोया जीऊंदेयां नू गए मार सानूं।
न ओ मिले न कीत्तीयां मूल गल्लां, रहे दिलां दे दिली गुबार सानूं।
यारो बिना कसूर दे बन्द कीते, शैद समझेया की डाके मार सानूं।
न कोई पुछदा ते न कोई दसदा ई, दिसे जुल्म दा अन्ध गुबार सानूं।
आखिर तोर विक्टोरियों लिया बेड़ा, अद्धी रात काली धुंधुकार सानूं।
न कुछ पुछेया हाल निमाणेयां दा, दसन नहीं लै चलो किस बार सानूं।
दूजे रोज़ वैंकुवर आन पहुँचे, दूर खड़ा कीता बाहर वार सानूं।
पंज सत्त हजार गज फासले ते, कीता बन्द पाणी विचकार सानूं।
पहले विच जहाज दे वाड़ दित्ते, बाहर बोट लाए पहरेदार सानूं।
किस नूं दसीए दुख दा हाल यारो, कोई पुछदा न गमखुआर सानूं।
बातचीत करनो आप बन्द कीता, खूब टक्करी नेक सरकार सानूं।
बेड़ी विच आ के कोई नहीं मिलसी, कहा हिन्दियों तुसां ललकार सानूं।
कण्डे जाऊने दा यारो हुक्म नहीं, लाया हुक्म करड़ा सरकार सानूं।
पानी अन्न मुका, लंगर मस्त होएया, कोई पुछदा न खबर सार सानूं।
पानी पीण नूं न अन्न खाण नूं न, रहा मस्त लंगर दिन चार सानूं।
यारो विच परदेस दे सुरत आवे, फाके कटने पए कई बार सानूं।
पए दुख ते दुख हजार सहने, आह बिना यारो - मददगार सानूं।
न ते आप दिंदें ते न लैण देंदे, राशन भाईयां ते करदे लचार सानूं।
राशन हिन्दियां दा गर्वमेंट देवे, हत्थी अपणी वाह! करे प्यार सानूं।
हिन्दी होण न जे विच वैंकुवर, ज़ालिम ठीक दिंदे भुखे मार सानूं।
वांग कुकड़ां दे सानूं बन्द कीता, शायद समझेया ई वफ़ादार सानूं।
इक दिन देण राशन सत्त दिन बन्द रखण, दिंदे दुख बेतरस हजार सानूं।
चिट्ठी भेजदे तां बाहर नहीं दिंदे, पाड़ कहन भुल्ल गई विचार सानूं।
नाले विच्च अखबारां दे लिखन झूठा, बड़े खुशी हन तैयार बर तैयार सानूं।
रौला पौण आखर हिन्दी करन कुनके(कड़ाह प्रसाद),विच्चे विच्च दित्ता भुखे मार सानूं
यारो रहम इन्साफ कानून कुछ ना दुखी करन दिन रात बिसी यार सानूं।
इक दिन गुंदना गुंदेया जालमां ने, लग्गी मूल नाहीं खबर सार सानूं।
अध्धी रात वेले धावा उठ कीता, कहन छड्डना नहीं, देना मार सानूं।
असी केहा मुड़ जावांगे देवो राशन, सच्चे करो खां कौल इकरार सानूं।
कौन पुछदा है चड़ेया जोश सानूं लग्गे करन सिर ते मारो मार सानूं।
फौजी चार सौ बन्दे ते रात अध्धी, शस्त्र पहन आए करन बाहर सानूं।
असीं समझेया मरन भलेरड़ा ऐ, मतां देणगे ऐह हत्थीं मार सानूं।
किवें पहुँचांगे राशन कोल है नहीं, लम्बा पंध जापान विचकार सानूं।
इक भुख प्यास दे मारे होए सां, होर दुःख पै गए बे-शुमार सानूं।

अब तो खात्मा होएगा इसी थां में, हर्थी आप पहली गोली मार सानूं।
जदों बिच जहाज़ दे वड़न लग्गे, दित्ते रोक मतां करसन खुआर सानूं।
साडे हत्थ खाली उहना कोल शस्त्र, आए मारने नूं नीयत धार सानूं।
असीं सोचेआ मरे हुन दोहीं पासीं, जे ना लड़े तां भी देसन मार सानूं।
एहो सोच के खालसा तैयार होएया, करने कोलेयां दे पए वार सानूं।
हिन्दू सिख उठो बच्चे ग़ाजियां दे, यारो खून आया जोश मार सानूं।
उठे शेर जवान पठान बांके, अग्गे हो लड़दे धक्के मार सानूं।
आहा कॅठ कीता डाहडा हिन्दियां ने, कौमी खून आया जोश मार सानूं।
इक दूसरे ते अग्गे होए लड़दे, सद्दे मौत दूरों हाकां मार सानूं।
पहले हत्थ सटीम दे पम्प छुट्टे, उत्ते हिन्दियां दे धुंए धार सानूं।
असां रखेया सीस नूं तली उत्ते, केहड़ा सकदा सी भला मार सानूं।
गोरे चड़न न दित्ते जहाज़ उत्ते, तां फिर गोलियां दे कीते वार सानूं।
अग्गे होए ओ गोलियां मारदे सन, जेहड़े दिसदे सन डाहडे यार सानूं।
असीं कोलेयां नाल जवाब दित्ता, नजर आ गई भेड़ां दी हार सानूं।
जख्मी हो गए कई जवान भावें, ऐपर जित्त दित्ती करतार सानूं।
अध्धी रात साडे उत्ते होऊ धावा, इस गल्ल दी सीगी की सार सानूं।
शहर विच मारो मारो पवे रौला, सारा हाल दिसे सुबह-सार सानूं।
सद पलटनां तैयार बर तैयार हो गए, आदम नज़र आवे बेशुमार सानूं।
पई लिशकदी तेग पर तेग दिसे, रोके दिसन वीरो चारे बार सानूं।
सद बोट लड़ाई दे जमा कीते, मौत पई तक्के झाती मार सानूं।
खबर नहीं कित्थों आदम टुट आया, खड़े देख दे लोक हजार सानूं।
किंग जारज, ताईं असीं तार भेजी, रख जानदा जे वफादार सानूं।
तारां भेजियां डिऊक कनाट वलों, असी मरदे हां बिना मददगार सानूं।
असीं सोचांगे तुसां दे हाल वलों, ऐह जुआब देवे सरकार सानूं।
असीं मर रहे ते उधर सोच होवे, बस दिस ए भैडे आसार सानूं।
असीं तार पर तार खड़काऊन लग्गे, अज्ज सांभे अंग्रेजी सरकार सानूं।
हम टो कुछ नहीं कर सकदे मदद टुमारी, एह जवाब आया आखरकार सानूं।
यारो कहा अंधेरी ने जोर पाया, चारों तरफ दिस्से धंदूकार सानूं।
हर इक तरफ तैयारियाँ मारने दियां, कोई दिसदा नहीं मददगार सानूं।
लक्खां कट मुसीबतां असीं आए, अग्गे दुख ते दुख हज़ार सानूं।
कोई सुने न असां निमानेयां दी, हर एक करे दुरकार दुरकार सानूं।
जिस दे लई जानां बेच रहे लडदे, भुल गई अंग्रेजी सरकार सानूं।
तोपा बीड़ियां असां निरदोसियां ते, दिंदे दुख डाहडे सितमगर सानूं।
असीं तिन्न सौ बिना हथियार हिन्दी, मारन आ गए कई हजार सानूं।

केहड़ा जम्मिआ सी सानूं मोड़ दिंदा, गवर्नमैंट हुंदी मददगार सानूं।
की सी ताकत कैनेडे की बोलने दी, जे फरंग ना करदा खुआर सानूं।
मुद्दा अज्ज सारा भेद जहर होएआ, देवे दुख एह आप बदकार सानूं।
काबुल विच भाईयां नाल असीं लड़दे, भुल्ली नहीं चतराल दी वार सानूं।
असीं चीन अफरीका नूं फतेह कीता, साडे करतबां ने लेआ मार सानूं।
भाईयां नाल लड़के असीं वैर पाया, भरनी पई कीती साडी कार सानूं।
खा खा गोलियां राज नूं कायम कीता, ज़ालम नज़र आया दगेदार सानूं।
खून सुकेआ नहीं साडा ज़िमी ऊतों, पए दुख सी जो बेशुमार सानूं।
जानां बेच बैठे यारो भंग भावे, वीरो अज्ज लगी खबरसार सानूं।
यारो जिऊने दा काहदा हज साडा, दुरे दुरे करदा संसार सानूं।
साडा हक की ऐ मुल्कां दूजेयां बिच, मुल्क बिच लगण धक्के चार सानूं।
आपे करे इज्जत सारा देश साडी, मुल्की राज होवें खुद मुख्तार सानूं।
साडा राज होवे साडा भाग होवे, फेर करे हर इक क्यों न प्यार सानूं।
फायदा नहीं दूजे देसीं आऊने दा, लभी अज्ज है ठीक विचार सानूं।
पैसा बहुत यारो साडे देश अन्दर, लुटी जावे फिरंगी सरकार सानूं।
विद्वान रूलदे जेहलां बिच साडे, करनी मिले न हाल पुकार सानूं।
लखां जंग कीते खातर दुश्मन दी, तांही पई बाज़ी विचों हार सानूं।
जेकर बोलदे हां बागी कहण सानूं, जरा पुछदे नहीं खबर सार सानूं।
भुखे मरदे हां काल प्लेग पाई, करदे देस परदेस खुआर सानूं।

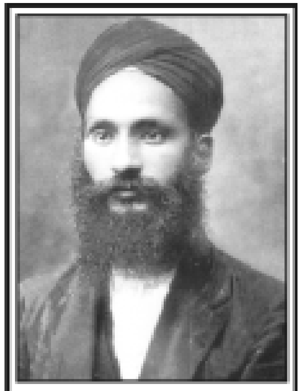

मुन्शा सिंह 'दुखी'

(गदर दी गूंज) से ले. मुनशा सिंह दुःखी

5

उल्टे पैर वापसी : सरकार की सांस में सांस आना

हिन्दोस्तानिओ हुण केही देर लाई, दुश्मन कई कर चुक्का है वार सानूं।
चलो गदर करीए चल मुल्क अन्दर, लगी अज्ज पंजाबिओ सार सानूं।
मार मार भरावां ने आण लाहे, आई जरा न यारो विचार सानूं।
खा खा गोलियां लड़े फिरंग खातिर, यारो लिया भुलेखे ने मार सानूं।
आओ हिन्दियों हुण रल के गदर करिए, होणा गदर बिन नहीं छुटकार सानूं।
पढ़ने सुनण वाले हिन्दोस्तान वीरो, कोई दस्स खां नेक विचार सानूं।
साडे वीरनो तुसीं बेखतर रहना, असीं अपने हत्थ दिखा दियांगे।
जिवें असां नूं ऐनी तकलीफ दित्ती, मजा ऐस दा असीं चखा दियांगे।
सेधां कीत्तियां असां ने देस वन्नी, चलके मुल्क अन्दर डेरा ला दियांगे।
चुपचाप नहीं बैठदे देख लैणा, आफत कोई न कोई लिया दियांगे।
असीं तली पर रखेया सीस अपणा, केरां हिन्द विच गदर मचा दियांगे।
जिऊंदी जान नहीं कदे वी पिछां हटदे, जिनां जोर लगु वाह ला दियांगे।
करदे मिन्नत नहीं असीं बदमाश दी हुण, डण्डा मार के मुंह भुवा दियांगे।
धन लग चुका मन भी हुई ऐथे, रहिंदा सीस बाकी ऐह भी ला दियांगे।
हुण नहीं वफादारी वाले गीत गौंदे, चल देस अंदर रौला पा दियांगे।
कन्नों फड़-फड़ के ज़द बाहर कढे, असीं अपणा जोर दिखला दियांगे।
कत्ल आम कीती जदों पाजियां दी, तदों जुल्म दा सबक सिखला दियांगे।
जुबां कट फरंग दी सुट्ट देईए, काला लोक, बस कहनों हटा दियांगे।
जिन्नां अज्ज साडे नाल जुल्म होएया, गिण गिण दूणियां नूं बिले ला दियांगे।
सानूं कसम शरीर दी हिन्द वीरो, जिन्नां जुल्म होएया बटा लाह दियांगे।
हिन्दी मरे नहीं है अजे जिन्द बाकी, सारे जग नूं साफ दिखला दियांगे।
नहीं बाप दादे वाले खून सुक्का, वीरो पता फरंग नूं ला दियांगे।
सानूं विच मैदान दे खड़े समझो, पाजी बकरे वांग झटका दियांगे।
मुसलमान, हिन्दू, सिख रल सारे, बेइमान दा बीज मिटा दियांगे।
असीं जिऊंदे हां बचे गाज़ीयां दे, बदला तुर्की, ईरान दा लाह दियांगे।
मुसलमान हिन्दू जिवें पाड़ मारे, जल्दी पता फरंग नूं ला दियांगे।

उठो हिन्दियों तैयार बर तैयार हो जाओ, असीं अपणी ड्यूटी बजा दियांगे।
'दुखी' मिटण वाले दाग नहीं साडे, कढे बोल जुबानों निभा दियांगे।
(गदर दा सिपाही इक दुखिया मुसाफिर, 6-13-1-20 अक्टूबर 1914)
'गदर दी गूँज' में से; लेखक : (बाबा) मुनशा सिंह 'दुखी'

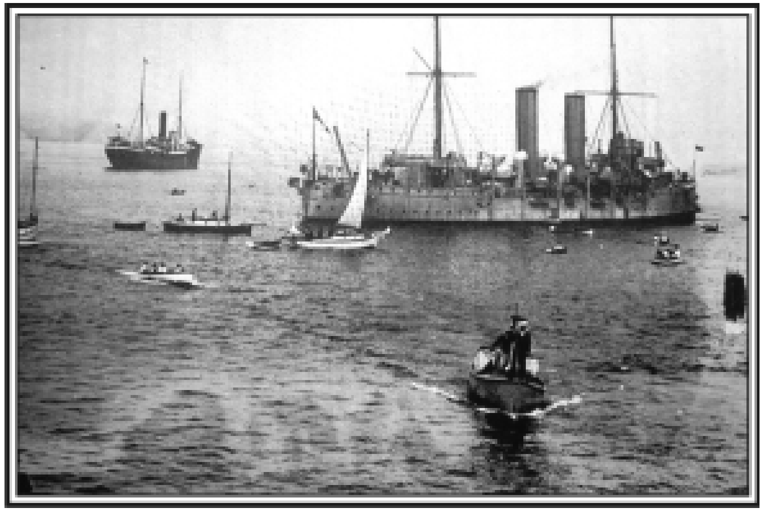

दो महीनों की जद्दो जहद के बाद मुसाफिरों को वैंकुवर से 23 जुलाई 1914 को सुबह 5:30 बजे केवल वापसी सफर के लिए राशन-पानी देकर वापिस भेज दिया गया; राशन पानी की इस अदना सी रियायत को भी हाकिमों ने बाद में इस प्रकार प्रचारित किया कि इस उपलब्धि ने इन कृतघ्न भारतीयों को इतना सिर पर चढ़ा दिया कि वे सरकार से लोहा लेने के सपने देखने लगे।

वैसे बात अगर यहीं खत्म हो जाती तो भी शायद मुसाफिर इसको कुछ समय पश्चात् भूल गए होते और देशवासी भी इसको उस शिद्दत से याद नहीं रखते, दूसरे शब्दों में अगर इनको 23 जुलाई के बाद अपने हाल पर छोड़ दिया जाता तो बहुत संभव था कि इनमें से कुछेक ही सीधे भारत लौटते; उसका कारण यह था कि इनकी जेबें लगभग खाली थी, और अधिकांश ने तो कर्ज़ लेकर, जमीन-जायदाद और गहने गिरवी रख कर यात्रा के खर्च का जुगाड़ किया था और पीछे छूटे परिवार को यह आशा थी कि ये कैनेडा पहुँच कर न सिर्फ कर्ज आदि चुकाने का इंतजाम करेंगे बल्कि सारी उम्र इनको पैसे की कमी नहीं रहेगी; सो अब ये लोग किस मुंह से घर लौटते और लोगों को यह कहने का मौका देते। जैसा कि गांवों में लाग-डाट का आम व्यवहार है तो इनको तो उलाहनो-तानों ने ही

जीने नहीं देना था।

सो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इनके साथ तो वही हुआ 'घर के रहे न घाट के' और ले देकर सरकार को भी शरमिंदगी का ही मुंह देखना पड़ा।

सरकारी अतीत दर्शन

दिसंबर 1914 वाली उच्च स्तरीय जांच कमेटी के शब्दों में:-

> ''23 जुलाई के समय मुसाफिर इतने ज्यादा भड़के हुए थे कि वे विद्रोह के लिए तत्पर थे। उनमें से अधिकांश गरीब थे और सब कुछ बेच-बाच कर वे चार-चार, पांच-पांच सौ रूपये लगा कर यहाँ पहुँचे थे। वे इस विश्वास से यहां आए थे कि सरकार उनके पीछे संबल है, परन्तु अब लगभग चार महीनों की, कोमागाटा मारु की घुटन-गन्दगी भरे माहौल में नजरबंदी के बाद उनको वापिस जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसलिए उस पड़ाव पर उनकी विद्रोही भावना को समझना कुछ मुश्किल नहीं लगता। जहां तक गुरदित्त सिंह की भूमिका का सवाल है, इससे पहले चाहे उनका हिन्द सरकार के बारे में कुछ भी नजरिया रहा हो, कम से कम इसके बाद से उन्होंने सरकार के विरूद्ध जहर उगलना शुरू कर दिया; चाहे वह अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए ही ऐसा कर रहा हो, पर उसने अपना खेल बिगड़ने का सारा दोष सरकार के माथे मढ़ना ही सरल समझा। मुसाफिरों की बागीपन प्रवृति को भांप कर कैनेडियन हाकिमों ने जहाज़ के कप्तान को मुसाफिरों के संभावित हमले से बचने के लिए हथियारों का प्रबन्ध कर लेने की सलाह दी थी।

पड़ाव-अनुसार वापसी

(क) हांग-कांग:-

जैसे कि जाने समय जहाज़ आखिर हांग-कांग से ही सीधा वैंकुवर गया था, वापसी पर भी इसने पहले हांग-कांग ही रूकना था, बहुत मुमकिन है कि अगर जहाज़ को यहाँ लगने दिया जाता तो मुसाफिरों की बड़ी संख्या यहीं पर जहाज़ से उतर जाती, क्योंकि इनमें से कई तो पिछले दो-तीन सालों से यहीं रहते आ रहे थे।

परन्तु जैसे ही हांग-कांग के गवर्नर को जहाज़ की वापसी का पता लगा तो उसने तूफान मचा दिया और उसने फौरन कैनेडा के गवर्नर जनरल को तार दे दी कि चूंकि यहां 'हिन्दूओं' के लिए कोई रोज़गार की गुंजाइश नहीं है, तो इनको सीधे भारत ही ले जाया जाए।

तार का फौरी जवाब तो यही मिला था कि चूंकि जहाज़ आपकी डाक मिलने से पहले यहां से जा चुका था, इसलिए इन व्यक्तियों को किसी और ठिकाने पर भेजे जाने का आदेश जारी करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा। जिसके तहत हम जहाज़ को किसी और ठिकाने पर जाने का हुक्म जारी कर सकें।

घबराए हुए हांग-कांग के गवर्नर ने लंडन सरकार को 25 जुलाई को तार भेजी कि:-

> ''हमें कुछ समय पहले कैनेडा से जो खबरें मिलती रहीं हैं, उनके मुताबिक सिख यात्री वहां से वापिस भेजे जाने का हिंसक विरोध करने के लिए तुले थे, और कैनेडियन सरकार उनको वापसी सफ़र खर्च, राशन पानी मुहैया करवाने का वादा करके मुश्किल से उनसे पीछा छुडाने में सफल हो सकी थी। न सिर्फ यह कि इन में से बहुतयात को यहां रोज़गार भी नहीं मिल सकते, पर वे इस वक्त हद दर्जे की भड़काहट का शिकार हैं और इनका यहां घूमना इसलिए भी घातक सिद्ध हो सकता है क्योंकि वे भारतीय फौजी जो यहां बड़ी संख्या में हैं, को बिगाड़ सकते हैं और आबादी के बिखरे पंजाबी चौकादार भाईचारे पर भी इनका खतरनाक असर पड़ सकता है।''

सचमुच ही मुसाफिरों का रोम-रोम गोरे हाकिमों को अपनी दुर्दशा का जिम्मेदार मान कर लानतें डाल रहा था और वास्तव में ही वे इतने भरे-भराए थे कि उन्होंने सरकार विरूद्ध अपनी भडास निकालने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना था और सरकार के प्रति उनका यह रोष बे-बुनियाद भी नहीं था; पर कुल मिला कर इन अभागों के लिए यही रोष होनी का रूप धारण करके कदम-कदम पर इनका पीछा कर रहा था।

इस शंका की पृष्टि लण्डन सरकार की तरफ से कैनेडा सरकार से पूछ-पड़ताल करने से हो गई, जब कैनेडियन हाकिमों ने भरोसे लायक साधनों का हवाला देते हुए बताया कि सच में जहाज के इस सफर के लिए पैसा खुफ़िया इन्कलाबी सूत्रों की तरफ से उपलब्ध करवाया गया था ताकि भारतियों पर किए गए घोर अन्याय को दर्शाकर सरकार विरूद्ध बग़ावत खड़ी करने के अपने मकसद़ का रास्ता साफ किया जा सके।

किन्तु क्या सचमुच गदरियों की बाबा गुरदित्त सिंह के साथ कोई सांठ-गांठ थी? क्या सच में इसके पीछे कोई सोची समझी 'साजिश' थी?

अगर बहुत विस्तार से न जाएं तो ऊपर के सवाल का सीधा सरल जवाब यही होगा कि इनके मध्य एकसुरता अथवा तालमेल तो था, पर इस सम्पूर्ण प्रकरण को ही

'साजिश' कहना अतिश्योक्ति होगी।

एक दूसरे पक्ष से विचार किया जाए तो गदर लहर और कोमागाटा मारु का कांड, दोनों ही भारत की गुलामी से उत्पन्न आर्थिक तंगी से निजात पाने खातिर बड़े पैमाने पर भारतियों के कैनेडा-अमरीका प्रवास से उत्पन्न घटनाएं थी - बड़ा फर्क यह था कि ग़दर लहर वाले भारतीय प्रवासी आर्थिक पक्ष से ख़ुशहाल होकर भी विदेशी गुलामी के कलंक को धोने के लिए अपने खून-पसीने की कमाई को, जिसके उन्होंने जान मारी की थी, को ठोकर मारकर, शहीदी जामे डाल कर 'तख्त या तख्ता' वाली रिवायत को पूरा करने भारत लौटे थे, जहां दूसरी तरफ यह कॉमागाटा वाले जो पहले प्रवास कर चुके हिन्दी वीरों की नकल कर, उधर जाने की कोशिश में थे और जब उनको विदेशी हाकिमों ने हर प्रकार से प्रवास से रोकने से गुरेज़ नहीं किया तो वे इसी कशमकश में विदेश का प्रवास किए बिना ही इस नतीजे पर पहुँच गए कि हमारी हालत का मूल कारण हमारी गुलामी ही है।

सो कोमागाटा मारु गाथा के सारे 'पात्र' अलग-अलग हालात में अपने-अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस कोशिश में शामिल हुए और जैसे जैसे हालात करवट लेते गए, उस अनुसार ही उनकी भूमिकाओं में फेर बदल होता गया।

अब जैसा कि हम जानते हैं कि उधर कोमागाटा मारु जहाज वैंकुवर से चला और साथ ही एक बड़ी जंग छिड़ गई और गदर पार्टी ने जंग का लाभ लेने के लिए जरूरी तैयारी न होने के बावजूद भी 4 अगस्त 1914 को 'ऐलाने जंग' कर दिया, भाव गदर का बिगुल बजा दिया।

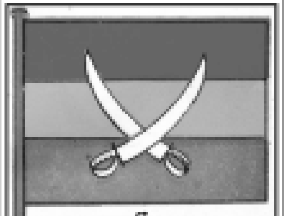

गदर पार्टी का झण्डा

गदर पार्टी का प्रतिक्रमः-

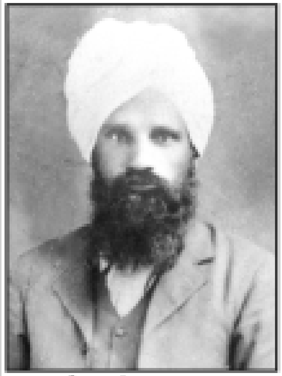

बाबा सोहन सिंह भकना, गदर पार्टी के स्थापक प्रधान

गदर पार्टी के जिम्मेदारों ने फैसला किया कि पार्टी का एक नेता कोमागाटा मारु जहाज़ के साथ-साथ जाए और योकोहामा (जापान) पहुँच कर जहाज़ के मुसाफिरों से मिले और उनको इन्कलाबी लाईन समझाए। इसके सम्बन्ध में बाबा सोहन सिंह भकना अपनी आत्मकथा में लिखते हैं :-

"इस काम के लिए मेरी ड्यूटी लगी, 200 पिस्तौल और 2000 कारतूस दो पेटियों में बन्द करके जहाज़ पर पहुँचाने के लिए ले जाने थे। इसका बन्दोबस्त भाई भगवान सिंह और मलवई नौजवान करतार सिंह सराभा को सौंपा गया। उन्होंने जहाज़ पर एक कमरा रिज़र्व करके जहाज़ के रवाना होने से कोई एक घण्टा पहले यह पेटियां करतार सिंह के हाथों उस कमरे में रखवा दीं। मैं बड़ी सावधानी से युगान्तर आश्रम से निकला और रास्ते में दूसरी कार बदल कर जहाज़ के चलने से सिर्फ 15 मिन्ट पहले पहुँचा और करतार सिंह को चले जाने का इशारा करके कमरे में जा बैठा। अभी मेरे वाला जहाज़ अमरीका और जापान के बीच में ही था कि जहाज़ वालों ने जंग छिड़ने की खबर सुना दी।

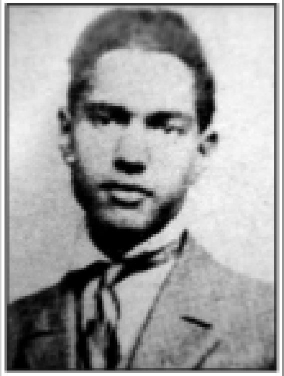

करतार सिंह सराभा

मौलवी बरकत उल्ला

"आगे मेरे सामने पेटियाँ उतारने और किसी महफ़ूज़ स्थान पर रखने का मसला था। पर मेरे अमरीका से चलते समय मौलवी बरकत-ऊला ने जापान वाली पार्टी की शाखा को मैंबरों को मेरे आने की खबर तार द्वारा भेज दी थी। सो जब जहाज़ योकोहामा पहुँचा तो पार्टी मैंबर मुझे लेने के लिए जहाज़ पर

पहुँचे हुए थे। मैंने पेटियाँ उनके हवाले कर दीं और वे मुझे कार में बिठा कर एक होटल में ले गए। मैं कोमागाटा मारु के आने और पेटियाँ वगैरा जहाज़ पर पहुँचाने और अन्य काम समाप्त होने तक होटल में ही ठहरा। एक और काम भी मेरे ज़िम्मे था, जंग छिड़ चुकी थी और डर था कि एडमिन नामक जर्मन पनडुब्बी जो उस वक्त समुन्द्रों की गश्त कर रही थी, कहीं कोमागाटा मारु को डुबो न दे। इसके प्रबन्ध के लिए मैं जर्मन के एक जापानी नौकर से सांठ-गांठ कर, भेष बदल कर, चोर दरवाज़े से जर्मन प्रतिनिधि/राजदूत को जा मिला और कोड (गुप्त संकेत) स्थापित किए, जो कि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किए जा सकें और जहाज को बचा कर निकाला जा सके।

''हर रोज कोई न कोई पार्टी मैंबर आकर मिल जाता, जब कोमागाटा मारु पहुँचा तो मैंबरों ने सूचना दी और जहाज़ वालों को भी मेरे बारे में बता दिया। (मालवे के) गुजरवाल-लुधियाना से हाकम सिंह और (मालवे के ही) काऊनी-मुक्तसर से भाई राय सिंह उर्फ दलजीत सिंह सैक्रेटरी जहाज कमेटी मुझे आकर मिले। मैंने सारी बात उनको समझा दी और अगले दिन पेटियाँ जहाज पर पहुँचाने वालों के साथ मुलाकात बारे भी बात निश्चित कर ली गई। अगले दिन उन मैंबरों ने सारा काम अच्छे ढंग से अन्जाम दिया।

''अभी कोमागाटा मारु से सम्बन्धित कार्य से कुछ मिला ही था कि करतार सिंह सराभा एक और साथी समेत होटल में आकर मुझे मिला और पार्टी के उस फैसले की सूचना दी, जिसके अनुसार पार्टी ने मौके के हालात को सामने रखते हुए अंग्रेजों के विरूद्ध हिन्दोस्तान जाकर इंकलाब करने का ऐलान कर दिया।''

बड़ी महत्त्वपूर्ण बात है कि बाबा सोहन सिंह भकना के विरूद्ध पुलिस या सरकार के पास कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं थे, जिनके आधार पर उनको फांसी की सजा दी जा सके, क्योंकि उनको 25 अक्टूबर 1914 को कलकत्ता में जहाज़ से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया था, और समझा जाता है कि उनको फांसी की सजा मूल रूप में इस कार्यवाही के कारण दी गई थी; इस भेद का खुलासा अदालत में (वादा माफ़) नवाब खां ने किया था कि ''दिसम्बर 1914 की किसी तारीख को जब मैं करतार सिंह (सराभा) के साथ जंडियाला से लाहौर की तरफ जा रहा था तो उसने बताया कि उसको युगांतर आश्रम से 100 पिस्तौल और कारतूस देकर (सोहन सिंह के द्वारा) गुरदित्त सिंह को पहुँचाने के लिए दिए गए थे, जो तदुनसार पहुँचा दिए गए थे।''

वापसी सफ़र के कुछ और ब्यौरे

इन मुसाफिरों को वैंकुवर से रवाना होने से लेकर कलकत्ता पहुँचने तक महीने के लगभग लम्बे सफ़र के दौरान हुकूमती तौर पर हिरासत में ही रखा गया था; हरेक बन्दरगाह पर जहाज़ को साहिल से दूर समुन्द्र में ही खड़ा किया जाता रहा, और जहाज़ से उतरने और चढ़ने वालों पर कई प्रकार की पाबन्दियाँ थी और ये सब नावों द्वारा ही जहाज़ पर आते-जाते थे; साथ ही किसी और नए मुसाफिर को जहाज़ पर चढ़ने की सख्त मनाही थी।

जर्मन जंगी जहाज 'एडमिन' की दहशत

अब चूंकि बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी, जैसा कि उन दिनों जर्मनी का जंगी जहाज़ खुले समन्दर में हर उस जहाज़ को नष्ट कर रहा था, जिस पर किसी मित्र देश का झण्डा न हो, अब चूंकि जापान अंग्रेज का पक्षधर था तो कॉमागाटामारू जापानी जहाज़ होने के कारण जापानी झण्डे तले ही घूम रहा था, सो इसको भी तबाह किया जा सकता था।

प्रोफेसर जगजीत सिंह जी की अनमोल रचना 'गदर पार्टी लहर' के पन्ना 72 पर दर्ज हैः-

> ''उन्हीं दिनों जर्मनी का 'एडमिन' नामक गश्ती जंगी जहाज सुदूर पूर्व के समुद्रों में इंग्लैंड के पक्षधर मुल्कों के व्यापारी जहाज़ डुबो रहा था। जापान भी इंग्लैंड का हिमायती था और कोमागाटा मारु जापानी जहाज़ होने के कारण, जापानी झण्डे के नीचे ही घूम रहा था, इसलिए वो भी खतरे में था। योकोहामा में जर्मन कौंसिल कडी निगरानी में थी। पर जापान की गदर पार्टी के मैंबरों की सूझ-बूझ और होशियारी के कारण श्री सोहन सिंह जर्मन कौंसिल ने इस बात का जिम्मा लिया कि कोमागाटा मारु को आँच नहीं आएगी। और उसने यह भी पेशकश की कि 'एडमिन' जहाज कोमागाटा मारु के मुसाफिरों को समुन्दर में हथियार भी पहुँचा देगा, पर कोमागाटा मारु जहाज़ के सारे ऑफिसर जापानी होने के कारण इस पेशकश का लाभ उठाना मुमकिन नहीं था।

कहा जाता है कि समुद्र में एडमिन गश्ती जहाज कॉमाताटा मारु को मिला पर 'झंडी शीशे' वाले उस वक्त के प्रचलित संचार माध्यम द्वारा, जिसका फौज में प्रयोग किया जाता था; हिन्दी जहाजियों ने (भूतपूर्व सैनिक) जब अपनी नियत निशानी बताई तो वह चुपचाप चला गया।

श्री सोहन सिंह द्वारा बताई उपरोक्त वार्ता की पहले केस में हुई शहादतों से भी इस हद तक पुष्टि होती है कि श्री सोहन सिंह के अमेरिका से रवाना होने के क्या मकसद थे, और उन्होंने कॉमागाटा मारु के लीडरों से योकोहामा में मिलकर 100 पिस्तौल और

गोली इत्यादि पहुंचाए थे।''

(नोटः- लेखक के पिताजी उन दिनों अंग्रेजी फौज में नौकरी कर रहे थे, वह भी 'झंडी शीशे की डयूटी निभाते रहे थे। - लेखक)

इस 'गदरी बाबों के मुंशी' को बाबा सोहन सिंह भकना के साथ उनकी जीवन यात्रा के अंतिम ढाई साल भाव 1966-68 के दौरान बेहद करीबी संगति का सौभाग्य मिला है; बाबा जी का स्वभाव इतना सरल था कि हम आपस में नोक-झोंक भी कर लिया करते थे; इस खुफिया मिशन के बारे में मेरा पहला सवाल था किः

आपने लिबास क्या पहन रखा था? तो उन्होंने बताया कि नीचे पश्चिमी शैली का पैंट-कोट और सिर पर हैट, दूसरा सवाल था - आपने जर्मन कौंसिल से कौन सी जुबान में बातचीत की थी; तो उनका जवाब था 'अंग्रेजी में'; मैंने हैरानी प्रकट करते हुए कहा कि वाकई ''उन्होंने बताया कि हम इतने साल अमेरिका में रह कर 'गुजारे लायक' अंग्रेजी समझ बोल लेते थे।

मेरा आखिरी सवाल था कि इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद आप कैसे चोरी छिपे जर्मन कौंसिल थे बंगले के अन्दर आने-जाने में कामयाब हुए थे? उन्होंने बताया कि हम आधी रात के समय बंगले के पिछवाड़े की तरफ से अन्धेरे में रसोई के बीच वाले रास्ते से गए और आए थे। यह सब हमारे योकोहामा वाले गदरी बाबों की लगन, दूरदृष्टि एवं बुद्धिमत्ता के कारण ही संभव हो सका था।

(ख) योकोहामा

जहाज के कप्तान अनुसार, ''हम 15 अगस्त को योकोहामा पहुंचे, जहां 4-5 भारतीय गुरदित्त सिंह के पास आए और उन्होंने कुछ सांझे फैसले लिए मुझे गुरदित्त सिंह के पास आए और उन्होंने कुछ सांझे फैसले लिए। मुझे गुरदित्त सिंह के एक विरोधी मान सिंह (डॉ. रघुनाथ सिंह चाटड़ा जिसे डॉ. वैंकुवर अपने साथ उतारना चाहता था, पर कथित तौर पर दूसरे मुसाफिरों ने उसे उतरने नहीं दिया) से पता लगा कि दो-तीन पेटियां जिनमें ऑटोमैटिक पिस्टल थे, रातों रात जहाज में पहुंचाई गई हैं। (संकेत बाबा भकना द्वारा लाई गई, पेटियों की ओर है - लेखक) हालांकि मैंने खुद तो वे पेटियां नहीं देखीं, क्योंकि गुरदित्त सिंह पिस्तौलों आदि की जानकारी मुझसे छिपा कर रखते थे।

''18 अगस्त को हम योकोहामा से चलकर 20 अगस्त को सुबह कोबे पहुंच गए। वहां गुरदित्त सिंह ने मुझ पर और मेरी कम्पनी पर इल्जाम लगाए और कहा कि अगर

जहाज का कप्तान रिश्वत न लेता तो हमने वैंकुवर उतर जाना था।

(ग) कोबेः

जहाज 13 दिन कोबे रहा। इस दौरान मुसाफिरों ने अंग्रेजी कौंसिलखाने का घेराव जारी रखा और आखिर राशन पानी के लिए 9000 येन हासिल करने में कामयाब हो गए, हालांकि उनके पास राशन की कोई कमी नहीं थी।''

पता नहीं कि जापानी कप्तान का यह कथन कि मुसाफिरों के पास अन्न-जल की कोई कमी नहीं थी, सच था या कि झूठ, या फिर आधा-अधूरा, परन्तु हिन्द सरकार ने कोबे के कौंसलर की इस 'फराग दिली' पर खूब खिंचाई की।

दरअसल कौंसलर ने 27 अगस्त को एक तार से हिन्द सरकार को सूचित किया था कि ''उसको भूखे-प्यासे हिन्दी मुसाफिरों के लिए, जो कि हफ्ते से यहां अटके हुए हैं, खुराक आदि उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी रकम खर्च करने की आज्ञा दी जाए।''

''मेरी इस याचना का कारण यह था कि मुसाफिर यहां लम्बे समय से रोके जाने के कारण बहुत परेशान हो रहे थे और वे यह मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मेरे पास गुरदित्त सिंह ने इस प्रकार की टिप्पणियां की कि बरतानिया भारत से करोड़ो रुपये निकालकर ले जाने के बावजूद गरीब भारतियों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। हर रोज कौंसिलखाने के आस-पास इकट्ठा होकर ये लोग वावेला मचाते और हमारे नाक में दम कर हे थे, और साथ ही जापानी पुलिस के जिए मुसीबत बन रहे थे, जिसकी ड्यूटी हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करना थी। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि उस दशा में फंसे हुए भारतियों का व्यवहार काबिले तारीफ था। पर वे लगातार पानी की कमी, घुप्प अंधेरे और बन्दरगाह पर किसी से सम्पर्क करने की मनाही से बेजार थे। इनके आने-जाने, इनसे बातचीत करने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो रहा था, और कौंसिलखाने का बाकी काम-काज ठप्प पड़ा हुआ था।''

सिन्धी भाईः

जहाजी कप्तान ने अगले सफर के बारे में बताया, ''जैसे ही हम कोबे पहुंचे जवाहर मल और उसका छोटा भाई नारायण जहाज पर चढ़ आए, जिनमें से बड़ा बहुत खतरनाक था, इतना खतरनाक जितना गुरदित्त सिंह भी नहीं था। अंग्रेजी कौंसलर ने मुझे कहा कि ये दोनों तो जहाज में सफर नहीं कर सकते और उन्होंने अगर ऐसा किया तो जरूर ही गड़बड़ होगी क्योंकि ये दोनों खतरनाक लड़के हैं, अगर ये जहाज पर सवार हों तो मुझे सूचना देनी होगी, जिससे जापानी पुलिस की मदद से इनको जहाज से उतार सकूँ। मैंने गुरदित्त सिंह को बताया कि मुझे कहा गया है कि इन दोनों को जहाज पर सफर न करने

दूं; तब गुरदित्त सिंह ने मुझे बताया कि वह तो अवश्य ही हमारे साथ चलेंगे क्योंकि मैंने उनको अपनी अंग्रेजी तथा कानूनी पढ़ाई के लिएण 200 रूपये महीने पर मुलाजिम रखा है, ताकि मैं आने वाले समय में सरकार द्वारा मुझे पहुंचाए गए नुकसान और हरजाने के लिए अदालती लड़ाई लड़ सकूं, और अगर उनको जहाज में सवार होने न दिया गया तो वह जहाज को यहां से चलने ही नहीं देगा।

(नोटः मेरे सहयोगी लेखक डॉ. गुरदेव सिंह सिद्धू जी की खोज के अनुसार ये दोनों भाई हैदराबाद (सिन्ध), की मनसुखानी गली के वासी श्री तोती राम के बेटे थे। बड़े भाई की उम्र उस वक्त 23 साल थी और वह पूना के फर्गुसन कॉलेज में प्रोफैसर थे, जहां वह प्रो. जे.टी. मनसुखानी नाम से जाना जाता था और जो बाल गंगाधर तिलक का श्रद्धालु होने के कारण गदर पार्टी से भी प्रभावित था; छोटा भाई नारायण उस वक्त अभी 17 साल का ही थाः दरअसल बड़ा भाई अपने छोटे भाई को अमरीका साथ ले जाकर उसे वहां बसाने के लिए उस तरफ जा रहा था कि रास्ते में कोबे बन्दरगाह पर उसकी मुलाकात बाबा गुरदित्त सिंह के साथ हो गई और उसने अपना अमरीका वाला मिशन त्याग दिया और कोमागाटा मारु के जहाजियों के साथ जुड़ गया था। चूंकि सिन्ध ा उन दिनों बम्बई (प्रैजिडैंसी) प्रदेश में था, इसलिए इन दोनों को नवम्बर-दिसम्बर 1914 में पुलिस पहले में बम्बई प्रैजिडैंसी की सी. आई.डी. के सुपुर्द कर दिया था; बाद में जवाहर मल को तीन साल पुणे की जेल में बन्द रखा गया था। तब्यित खराब हो जाने पर 1917 में रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होकर वह घर नहीं गया बल्कि उसने संन्यास ले लिया और स्वामी गोविन्द नन्द के नाम से जाना जाने लगा, पर वह लगातार कोमागाटा मारु के मुसाफिरों के हक में लिखता-बोलता रहा; सरकार ने 1921 में गिरफ्तार करके पांच साल की कैद सुना दी – लेखक)

''मैंने ब्रिटिश कौंसलर को रिपोर्ट की, जिसने और किसी मुसीबत से बचने के लिए उन्हें ले जाने की सलाह दी।

''तो फिर हम सिंगापुर की तरफ चल पड़े, जहां जहाज 16 सितम्बर को पहुंचा था। कोबे से सिंगापुर वाले सफर के बीच दिन में दो बार लैक्चर होते रहे और मुसाफिरों को इस बारे में बिगुल बजाकर सूचित किया जाता था।

''गुरदित्त सिंह विरोधी भान सिंह जुंडली इन भाषणों में हाजिर नहीं होती थी (नोटः

भान सिंह नामक एक और मुसाफिर रिकॉर्ड मुताबिक गांव लोहारवाला, थाना सरहाली, अमृतसर का था। – लेखक)

इन दोनों नौजवान मुसाफिरों में से बड़ा भाई जवाहर मल ही मुख्य वक्ता होता था, परन्तु बीच-बीच में गुरदित्त सिंह और उसका सैक्रेटरी भी मुसाफिरों को भाषण देते थे, मेरी जानकारी अनुसार और कोई लैक्चर नहीं देता था।

(घ) सिंगापुर

जब हम सिंगापुर पहुंचे तो बन्दरगाह अधिकारी (Harbour Master) मुझे अपने साथ साहिल पर ले गया, जहां मुझे बिना किसी ढील के कलकत्ता के लिए रवाना होने के आदेश दे दिए गए; पता लगने पर गुरदित्त सिंह और दोनों सिन्धी नौजवान मेरे पास आए और मुझ पर जोर डाला कि हमने साहिल पर जरूर जाना है, क्योंकि हमने राशन-पानी और दवाईयां लाने के अलावा जापानी करंसी को रुपयों में बदलना है; उन्होंने मुझे कहा कि जितनी देर वे ये तीन काम नहीं निपटा लेते, जहाज यहां से चलना नहीं चाहिए।

''मैंने उनको अपेक्षित मंजूरी लेने के लिए दरखास्त लिखवाई, जो मैंने बंदरगाह अधि ाकारी के हाथ गवर्नर को भेज दी; गवर्नर ने मुझे बुलावा भेजा, पर मुसाफिर मुझे अकेले साहिल पर जाने ही नहीं दें; यह शरारत भी जवाहर मल की ही थी। 18 सितम्बर को जापानी कौंसलर 50-60 पुलिस फोर्स के साथ किश्ती में आया। गुरदित्त सिंह ने पुलिस के साथ मलायी भाषा में लम्बी-चौड़ी बातचीत की। पुलिस वाली किश्ती जहाज के पास आ गई और जहाज पर छापे के लिए तैयार हो गई।

''मुसाफिरों ने भी सामना करने के लिए पानी फैंकने वाली पाईपें, पिस्तौल, तलवारें निकाल लीं। तो मेरे चीफ इंजीनियर ने जापानी कौंसलर को जापानी में कहा कि यात्री सामना करने के लिए पूरी तैयारी किए खड़े हैं। परन्तु उसी पल गुरदित्त सरपट दौड़कर मेरे पास आया और मुझे सुलह-सफाई की पेशकश करते हुए बोला कि वे यहां से चल पड़ेंगे, अगर गवर्नर उनको चिट्ठी लिखकर दे कि हम यहां नहीं उतर सकते, पर साथ ही यह शर्त भी रख दी कि हमें जरूरत अनुसार सामग्री मुहैया कराई जाए, तो फिर पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर वे अमन-अमान के साथ यहां से नहीं जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

''पुलिस के वहां से चले जाने के बाद गुरदित्त सिंह ने जवाहर मल के साथ लम्बा विचार-विमर्श करने के बाद मुझे वहां से चलने का इशारा किया। पर जब हम रास्ते में एक तंग राह से निकल रहे थे तो गुरदित्त सिंह ने कहा कि वह मुझे छोटी नौका से पास के साहिल से दवाई लाने दे। मुझे लगता है कि वह भारत पहुंचने से पहले अपनी पिस्तौलों वाली पेटियां

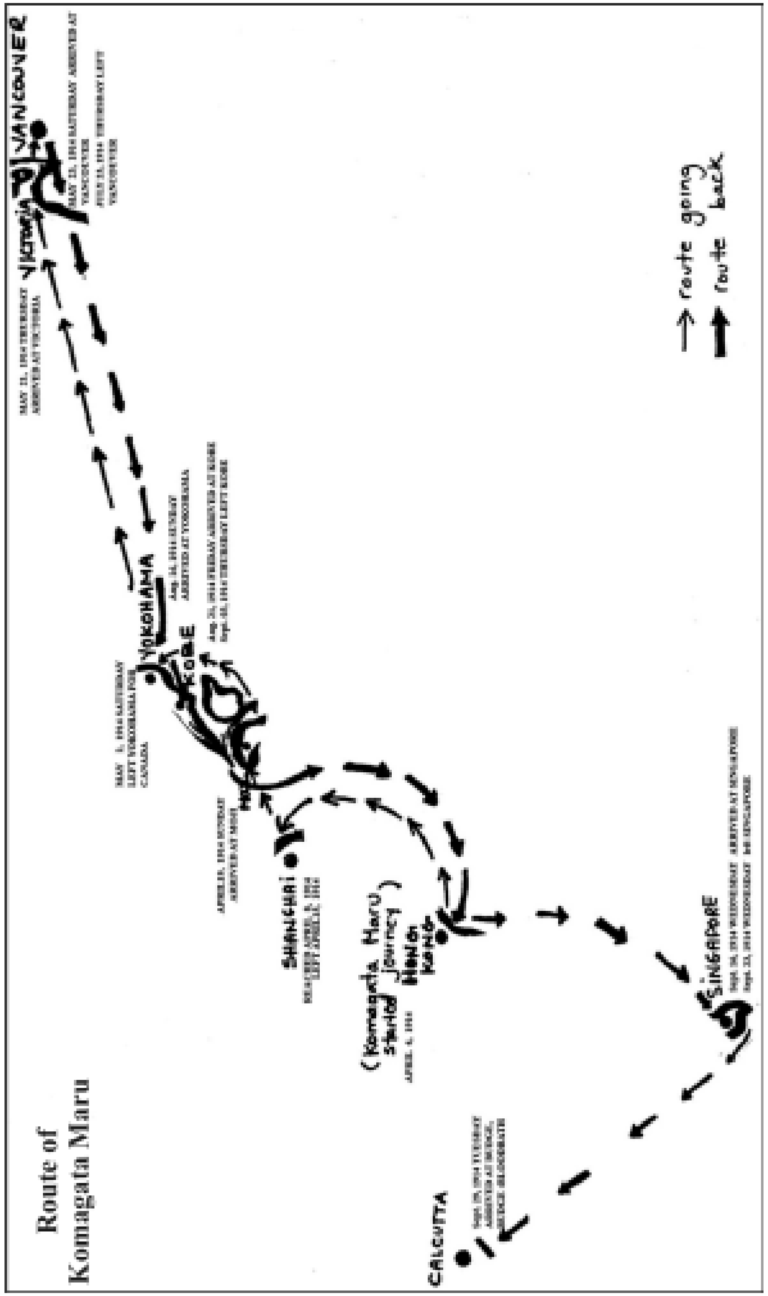

उतार देना चाहता है, पर मैंने ऐसा करने से यह कहकर इन्कार कर दिया कि अब चूंकि वह जहाज का संचालक नहीं रहा, इसलिए मैं सरकारी आदेश का ही पालन करूंगा।

“इसके बाद हम कलकत्ते के पास डायमंड हार्बर (Diamond Harbour) ही जाकर रुके थे।”

कोमागाटा मारू के यात्री बज बज घाट में जहाज से उतरते हुए

स्वागतः देश हुआ परदेश!

अब एक तरफ तो हजारों गदरी शीश तली पर धरे गदर मचाने के लिए देश लौट रहे थे, और साथ ही साथ यह मुसाफिर जबरदस्ती भारत लाए जा रहे थे। परन्तु सरकार आलम ने दोनों को ही घर लौटने से ‘अयोग्य’ करार दे दिया। इस मकसद का एक ऑर्डीनेंस भारत सरकार ने 5 सितम्बर को जारी किया, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति की बरतानवी भारत में दाखिले पर पाबन्दी लगा दी, क्योंकि उनके बेरोकटोक आगमन से अमन शांति भंग होने का अंदेशा था।

ऑर्डीनेंस नं. V 1914

“ऐसे संकटमयी हालात के मद्देनजर बरतानवी भारतीय इलाके में समुद्री या जमीनी रास्तों से हर प्रकार के दाखिले को काबू में रखना लाजमी हो गया है, ताकि सरकारी निजाम को किसी तरह की हानि न पहुंचे।” इसके तहत हरेक बाहर से आने वाले को विदेशी (foreigner) समझकर उनको बगैर मुकदमा चलाए हिरासत में रखे जाने

की व्यवस्था कर दी गई थी।

आगे बंगाल सरकार की तरफ से, जिसने इस क्रूर ऑर्डीनेंस को लागू करना था, हरेक उच्च अधिकारी को निम्नलिखित अधिकार दे दिए गए:

1. वह किसी ऐसे शख्स को उतनी देर हिरासत में रख सकेगा जितनी देर उसकी सही शिनाख्त न हो जाए।
2. उसके सामान की और उसकी निजी तलाशी लें।
3. उसकी शिनाख्त के रिकार्ड के लिए उसके अंगूठों के निशान लें।
4. उसकी फोटो लें।
5. उसको बरतानवी भारत में किसी स्थान पर लेकर जाने और वहीं रखने तथा ऐसे स्थान पर ले जाने के लिए गारद तैनात करना।
6. किसी एक स्थान जुहबंद करना तथा इसके पालन के लिए जमानत लेना।
7. उसको समय-समय पर उच्च अधिकारी के पास हाजिरी भरते रहने का हुक्म जारी करना।
8. उसकी लोक गतिविधियों की मनाही का हुक्म जारी करना।

अगर उच्च अधिकारी अपनी तहकीकात के आधार पर किसी व्यक्ति को बाकायदा हिरासत में लें, और उसको नजरबंद करने की जरूरत समझे तो वह इस कार्यवाही की सिफारिश सम्बन्धित राज्य की सरकार के पास कर सकता है।

29 सितम्बर 1914 को बज बज में हुए खूनी कांड का वृतांत:

1. उच्च पुलिस अफसर पैटरी की खुफिया रिपोर्ट तिथि 8.10.1914

मैं सबसे पहले जरूरी समझता हूं कि उन उद्देश्यों की निशानदेही की जाए, जिनको सामने रखकर सरकारी अमले की बाहर से लौटे मुसाफिरों के साथ निपटने की डयूटी लगाई गई थी, इसके बिना इन घटनाओं को ठीक तौर पर समझा नहीं जा सकेगा। मैंने कलकत्ता आने से पहले पन्द्रह दिन शिमले लगाए थे, जहां डाइरेक्टर क्रिमिनल इंटेलिजेंस और पंजाब, बंगाल प्रदेशों के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे, जिस दौरान इस मसले की पूछताछ की गई थी।

इस सारी बहस का सार तत्व यह था कि कोमागाटा मारु जहाज के मुसाफिर अपने नेता गुरदित्त सिंह के नेतृत्व में जरूरी तौर पर कलकत्ता या पंजाब में गड़बड़ फैलाएंगे ही इसलिए इनके साथ ऑर्डीनेंस नं. 5, 1914 द्वारा ही निबटना होगा। दूसरे शब्दों में गुरदित्त सिंह और ऐसे ही शरारती व्यक्तियों को काबू करके, बाकी के पीड़ित मुसाफिरों को गाड़ी में बिठाकर सरकारी खर्च पर सीधे उनके घरों में पहुंचा दिया जाएगा; इनके लिए पंजाब में पहले अस्थाई ठिकाने के तौर पर लुधियाना के किले का चुनाव भी कर लिया गया था। उधर बंगाल सरकार भी किसी कीमत पर इनके कलकत्ते में विचरण करने की कट्टर विरोधी थी, बंगाल सरकार दृढ़ निश्चयी थी कि किसी कीमत पर भी मुसाफिर दरिया के रास्ते कलकत्ता तक न पहुँच सकें, जहां पर जरूरी तौर पर भीड़ जुटेगी और भड़काहट में आ जाएगी, जिसको रोकना हमारी सारी स्कीम का मुख्य मुद्दा भी था।

गहरी सोच-विचार के बाद यह फैसला हुआ कि कोमागाटा मारु को बज बज के घाट पर लाया जाए, जहां थोड़े फासले पर लगते रेलवे स्टेशन पर स्पेशल गाड़ी तैयार रखी जाए, जिसके द्वारा मुसाफिरों को सीधे पंजाब भेज दिया जाए। प्राप्त जानकारी के मद्देनजर 27 सितम्बर सुबह अधिकारियों को मुसाफिरों से निपटने के लिए भेज दिया गया। यहां यह बताना जरूरी है कि इस पड़ाव पर अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया था कि गुरदित्त सिंह और ऐसे और नजरबन्दों को भी इसी गाड़ी से पंजाब भेजा जाएगा या नहीं। इस बारे फैसला इसलिए टाल दिया गया कि अगर यह लगा कि मुसाफिर गुरदित्त सिंह जैसों के पीछे नहीं हैं, तो उन्हें भी इसी गाड़ी में ही भेज दिया जाएगा, किन्तु अगर मुसाफिरों में उनके प्रति आदर सत्कार नजर आया तो फिर इन नेताओं को अस्थाई तौर पर हिरासत में लेकर कलकत्ते ही रखा जाए और बाद में मौका देखकर पंजाब भेज दिया जाए।

(2) अब मुसाफिरों की मनोदशा के बारे में हमारे पास पहुंची जानकारी का खुलासा करना चाहूंगा, जहां तक मुसाफिरों की पृष्ठभूमि का सवाल है, हमें कुछ भी नहीं पता था, ले देकर हमारे पास तो डॉ. रघुनाथ (भूतपूर्व अस्सिटेंट सर्जन 8 राजपूत पलटन, जो जहाज का मेडिकल अफसर था) द्वारा भेजी क्रमानुसार – भरपूर चिट्ठी ही थी, जिसमें गुरदित्त सिंह के अतिरिक्त दलजीत सिंह और वीर सिंह को मुख्य लक्ष्य बनाया गया था; चिट्ठी में जहाज में 'गदर' अखबार बांटे जाने और ऐतराजयोग्य भाषण दिए जाने का भी जिक्र था। बेशक वैकुवर की घटनाओं के बारे में अखबारी खबरों में एक कमेटी के मैंबरों के नामों का भी जिक्र है जो मुसाफिरों के हितों की रखवाली की दावेदार दर्शाई जाती रही है। उन नामों को ध्यान में रखते हुए हमने जहाज की तलाशी के दौरान भी गुरदित्त सिंह की अलग-अलग यात्रियों से नजदीकी की थाह लेने की कोशिश जारी रखी। जहां तक राजनीतिक भावनाओं का सम्बन्ध है, वह मौजूद तो थीं जरूर, किन्तु हमें यह नहीं पता था कि कौन-कौन इसके गहरे प्रभाव में घूम रहा था। **हम इस हकीकत के बारे में भी जागरूक थे कि वैंकूवर वाले दौर में किसी शख्स की तरफ से गुरदित्त सिंह की गैर-कानूनी गतिविधियों की तरफदारी अपने आप में ही हिन्द सरकार की विरोध भावना नहीं समझी जा सकती।**

एक मुद्दे पर हमें डॉ. रघुनाथ ने गलत राह पर जरूर डाल दिया था कि मुसाफिरों की बहुतायत गुरदित्त सिंह के हाथों इतना पीड़ित महसूस करती है कि वह सरकार की कोशिशों में रूकावट नहीं बनेगी। यह धारणा, जैसाकि हमने बाद में देखा कि बिल्कुल मनघडंत थी और गुरदित्त सिह की मुसाफिरों पर पकड़ और जकड़ किसी ऐसे अन्दाजे

से कहीं अधिक बलवान थी।

(3) 27 सितम्बर सुबह आठ बजे हम (उच्च अधिकारी) जहाज की तलाशी लेने कल्पी पहुंचे जो डायमंड हार्बर से 6 मील नीचे की ओर था। हम गुरदित्त सिंह से मिले और उसे बताया कि नए आर्डीनेंस के अनुसार हम जहाज की तलाशी लेने आए हैं, और सरकार मुसाफिरों को उनके घर (लुधियाना किले) पहुंचाने का बंदोबस्त करने के काम में लगी है। तलाशी के मामले में किसी ने भी विरोध नहीं किया। हमने गुरदित्त सिंह के केबिन की भी अच्छी तरह तलाशी ली, जहां हमें कोई एतराज लायक वस्तु नहीं मिली; उसकी पेटी में बड़ी मात्रा में अलग-अलग देशों के नोट आदि मिले, जो हमने वापिस रख कर पेटी को मुहरबंद कर दिया। अन्धेरा हो जाने तक हमारी तलाशी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची किन्तु चूंकि हमने अचानक ही यह कार्य हाथ में लिया था, तो हमें तलाशी दौरान किसी सन्दूक आदि के साथ बेवजह छेड़छाड़ की हुई नहीं आई, इसलिए हमने अन्दाजा लगा लिया कि इस मामले में आगे जाकर भी आज की तलाशी के नतीजों की ही मान्यता होगी। क्योंकि न तो हमें कोई एतराजयोग्य वस्तु ही मिली और न ही कोई हथियार, जिससे हमें आस हो गई कि मुसाफिरों के मन में सरकार विरोधी कोई जज्बा नहीं है।

तलाशी **28 सितम्बर** सुबह फिर प्रारम्भ हुई जो दोपहर तक समाप्त हो गई। कुल मिलाकर हमें मुसाफिरों के सामान में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली, वैसी भी नहीं जो कि बाहर से वापिस लौटते साधारण प्रवासी अकसर लाते हुए पकड़े जाते हैं। इसके अतिरिक्त मुसाफिरों का रवैया हमारे प्रति पहले दिन की तरह ही दोस्ताना और सहयोगपूर्ण था, हालांकि जो हमारे पंजाबी पुलिसिए रात को जहाज में रुके थे, उनसे पता लगा कि कोई भी मुसाफिर गुरदित्त सिंह की आलोचना करने की स्थिति में नहीं पाया गया, जो हमारे लिए पहला असुखद संकेत था।

जहाज के कप्तान ने हमें बताया कि यात्रियों के पास 5 पिस्तौल थे, जो उन्होंने जहाज के सिंगापुर से चलते वक्त समुद्र में फैंक दिए!

इस सारी कार्यवाही के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि निम्नलिखित आठ मुसाफिर – (1) गुरदित्त सिंह, (2) दलजीत सिंह, (3) मीर मुहम्मद खां, (4) पोहला राम, (5) जवाहर मल्ल, (6) नारायण, (7) केहर सिंह, (8) हरनाम सिंह को नजरबन्द करना योग्य होगा।

पंजाबी सिपाहियों को जहाज में ही रात ठहरने के लिए कह दिया गया था ताकि वे मुसाफिरों से घुल-मिलकर हमारे मतलब की कोई जानकारी हासिल कर सकें।

(4) **29 सितम्बर** सुबह पांच बजे हमें जहाज पर पहुंचने पर पंजाबी पुलिसियों से (जो रात भर जहाज पर ही रहे थे) पता लगा कि गुरदित्त सिंह के प्रति मुसाफिरों की कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव तो सर्वशक्तिमान (Paramount) है और कई तो

उसे अपना गुरू और हकों का रखवाला मानते हैं।

जहाज को बज बज पहुंचने में 9 बज गए, जिस दौरान मि. डॉनल्ड (डी.सी.) ने आर्डीनेंस तहत रस्मी कागजी कार्यवाही पूरी कर ली थी, और साथ ही कस्टम अधिकारियों ने आटे की बोरियों की तलाशी ले ली, जो हम ले नहीं सके थे और उनमें भी कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।

जहां तक नजरबन्द किए जाने वाले (आठ) व्यक्तियों का सवाल था, हमने सोचा कि हम उनके कान में डाल देंगे कि वे बाकी मुसाफिरों के रवाना होने तक पीछे ही अटके रहें। उधर चूंकि जहाज किसी कारण 10.30 बजे से पहले नहीं चल सकता था, हम बज बज स्टेशन पर स्पेशल/विशेष गाड़ी के बारे में जायजा लेने वहां जा पहुंचे। गाड़ी तैयार-बर-तैयार थी और कलकत्ता से लुधियाना, पुलिस के 23 सिपाहियां की टोली जो अभी ही पहुंची थी, वह भी हमारी सहायता के लिए वहां मौजूद थी।

नाश्ते के बाद हम जहाज पर पहुंचे तो हमने गुरदित्त सिंह को उसके केबिन से बुलाकर उसको जहाज से उतर कर सामने स्टेशन पर खड़ी गाड़ी में जाने के लिए कहा तो उसका दो टूक जवाब था, ''हम बज बज (स्टेशन) पर नहीं जाएंगे और साथ ही कहा कि अगर हमने कोई गलती की है तो किसी जज को हमारा बयान लेने के लिए भेजा जाए और फिर अगर सरकार चाहे तो हमें गोली से उड़ा दे। और अगर उन्हें मरना पड़ेगा तो

बज बज घाट के रेलवे स्टेशन का एक दृश्य

वे इकट्ठे ही मरेंगे।''

इस रिपोर्ट का अगला भाग पुलिस, फौज और मुसाफिरों की खींचतान का है,

जिसका अन्त 7.30 बजे शाम एक खूनी झड़प से हुआ और जिस गड़बड़ में 19-20 मुसाफिर मारे गए, कितने ही जख्मी हुए, तीन पुलिसिए भी हलाक हुए/मारे गए और कुछ को चोटें भी लगी।

एक जायजा

जैसा कि उपरोक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप में माना गया कि जहाज की डेढ़ दिन लगातार तलाशी के दौरान किसी के सामान से अथवा मुसाफिर से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई, लिहाजा जो भी पुलिसिए गोली से मरे, वे भी उन्हीं में से किसी की गोली से मरे होंगे और बाकी जिनको लाठियां आदि लगीं, उनको किसी न किसी मुसाफिर ने लाठियां आदि लगीं, उनको किसी न किसी मुसाफिर ने भड़क कर या बचाव खातिर किसी पुलिसिए की लाठी छीनकर उसको मारी होगी!

किन्तु अगर उपरोक्त रिपोर्ट के पहले दो पैराग्राफों को पढ़ें तो इस झड़प का मूल कारण यह था कि सरकार छुपे हुए ढंग से मुसाफिरों को गुरदित्त सिंह समेत जहाजी नेताओं से दूर कर उन सभी को 'सबक सिखाना' चाहती थी और सरकार को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि कुछ 'शरारती उपद्रवियों' की खुफिया साजिश। बताने लायक है कि लम्बी चौड़ी सरकारी रिपोर्ट सभी इस मुद्दे पर एक मत है कि किसी भी पड़ाव पर मुसाफिरों को यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वे आर्डीनेंस 5 के अधीन नजरबन्द किए जा रहे हैं। फौजदारी नियमावली के अनुसार, जब दफा 144 भी लागू की जाती है तो जरूरी है कि पहले जनता को सरेआम सूचित किया जाए। और इसके लागू होने के बाद अगर कहीं भीड़ को तितर-बितर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना हो तो भी पहले उस भीड़ को चेतावनी देना जरूरी होता है कि ''यह सभा गैर-कानूनी है।'' सो अगर दफा 144 जैसी मामूली धारा लागू करने के लिए ऐसी व्यवस्था है तो इतने क्रूर आर्डीनेंस को लागू करते समय योग्य कानूनी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया था, इसका जवाब किसी भी सरकारी अफसर की तरफ से नहीं दिया जा सका।

रोल्ट कमेटी (1917-18) का 29 सितम्बर कांड के बारे में खुलासाः

'कोमागाटा मारु', हुगली दरिया के किनारे पर 26 सितम्बर को पहुंचा था और 29 सितम्बर 11 बजे सुबह बज बज के पास ठहरा दिया गया, जहां एक स्पेशल गाड़ी मुसाफिरों को बिना किराये के पंजाब ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। सरकार उस समय आर्डीनेंस 5 के अधीन कार्यवाही कर रही थी, जिसके मुताबिक उसके पास 5 सितम्बर 1914 के बाद, किसी को भी हिन्दोस्तान के अन्दर बाहर से दाखिल हो रहे व्यक्ति (अगर ऐसा करना सरकार की सलामती के लिए जरूरी हो तो) इधर-उधर जाने पर जरूरी

पाबन्दी लगा सकती थी। सरकार के पास गुरदित्त सिंह और उसके पक्षपातियों के इरादों के बारे में जानकारी उपलब्ध थी, जिसकी पुष्टि आगे चलकर गाड़ी में बैठने से इंकार कर दिया और इकट्ठे कलकत्ते की तरफ चल पड़े, तो फिर उनको जबरदस्ती पीछे मोड़ने के लिए कोशिश की गई, जिससे टकराव हुआ और दोनों तरफ मौतें हुई, कई सिखों के पास अमेरिकन रिवाल्वर थे। केवल 60 मुसाफिर जिनमें से 17 मुसलमान थे, गाड़ी में सवार हुए। 18 सिख मारे गए। कई पकड़ लिए गए और 29 भगौड़े हो गए।

''जो गिरफ्तार किए गए थे, उनमें से बहुत से जनवरी 1915 को रिहा कर दिए गए थे, जबकि 31 को कैद में रखा गया था।

''कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि लगभग सारे ही मुसाफिर अपनी बदकिस्मती के लिए हिन्द सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। दरअसल साधारण हिन्दोस्तानी ब्रितानवी सरकार, कैनेडियन सरकार और हिन्द सरकार के बीच कोई फर्क नहीं करता; उसकी नजरों में यह सारे हाकिम आपस में मिले-जुले ही हैं, वैसे, सरकार के बारे में यह धारणा केवल कोमागाटा मारु के यात्रियों तक ही सीमित नहीं थी; इस घटना ने पंजाब के कुछ सिखों को महसूस कराया कि सरकार उनके विरूद्ध थी, जिस कारण गदर लहर को भी तेजी मिली थी। गदर पार्टी के बुलावे पर दुनिया भर से भारतीय प्रवासियों की टोलियां भारत वापस आ गई थी।''

डाइरेक्टर क्रिमिनल इंटेलिजेंस की साप्ताहिक खुफिया रिपोर्ट (13 अक्टूबर 1914)।

(नोटः- ताकीद की जाती है कि इस रिपोर्ट को जला दिया जाए, और रिकार्ड पर न रखा जाए)

(देशभक्त) सिख राजनीति

400 सिखों की मीटिंग 4 अक्टूबर को लाहौर में हुई, जिसमें लॉयल गजेट (Loyal Gazzette) के संपादक अमर सिंह ने बज बज बारे तीखी आपत्तिजनक तकरीर की, जिसमें उसने जहाज के हांग कांग से रवाना होने से लेकर कलकत्ते पहुंचने तक की दुखदाई घटनाओं का उल्लेख किया और दावा किया कि मुसाफिर अपने घरों को जाने से पहले कलकत्ते से अपने बीवी-बच्चों के लिए कुछ थोड़ा उपहार के तौर पर लेकर जाना चाहते थे, किन्तु पुलिस और फौज ने उनको जबरदस्ती पीछे धकेल दिया; जिन सिक्खों के पास कृपाणें थी, उन्होंने अपने बचाव के लिए उनका उपयोग किया, परन्तु गोलियों की बौछार ने दोनों तरफ जानी नुकसान पहुंचाया। अमर सिंह ने यह भी पूरे विश्वास कि साथ कहा कि मौके पर शहीद हुए सिखों की गिनती सरकार द्वारा बताई जा रही गिनती से कहीं

अधिक है और सिंह सभा को सुझाव दिया कि वह सारे कांड की जांच-पड़ताल करे और दोषी अधिकारियों के लिए सजा हेतु जोर दें।

(राजभक्त) 6 अक्टूबर की साप्ताहिक खुफिया रिपोर्ट अनुसारः- 'कोमागाटा मारु की वापसी' के शीर्षक तहत अमृतसर में हुई मीटिंग के सेक्रेटरी ने सरकार को तार से सूचित किया है कि ''अमृतसर हरिमन्दिर साहिब में सरदार बहादुर अरुढ़ सिंह (सर्वेसर्वा अकाल तख्त) की अध्यक्षता में सिखों की एक भारी सभा हुई, जिसमें उन्होंने बज बज के उपद्रवियों से खुद को अलग करते हुए, सरकार के प्रति अपनी टकसाली वफादारी के विश्वास को दृढ़ किया है।''

'कोमागाटा मारु के उपद्रवी तो सिख ही नहीं हैं'

अकाल तख्त के सर्वेसर्वा सरदार बहादुर (बदमाश) अरुढ़ सिंह ने बज बज के खूनी कांड के बारे में अकाल तख्त की तरफ से हुक्मनामा जारी करते हुए इन शहीदों को 'गैर सिख' करार दे दिया था।

उक्त हुक्मनामे की प्रमाणित नकल तो लेखक के पास नहीं है, किन्तु इसको रद्द करने के बारे में श्री अकाल तख्त साहिब के 12.10.1920 वाले हुक्मनामे की कॉपी उपलब्ध है, जिसके द्वारा पहले हुक्मनामे की भर्त्सना की गई है; यह हुक्मनामा श्री हरिमन्दिर साहिब के पंथ के संचालक होते ही जारी किया गया थाः

''(हवाला) हुक्मनामे आदेश संदेशः
श्री अकाल तख्त साहिब
रूप सिंह (सिंह ब्रदर्स, जून 2003, पृष्ठ 64)
तारीख 12.10.1920

''अकाल तख्त सजा हुआ खालसा जी का यह दीवान पास करता है कि जिन्होंने बज बज घाट पर अंग्रेजों का मुकाबला किया था, वे अनन्य गुरू के सिख थे। बल्कि वे गुरू के सिख नहीं हैं, जो अपने घर में मनमर्जी करते हैं। सरदार अरूढ़ सिंह जो गुरमत प्रचार को बन्द कर घर में पाप लीला करता है, गुरू का सिख नहीं !''

6
यात्रियों के ब्यौरे

भारती दंडावली की धारा 176 तहित मि. डबलयू.एस. होपकिन, आई.सी.एस., तहकीकात ऐ.डी.एम. 24 परगना की तरफ से की गई जांच (Inquest) इस प्रकार हैः

फायरिंग में मरे व्यक्ति

1. रूखनी कांता मोज़मदार, दीयूपारा, जिला आपली, बंगाल
2. शीहां सिंह, ददेहर, थाना सरहाली, अमृतसर
3. गुमनाम सिख
4. अर्जन सिंह, ढड्डे, जालन्धर
5. गुमनाम सिख
6. गुमनाम सिख
7. इन्द्र सिंह, सिधवां, थाना राहों, जालन्धर
8. नरैण सिंह, लोंगोदावा, थाना ज़ीरा, फिरोजपुर
9. लछमन सिंह, मानोचाहल, थाना तरनतारन, अमृतसर
10. शिव सिंह नानूके, थाना तरनतारन, अमृतसर
11. भजन सिंह राजेआना, थाना तरनतारन, अमृतसर
12. चंनण सिंह, वज़ीदके, बरनाला
13. शिव सिंह मानूथे सिधु, थाना जगराओं, लुधियाना
14. रूड़ सिंह, लोंगोआना, थाना बाजेवाला, फिरोजपुर
15. कुमार सिंह, पाखरी, फरीदकोट
16. ईशर सिंह मानूके सिधु, थाना जगराओं, लुधियाना।
17. दीन बंधू ओरिया, भदरक, जिला बालासोर
18. मल सिंह हवलदार, पेटी नंः 528, लुधियाना पुलिस
19. इन्द्र सिंह (नदी में डूबने के साथ मौत), मानूके।

शीहां सिंह

उपरोक्त सूची में 16 यात्री, 2 दर्शक और 1 (एक) पुलिस हवलदार है। सरकारी रिकार्ड कुल 20 यात्रियों को मृतक दर्शाता है, जिन में निम्नलिखित पाँचों

के नाम, उक्त सूची में शामिल नहीं किए गएः-

1. भगत सिंह सपुत्र हीरा सिंह राजेआना, थाना मोगा, जिला फिरोजपुर
2. मीता सिंह सपुत्र बिशल सिंह, लील माजरी, थाना रायेकोट, जिला लुधियाना।
3. केहर सिंह सपुत्र झंडा सिंह, खेमूआना, थाना रायेकोट, लुधियाना
4. रतन सिंह सपुत्र वतन सिंह, जमशेर, जिला जालन्धर
5. टहिल सिंह सपुत्र गंडा सिंह रामवाला, थाना सरहाली, जिला अमृतसर (हस्पताल में हैज़े से हुई मौत)

उपलब्ध रिकार्ड की रोशनी में पहले चार मुसाफिरों से तीन तो गोली लगने से शहीद हुए होंगे और चौथे के बारे कुछ नहीं कहा जा सकता, और न ही उसको अलग किया जा सका। – लेखक

मैंने 30 सितम्बर को शाम के समय बज बज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर 16 व्यक्तियों की रखी हुई लाशें देखीं। मैं जब बज बज पहुंचा तो 19 व्यक्तियों में से रूखनी मजूमदार, दिऊपाड़ा जिला नौआखली का रहने वाला बंगाली था। वह अपने भतीजे तारीनी कांता मजूमदार के साथ बज बज में रह रहा था, जो कि बज बज म्यूसिपलिटी की डिस्पेंसरी में कम्पांऊडर था।' भदरक वासी दीनाबन्धु उड़िया अधिकारी और हेम घोष के होटल में रसोए का काम करता था। अधिकारी का होटल था और हेम घोष की सोडावाटर और सिगरेट की दुकान थी।

दुकानदारों की गवाहियों और दूसरे गवाहों से पता लगता है कि शुरू मे कोई गड़बड़ाहट नहीं हुई थी। इन गवाहियों से यह संकेत मिलता है कि भीड़ रेल पर चढ़ने की तैयारी कर रही थी। कुछ व्यक्ति खड़े थे और एक-दो लोग पीने वाला पानी ला रहे थे और बाकी सब बैठे हुए थे। उस मौके पर मि. डोनॉल्ड ने वहां पहुंचकर उनके लीडर गुरदित्त सिंह को खोजना शुरू किया और उसको देखकर उसको वहां बैठे सिखों के बीच से बाहर आने के लिए कहा। मि. डोनाल्ड एक कोने में खड़ा था। मि. स्यूडीमोर की गवाही से पता चलता है कि फौज के 25 या 30 लोगों ने गोलियां चलाई और तकरीबन 130 गोलियां चलाई गई। मि. डोनाल्ड और एक और अफसर ने भी 450 बोर के सरकारी रिवाल्वरों से गोलियां चलाई। फौजियों का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था और केवल एक आदमी को गले पर हल्की खरोंच लगी थी। मि. डोनाल्ड की गवाही अनुसार सिक्खों की तरफ से एक .380 बोर का रिवाल्वर मिला, जिसमें से दो गोलियां चली हुई थीं और तीन बिना चले थीं। इसके अतिरिक्त .320 और .380 की गोलियां और खाली बक्से दुकानों के नजदीक पड़े हुए मिले थे।

कोमागाटा मारू के नेता

गुरदित सिंह, नरैण सिंह, अमीर मुहम्मद खाँ, अमर सिंह निहंग, सुच्चा सिंह, हरनाम सिंह, सुरैण सिंह, इन्द्र सिंह (तरलोचन सिंह) एवं करनैल सिंह।

स्रोतः पुरा लेख भवन वैनकूवर।

जहाज की कमेटी

सुंदर सिंह, भगवान सिंह, संता सिंह, दयाल सिंह एवं दान सिंह।

घायलों की सूची

1. पीर बख्श, 2. बादल सिंह, 3. मंगल सिंह, 4. रला सिंह, 5. टहिल सिंह, 6. इन्द्र सिंह, 7. हज़ारा सिंह, 8. इन्द्र सिंह, 9. प्रभ सिंह, 10. बहादर सिंह, 11. मल्ल सिंह, 12. सुंदर सिंह, 13. सुच्चा सिंह, 14. सुनेर सिंह 15. गुरदित सिंह, 16. ब्रिज लाल सिंह, 17. बख्तावर सिंह, 18. बिशन सिंह, 19. मुनशा सिंह, 20. दरबारा सिंह और 21. नारंग सिंह।

नोटः 1. सरकारी रिर्पोट अनुसार पीर बख्श सिंह था। यह झूठ इसलिए बोला गया था ताकि बताया जा सके कि बाकी के यात्रियों में कोई मुस्लिम नहीं था।

2. जांच कमेटी की रिर्पोट के पैरा नं. 32 अनुसार तीन मृतकों की पहचान नहीं हो सकी।

कोमागाटा मारू के यात्रियों की गिनती का विवरण

कुल यात्री	**321**
पंजाब भेजे गए	61
दंगों के उपरान्त गिरफतार	211
मारे गए	21
भगौड़े हो गए	28

यात्रियों की सूची - नाम एवं पते

एस.एस. कोमागाटा मारू के 59 यात्रियों की सूची जो दंगों से पहले विशेष रेल द्वारा बज बज से रवाना हो गए। इसके उपरांत तीन यात्री पंजाब भेजे गए थे।

क्रम	नाम	पिता का नाम	जाति	गाँव	थाना
1	अनवर खान	मेहर खान	आवान	जालार	नौशहरा
2	गौर खान	फतिह बेग	आवान	उचाली	नौशहरा
3	सिरकू खानमीर	खान	आवान	जालार	नौशहरा
4	जवायिआ खान	मीआं मुहम्मद	कमहार	जालार	नौशहरा

5	हिदैत खान	नूर अहमद	आवान	बुटरवाल	नौशहरा
6	फकीर मुहम्मद	समंद	दरियाऐवाल	चोरकी	नौशहरा
7	सिरकारू	रण बेग	आवान	जालार	नौशहरा
8	फतेह शेर	फतेह मीयां	आवान	जालार	नौशहरा
9	बेग अली	गुलाम मुहम्मद	मोदू	जालार	नौशहरा
10	हाजी	शेरा	कुम्हार	जालार	नौशहरा
11	शेर मुहम्मद	फतेह शेर	आवान	जालार	नौशहरा
12	नादिर शाह	उसबारिक शाह	सईद	जालार	नौशहरा
13	गुलाब सिंह	सेमा सिंह	जट्ट सिख	जालार	नौशहरा
14	नूर मुहम्मद	दित्ता	नाई	जालार	नौशहरा
15	मीयां मुहम्मद	अहमद	लाख	जालार	नौशहरा
16	रमजान	मीयां	मिरासी	जालार	नौशहरा
17	यासीन	बहादर	आवान	जालार	नौशहरा
18	अर्जन सिंह	बाघ सिंह	सिख	जालार	नौशहरा
19	कासिम	सुल्तान	आवान	जालार	नौशहरा

फिरोजपुर

20	प्रताप सिंह	भांगा सिंह	जट्ट	बाघापुराना	बाघापुराना
21	गज्जन सिंह	चंदा सिंह	जट्ट	बुटर	मोगा
22	सुंदर सिंह	अनोख सिंह	जट्ट	खोटे	निहाल सिंह वाला
23	मल्ल सिंह	जगत सिंह	जट्ट	सेखा	बाघापुराना
24	जैमल सिंह	सावन सिंह	जट्ट	सेखा	बाघापुराना
25	अर्जन सिंह	धर्म सिंह	जट्ट	मैना	बाघापुराना

जालन्धर

26	भान सिंह	खुशहाल सिंह	जट्ट	वड़िंग	जालन्धर
27	कृपा सिंह	फकीर चन्द	राजपूत	डरौली	जालन्धर
28	हरनाम सिंह	भगवान सिंह	जट्ट	रंधावा	जालन्धर
29	भाग सिंह	भगवान सिंह	जट्ट	रंधावा	जालन्धर
30	हरनाम सिंह	जीवन सिंह	जट्ट	सिधारा	जालन्धर
31	दलीप सिंह	अतर सिंह	जट्ट	मूसापुर	बंगा
32	मीहां सिंह	बचिंत सिंह	जट्ट	रायेपुर डब्बा	बंगा
33	सुंदर सिंह	सावन सिंह	जट्ट	झींगर	बंगा
34	गुरबख्श सिंह	देवा सिंह	जट्ट	भरौली	बंगा

35	मोता सिंह	अछर सिंह	राजपुर	भरौली	बंगा
36	करतार सिंह	हमीर सिंह	जट्ट	महिली	बंगा

होशियारपुर

37	चंदा सिंह	जय सिंह अरोड़ा	कुम्हार	कोट फतूही	माहिलपुर
38	पोलू राम	राम मल	खत्री	आनन्दपुर	आनन्दपुर
39	रला	मंगल	भरायी	सुम	राहों
40	भोला	मंगल	भरायी	सुम	राहों
41	मुनशी	वजीर सिंह	जट्ट	गुलपुर	बालाचौर
42	राम चन्द	फतिह चन्द	ब्राह्मण	जंडियाली	माहिलपुर

पटियाला

43	बिशन सिंह	काहन सिंह	जट्ट	खुड्डी	बरनाला
44	बग्गा सिंह	उत्तम सिंह	जट्ट	हारमपुरा	बरनाला
45	प्रेम सिंह	महिताब सिंह	जट्ट	पंडोरी	बरनाला
46	कपूर सिंह	अमर सिंह	ख्याला	भिखी	बरनाला
47	वजीर सिंह	नंद सिंह	जट्ट	जलवंडी	भदौड़

कपूरथला

48	अमीर सिंह	पाला सिंह	कुम्हार	कालवां	कपूरथला

नाभा

49	सुर्जन सिंह	कर्म सिंह	राजपूत	खनयान	माला

गुरदासपुर

50	इन्द्र सिंह	देवा सिंह	जट्ट	घनईअेके बांगर	फतिहगढ़

लाहौर

51	बाताल सिंह	फूला सिंह	जट्ट	किरका	काहना कच्चा
52	गनेशा सिंह	सुंदर सिंह	जट्ट	बलुआना	खालडा

अमृतसर

53	बूड सिंह	लहिणा सिंह	जट्ट	जोड़ा	सरहाली

लुधियाना

54	दान सिंह	भान सिंह	जट्ट	फुलेवाली	सोहना
55	नौरंग सिंह	लहिणा सिंह	आहलुवालीया	दितवाल	लुधियाना
56	हरनाम सिंह	देवा सिंह	जट्ट	मलाह	जगराओं
57	बख्शी सिंह	कुला सिंह	जट्ट	पंडोरी	दाखा
58	बसंत सिंह	सुल्तान सिंह	जट्ट	पंडोरी	दाखा
59	सूबा सिंह	नंद सिंह	जट्ट	डेहलों	लुधियाना
60	किशन कौर	पत्नी सुंदर सिंह		तिमोवाल	अमृतसर
61	फौजा सिंह	सुंदर सिंह			
62	तिमोवाल (आयु एक वर्ष)	सपुत्री सुंदर सिंह		तिमोवाल	अमृतसर

नोटः सुंदर सिंह आप गाड़ी में सवार नहीं हुआ था और गिरफतार किया गया – लेखक

कोमागाटा मारू के 28 भगौड़े यात्रियों की सूची

क्रम	नाम	पिता का नाम	गाँव	थाना	जिला
1	कृपा राम	शेर सिंह	मीनापुर	खरड़	अंबाला
2	बरकत सिंह	लभू सिंह	संतपुर	गुजरांवाला	गुजरांवाला
3	मनशा सिंह	महिताब सिंह	ढोडा माजरा	होशियारपुर	होशियारपुर
4	राम सिंह	गुरमुख सिंह	अबलू	फरीदकोट	फरीदकोट रियासत
5	माया सिंह	हेम सिंह	भडाना	कसूर	लाहौर
6	बंता सिंह	हाकिम सिंह	ठट्टा	कसूर	लाहौर
7	नंद सिंह	पाला सिंह	बलेर	कसूर	लाहौर
8	भाग सिंह	आला सिंह	समरा	कसूर	लाहौर
9	संता सिंह	पंजाब सिंह	कुरदी	बरनाला	पटियाला रियासत
10	गूना सिंह	लाल सिंह	घलोटी	पाल	पटियाला रियासत
11	अर्जन सिंह	गोबिंद सिंह	ख्याला	मानसा	पटियाला रियासत
12	वीर सिंह	लहिणा सिंह	चंबल	तरनतारन	अमृतसर
13	आसा सिंह	भाग सिंह	खोरदाता	तरनतारन	अमृतसर
14	चतर सिंह	नूर सिंह	सरहाली	तरनतारन	अमृतसर
15	गुरदित सिंह (बाबा)	हाकम सिंह	सरहाली	तरनतारन	अमृतसर
16	नरैण सिंह	सुल्तान सिंह	कारियांवाला	नाभा	नाभा रियासत
17	बुड्डा सिंह	प्रेम सिंह	तुंगवाला	मोगा	फिरोजपुर
18	शेर सिंह	मस्सा सिंह।	तुंगवाला	मोगा	फिरोजपुर
19	कर्ता राम	काहना राम	तुंगवाला	मोगा	फिरोजपुर
20	केहर सिंह	सुधा सिंह	सौता	मुक्तसर	फिरोजपुर
21	पाखर सिंह	राम सिंह	जंडीआला	फरीदकोट	फिरोजपुर
22	दलजीत सिंह सेक्टरी*	मुल्लख सिंह	कौनी	मुक्तसर	फिरोजपुर

भाई दलजीत सिंह

*दलजीत सिंह के बारे में 1934 की 'गदर डायरेक्टरी' में उनके कोमागाटा मारू कांड के बाद के राजनीतिक सफर की भरपूर जानकारी दर्ज है। ये खालसा स्कूल अमृतसर से पढ़े थे। 29 सितम्बर 1914 को फरार होकर ये मई 1923 में ही नजर आए थे, जब इनको जैतो मोर्चे के सिलसिले में देशद्रोह के दोष में छः साल की कैद सुनाई गई थी। मई 1926 में उनको इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे (नाभा) रियासत में दाखिल नहीं होगें। फिर वे देश भक्त परिवार सहायक कमेटी के उप-सचिव व प्रतिनिधि खालसा दीवान के महासचिव बने। दिसम्बर 1926 में अकाली दल के उप-प्रधान बने व सेंट्रल सिख लीग के अक्टूबर 1927 के होश्यिापुर सेसन में उन्होंने सरकार की महाराज नाभा के प्रति नीति के विरोध में प्रस्ताव पेश किया। वे गुरद्वारा शीशगंज आन्दोलन व साइमन कमिशन के बहिष्कार के आन्दोलन में भी सरगर्म रहे थे। वे अब भी (1934 में) स्थानीय गुरद्वारा कमेटी के मैनेजर हैं व खतरनाक इरादे रखते हैं। उनकी नौरंग सिंह घाली, सचिव, स्थानीय किरती किसान सभा, सरदार मंगल सिंह संपादक, अकाली (बाबा) खड़क सिंह, सरदूल सिंह कवीशर व स्थानीय कांग्रेसी नेता सुन्दर सिंह के साथ नजदीकी सांझ है। (हुलियाः उम्र 45-46, कान विने हुए, कद 5 फुट 4 इंच, उर्दु, अंग्रेजी व गुरमुखी जानते हैं; गलबात दौरान निर्मता दिखाते हैं – संपादक)

23	बंसी लाल	राम जी	तुंगवाला	मोगा	फिरोजपुर
24	साधा सिंह	काहन सिंह	चूहड़ चक्क	मोगा	फिरोजपुर

25	लाल सिंह	गुरमुख सिंह	खियाली	लुधियाना	लुधियाना
26	भगत सिंह	हेमदत्त सिंह	सहिणा	लुधियाना	लुधियाना
27	हरनाम सिंह	पंजाब सिंह	ढौलन	लुधियाना	लुधियाना
28	पूर्ण सिंह	लाल सिंह	चन्न	लुधियाना	लुधियाना
29	संतोख सिंह	बिशन सिंह	कमालपुर	जगराओं	लुधियाना
30	गोधा राम	बिशन राम	अचरवाल	जगराओं	लुधियाना

मूल रूप में भगौड़े हुए यात्रियों की गिनती 28 समझी जाती है। इस सूची में दो व्यक्तियों की लाशें भी शामिल हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकी।

दंगों के उपरान्त गिरफतार किए गए एस.एस. कोमागाटा मारू के 211 यात्रियों का विवरण

क्रम	कैदी का नाम/ पिता का नाम	जाति एवं घर का पता	कहाँ रखा गया जेल या हस्पताल में समय और तारीख दाखिला	गिरफतारी के संक्षेप हालात	टिप्पणी
1	नौरंग सिंह/ गुरदित सिंह	संधू सिख गाँव मुंडा थाना सरहाली	जेल में 05.10.1914	आज्ञादाह थाना बारानगर	
2	सुंदर सिंह/ संता सिंह	जट्ट सिख गाँव तिमोवाल थाना जंडियाला	जेल में 01.10.1914	बज बज	घरवाली एवं बेटी गाड़ी में चली गईं थी।
3	भगवान सिंह/ अतर सिंह	जट्ट सिख गाँव मूसा	जेल में 10.10.1914	बेहाला थाना, 24 परगना	
4	भान सिंह/ केसर सिंह	जट्ट सिख गाँव लोहार, थाना सरहाली	जेल में 01.10.1914	मटीयाबुर्ज पुलिस ने	
5	शेर सिंह/ बिशन सिंह	जट्ट सिख, गाँव कोट (सैद महमूद कोट) थाना अमृतसर	जेल में 12.10.1914	बांकुडा	
6	वधावा सिंह/ गंडा सिंह	जट्ट सिख गाँव भकना, थाना घरिंडा	जेल में 30.09.1914	बज बज	
7	केशू सिंह उर्फ सुंदर सिंह/ शेर सिंह उर्फ	जट्ट सिख गांव मुंडा थाना तरनतारन	जेल में 04.10.1914	हावड़ा	

	बुटन सिंह				
8	अजैब सिंह/ सेवा सिंह	जट्ट सिख गाँव कसेल थाना घरिंडा	जेल में 30.09.1914	बज बज	
9	जगत सिंह/ बूटा सिंह	जट्ट सिख गाँव तारागढ़ थाना जंडियाला	जेल में 12.10.1914	बांकुडा	
10	सुरैण सिंह/ गुरदित सिंह	जट्ट सिख गाँव पंडोरी वडैच थाना अमृतसर	जेल में 30.09.1914	बज बज	
11	इन्द्र सिंह/ गुरमुख सिंह	जट्ट सिख गाँव ददेहर थाना सरहाली	जेल में 30.09.1914	बज बज	
12	अतर सिंह/ हीरा सिंह	जट्ट सिख गाँव घुडका थाना सरहाली	जेल में 30.09.1914	बज बज	
13	बिशन सिंह उर्फ पहलवान*/ केसर सिंह	जट्ट सिख गाँव ददेहर थाना सरहाली	जेल में 05.10.1914	सामालीया बिष्णुपुर 24 परगना	गोली से घायल

* भतीजा बाबा बसाखा सिंह ददेहर – पहले लाहौर साजिश केस में उम्रकैद-काला पानी – लेखकर

बिशन सिंह

14	चैन सिंह/ सोहेल सिंह	जट्ट सिख गाँव छजलवड्डी थाना जंडियाला	जेल में 01.10.1914	मटीयाबुर्ज	
15	किशन सिंह/ ज्वाला सिंह	जट्ट सिख गाँव छजलवड्डी थाना जंडियाला	जेल में 01.10.1914	मटीयाबुर्ज	
16	जसवंत सिंह/ पंजाब सिंह	जट्ट सिख गाँव कोटदाता थाना सरहाली	जेल में 05.10.1914	सामालीया, बिष्णुपुर, थाना 24 परगना	
17	किशन सिंह/ वसावा सिंह	जट्ट सिख गाँव जोधा	जेल में 05.10.1914	सामालीया, बिष्णुपुर, 24 परगना	
18	आला सिंह/ निहाल सिंह	जट्ट सिख गाँव वैरोवाल थाना वैरोवाल	जेल में 28.09.1914	बज बज	
19	मंगल सिंह/	जट्ट सिख	जेल में	बज बज	

	सेवा सिंह	गाँव धनोआ थाना सरहाली	28.09.2014		
20	तेजा सिंह/ दियाल सिंह	जट्ट सिख गाँव कसेल थाना घरिंडा	जेल में 02.10.1914	चापाडंगा हुगली	
21	संता सिंह/ अतर सिंह	जट्ट सिख गाँव पंजवड थाना तरनतारन	जेल में 19.10.1914	इकबालपुर	
22	भूर सिंह/ पाल सिंह	जट्ट सिख गाँव भैल थाना वैरोवाल	जेल में 28.09.1914	बज बज	
23	सज्जन सिंह/ ईशर सिंह	जट्ट सिख गाँव ददेहर थाना सरहाली	जेल में 05.10.1914	सामालीया, बिष्णुपुर, 24 परगना	
24	गनेशा सिंह/ भाग सिंह	जट्ट सिख गाँव खानपुर थाना ब्यास	जेल में 06.10.1914	डायमंड हारबर रोड, नजदीक ठाकुरपुर, बेहाला, थाना 24 परगना	
25	हरनाम सिंह/ नत्था सिंह	जट्ट सिख गाँव सेरों थाना तरनतारन	जेल में 02.10.1914	बनसोनबेरीया गाँव बज बज	
26	मक्खन सिंह/ नत्था सिंह	जट्ट सिख गाँव लाडेवाल थाना घरिंडा	जेल में 12.10.1914	थाना बांकुडा	
27	बलवंत सिंह (आयु 9 वर्ष)/ (बाबा) गुरदित सिंह	जट्ट सिख गाँव सरहाली थाना सरहाली	जेल में 30.09.1914	बज बज	
28	बेला सिंह/ खेम सिंह	जट्ट सिख गाँव खानचेपडी थाना वैरोवाल	जेल में 30.09.1914	बज बज	
29	भाग सिंह/ नरैण सिंह	तेली सिख गाँव जमीयतपुरा थाना तरनतारन	जेल में 05.10.1914	बिष्णुपुर, 24 परगना	
30	चैन सिंह/ निहाल सिंह	संधू सिख गाँव सरहाली थाना सरहाली	जेल में 05.10.1914	बिष्णुपुर, 24 परगना	
31	जैवंत सिंह/ लाल सिंह	जट्ट सिख गाँव शेरों थाना सरहाली	जेल में 12.10.1914	बज बज, नजदीक झिंजरीया पुल	
32	देवा सिंह/ लाल सिंह	मेहरा सिख गाँव शेरों थाना सरहाली	जेल में 12.10.1914	बांकुडा	
33	शमशेर सिंह/ गुरदित सिंह	जट्ट सिख गाँव सरहाली थाना सरहाली	जेल में 02.10.1914	बज बज, नजदीक झिंजरीया पुल	
34	ठाकुर सिंह/ बुध सिंह	जट्ट सिख गाँव उदोनंगल थाना वरपाल	जेल में 12.10.1914	बांकुडा	बांयी बाजू पर गोली का जख्म
35	साधु सिंह/ जगत सिंह	जट्ट सिख गाँव दादूकोट थाना सरहाली	जेल में 03.10.1914	रामकांतपुर थाना बिस्तूपुर 24 परगना	
36	बहादर सिंह/ जवाहर सिंह	जट्ट सिख गाँव कलेर थाना वैरोवाल	जेल में 30.09.1914	बंसी बाजार गार्डन रीच थाना 24 परगना	दांयी बाजू के कंधे पर और बांयी बाजू पर गोली का जख्म
37	बूटा सिंह/ लहणा सिंह	जट्ट सिख गाँव मुछल्ल थाना जंडियाला	जेल में 02.10.1914	चंपाडंगा हुगली	
38	फौजा सिंह/ दसौंधा सिंह	तेली सिख गाँव झामके थाना तरनतारन	जेल में 30.09.1914	बज बज	
39	सम्पूर्ण सिंह/ सरूप सिंह	सिख गाँव नाथपुरा थाना सरहाली	जेल में 30.09.1914	बज बज	
40	सुरैण सिंह उर्फ रतन सिंह/ ज्वाला सिंह	संधू सिख गाँव सरहाली थाना सरहाली	जेल में 05.10.1914	मेदनापुर	मेदनापुर सेंट्रल जेल में ले जाने के लिए पुलिस हवाले 16.10.1914
41	दियाल सिंह/ नरैण सिंह	सिख गाँव कक्कड़ थाना लोपोके	जेल में 12.10.1914	बांकुडा	
42	कौर सिंह/ वधावा सिंह	सिख गाँव कोटदाता थाना सरहाली	जेल में 26.10.1914	मटीयाबुर्ज	

बलवन्त सिंह

43	माना सिंह/ खडक सिंह	सिख गाँव ढोटिया	जेल में 26.10.1914	लायलपुर	

पटियाला

44	संता सिंह/ बचन सिंह	जट्ट सिख गाँव कालेके थाना बरूला	जेल में 02.10.1914	बिस्तूपुर 24 परगना	
45	दियाल सिंह/ बदन सिंह	जट्ट सिख गाँव साधारी थाना डिरबा	जेल में 10.10.1914	बेहाला 24 परगना	
46	चंनण सिंह/ धौंकल सिंह	जट्ट सिख गाँव मागू की तलवंडी, थाना भदौड़	जेल में 12.10.1914	24 परगना	
47	बिशन सिंह/ हीरा सिंह	जट्ट सिख गाँव समेर थाना बठिंडा	जेल में 30.09.1914	बज बज	
48	चेत सिंह/ शेर सिंह	मेहरा सिख गाँव बेला थाना भदौड़	जेल में 30.09.1914	बैरकपुर	
49	चेत सिंह/ तोता सिंह	मेहरा सिख गाँव बडाली आला सिंह, थाना बस्सी, सरहिंद	जेल में 02.10.1914	बैरकपुर	
50	मस्तान सिंह/ काहन सिंह	जट्ट सिख गाँव मूम थाना बरनाला	जेल में 02.10.1914	चंपाडंगा हुगली	
51	चंदा सिंह/ सरमुख सिंह	जट्ट सिख गाँव ठीकरीवाला थाना बरनाला	जेल में 02.10.1914	चंपाडंगा हुगली	
52	वजीर सिंह/ संतोख सिंह	जट्ट सिख गाँव रला थाना भिखी	जेल में 02.10.1914	चंपाडंगा हुगली	
53	जय सिंह/ काला सिंह	जट्ट सिख गाँव बीला थाना बरनाला	जेल में 02.10.1914	चंपाडंगा हुगली	
54	गुरदित सिंह/ गोका सिंह	जट्ट सिख गाँव सेखा थाना बरनाला	जेल में 30.09.1914	बज बज	
55	गुजर सिंह/ चढ़त सिंह	जट्ट सिख गाँव सेखा थाना बरनाला	जेल में 30.09.1914	बज बज	
56	मल्ल सिंह/ रण सिंह जट्ट	सिख, गाँव आला सिंह वडाली थाना बस्सी	जेल में 30.09.1914	बज बज	
57	हरनाम सिंह/ अनोख सिंह	खत्री सिख गाँव कुमारवाल थाना शेरपुर	जेल में 02.10.1914	बैरकपुर	
58	बचित्त सिंह/ भाग सिंह	जट्ट सिख गाँव खेडी चहिल थाना शेरपुर	जेल में 07.10.1914	इकबालपुर	
59	नंद सिंह/ लाल सिंह	जट्ट सिख गाँव कैली भदौड़ थाना तलवंडी	जेल में 29.09.1914	बज बज	
60	बख्तावर सिंह/ प्रेम सिंह	जट्ट सिख गाँव हरीका बुर्ज थाना भिखी	जेल में 28.09.1914	बज बज	दांयी बाजू पर गोली का जख्म
61	मुनशा सिंह/ चेत सिंह	जट्ट सिख गाँव चौधरी थाना लालडू	जेल में 01.10.1914	हावड़ा	बांयी बाजू और कंधे पर गोली का जख्म
62	इन्द्र सिंह/ जैमल सिंह	जट्ट सिख गाँव ठीकरीवाला थाना बरनाला	जेल में 29.09.1914	बज बज	
63	प्रताप सिंह/ गुलजार सिंह	जट्ट सिख गाँव बेला, थाना भदौड़	जेल में 29.09.1914	बज बज	
64	महिमा सिंह/ हरनाम सिंह	जट्ट सिख गाँव सिल्ल थाना कानावाड	जेल में 30.09.1914	बज बज	
65	चंदा सिंह/ मनसा सिंह	जट्ट सिख गाँव बेला थाना भदौड़	जेल में 02.10.1914	बिस्तूपुर 24 परगना	
66	बचन सिंह/ किशन सिंह	जट्ट सिख गाँव ठीकरीवाला थाना बरनाला	जेल में 30.09.1914	बज बज	
67	किशन सिंह/	जट्ट सिख	जेल में	बज बज	

	महिताब सिंह	गाँव ठीकरीवाला थाना बरनाला	30.09.1914		
68	नर सिंह/ उदय सिंह	जट्ट सिख गाँव जोगा थाना भिखी	जेल में 08.10.1914	मोदनापुर	
69	हीरा सिंह/ पंजाब सिंह	जट्ट सिख गाँव कालाबंदी थाना तलवंडी	जेल में 04.10.1914	बज बज	
70	सरूप सिंह/ सद्दा सिंह	जट्ट सिख गाँव बानावारा थाना बोहा	जेल में 04.10.1914	बज बज	
71	फुमन सिंह/ हरनाम सिंह	जट्ट सिख गाँव सिंघोआ थाना तलवंडी	जेल में 04.10.1914	बज बज	
72	पाल सिंह/ देवा सिंह	जट्ट सिख गाँव जलदीवाल थाना भदौड़	जेल में 04.10.1914	बिष्टूपुर	
73	बिजला सिंह/ भगत सिंह	जट्ट सिख गाँव जातरा थाना तलवंडी	जेल में 30.09.1914	बज बज	दांयी बाजू के कंधे पर गोली से जख्म
74	जीवन सिंह/ सुजान सिंह	जट्ट सिख गाँव कोबीबंदर थाना तलवंडी	जेल में 29.09.1914	बज बज	
75	नर सिंह/ सरमुख सिंह	जट्ट सिख गाँव रला, थाना भिखी, फिरोजपुर	जेल में 08.10.1914	मेदनापुर	
76	सुंदर सिंह/ वरियाम सिंह	जट्ट सिख गाँव अजीतवाल थाना मोगा	जेल में 02.10.1914	चंपाडंगा हुगली	पीठ पर कट
77	दलेर सिंह/ बिशन सिंह	जट्ट सिख गाँव आलमवाला थाना बाघापुराना	जेल में 30.09.1914	बज बज	
78	नंद सिंह/ गुजर सिंह	जट्ट सिख गाँव गंगा थाना कोटकपुरा	जेल में 30.09.1914	बज बज	
79	सुच्चा सिंह/ गुरमुख सिंह	जट्ट सिख गाँव माछीके, थाना निहाल सिंह वाला	जेल में 06.10.1914	बिस्तूपुर 24 परगना	

80	चंनण सिंह/ जगत सिंह	जट्ट सिख गाँव तखानवध थाना मोगा	जेल में 03.10.1914	बज बज
81	कपूर सिंह/ संता सिंह	जट्ट सिख गाँव लोपुर, थाना निहाल सिंह वाला	जेल में 30.09.1914	बज बज
82	ईशर सिंह/ अनोख सिंह	जट्ट सिख गाँव रौली थाना मोगा	जेल में 30.09.1914	बज बज
83	इन्द्र सिंह/ वरियाम सिंह	जट्ट सिख गाँव रामा, थाना निहाल सिंह वाला	जेल में 03.10.1914	बज बज
84	शहजादा सिंह/ गंडा सिंह	जट्ट सिख गाँव अबलू थाना कोटकपुरा	जेल में 29.09.1914	बज बज
85	गोबिंद सिंह/ निहाल सिंह	जट्ट सिख गाँव वारे थाना धर्मकोट	जेल में 02.10.1974	बज बज
86	मित्त सिंह/ वजीर सिंह	खत्री सिख गाँव बराज़ थाना बाजेवाल	जेल में 30.09.1914	बज बज
87	राम सिंह/ भोला सिंह	जट्ट सिख गाँव तुंगवाली थाना नथाना	जेल में 06.10.1914	बारानगर
88	केहर सिंह/ लाल सिंह	जट्ट सिख गाँव तुंगवाली थाना नथाना	जेल में 29.09.1914	बज बज
89	लेखराज सिंह/ नंद सिंह	जट्ट सिख गाँव महिराज़ थाना नथाना	जेल में 03.10.1914	बज बज
90	मल्ल सिंह/ भाग सिंह	जट्ट सिख गाँव झंडेवाल थाना बग्गेवाल	जेल में 02.10.1914	बेहाला 24 परगना
91	मित्त सिंह/ हमीर सिंह	जट्ट सिख गाँव बागीपुरा थाना मोगा	जेल में 02.10.1914	बज बज
92	नंद सिंह/ नत्था सिंह	ब्राह्मण सिख गाँव लहरा	जेल में 02.10.1914	बज बज

		थाना जीरा			
93	सोहन सिंह/ दान सिंह	जट्ट सिख गाँव बंडाला थाना जीरा	जेल में 12.10.1914	बांकुडा	
94	हीरा सिंह/ प्रेम सिंह	जट्ट सिख गाँव तुंगवाली थाना नथाना	जेल में 30.09.1914	बेहाला	
95	गुरमुख सिंह/ केवल सिंह	जट्ट सिख गाँव तुंगवाली थाना नथाना	जेल में 30.09.1914	बज बज	
96	पूर्ण सिंह/ बूड सिंह	जट्ट सिख गाँव कोलिया थाना बागेवाल	जेल में 12.10.1914	बांकुडा	
97	देवा सिंह/ बूड़ सिंह	जट्ट सिख गाँव लंगेआना थाना बाघापुराना	जेल में 29.09.1914	बज बज	
98	किशन सिंह/ बावा सिंह	जट्ट सिख गाँव जीओवाल थाना कोटकपुरा	जेल में 10.10.1914	बेहाला	
99	गुरमुख सिंह/ खड़क सिंह	जट्ट सिख गाँव वारे थाना धर्मकोट	जेल में 08.10.1914	मेदनापुर	
100	केहर सिंह/ संता सिंह	जट्ट सिख गाँव रोडे थाना बाघापुराना	जेल में 30.09.1914	बज बज	
101	भगवान सिंह/ बूटा सिंह	जट्ट सिख गाँव आलमवाला थाना बाघापुराना	जेल में 29.09.1914	बज बज	
102	केहर सिंह/ भान सिंह	जट्ट सिख गाँव रोडे थाना बाघापुराना	जेल में 30.09.1914	बज बज	
103	जैमल सिंह/ हुक्म सिंह	जट्ट सिख गाँव लंगेआना थाना बाघापुराना	जेल में 29.10.1914	बज बज	
104	मुंशीराम/ पारस राम	ब्राह्मण गाँव कोटला थाना बाघापुराना	जेल में 15.10.1914	मटीयाबुर्ज	
105	इन्द्र सिंह/	कारीगर सिख	जेल में	बज बज	

	सुच्चा सिंह	गाँव दुनेवाड़ा थाना मोगा	30.09.1914		
106	दरबारा सिंह/ राम सिंह	जट्ट सिख गाँव मल्ला, थाना भाई का कोट	जेल में 01.10.1914	बेराकोले रेस हाऊस, मार्गघाट 24 परगना	पेट पर और बांयी बाजू और कंधे पर गोली के जख्म
107	चंदन सिंह/ गुरदित सिंह	जट्ट सिख गाँव किशनपुरा थाना धर्मकोट	जेल में 01.10.1914	बज बज	
108	राम रतन/ अमी चन्द	बनिया गाँव तुंगवाली थाना नथाना	जेल में 08.10.1914	हेशतल्ला 24 परगना	
109	काहन सिंह/ सुच्चा सिंह	जट्ट सिख गाँव अबलू थाना कोटकपुरा	जेल में 29.09.1914	बज बज	
110	रामजीदास सिंह/ संत राम	ब्राह्मण गाँव गुंगवाली थाना नथाना	जेल में 03.10.1914		
111	बिशन सिंह/ साधु सिंह	जट्ट सिख गाँव चूहड़चक्क थाना मोगा	जेल में 30.09.1914	बज बज	दांयी बाजू पर गोली का जख्म

लुधियाना

बाबा गुरमुख सिंह

(बाबा) हरनाम सिंह

112	(बाबा) गुरमुख सिंह/होशनाक सिंह	जट्ट सिख गाँव ललतों थाना लुधियाना	जेल में 29.09.1914	बज बज	
113	लाल सिंह/ लहौरा सिंह	जट्ट सिख गाँव मान थाना जगराओं	जेल में 02.10.1914	चंपाडंगा हुगली	
114	लाल सिंह/ नत्था सिंह	जट्ट सिख गाँव जड़तौली थाना हेहलों	जेल में 07.10.1914	बेहाला 24 परगना	
115	(बाबा) हरनाम सिंह/नरैण सिंह	जट्ट सिख गाँव गुजरवाल थाना डेहलों	जेल में 11.10.1914	मानभूम	
116	सुंदर सिंह/ गुज्जर सिंह	जट्ट सिख गाँव छीना	जेल में 11.10.1914	मानभूम	दांये पैर की तली पर जख्म

		थाना जगराओं		
117	शेर सिंह/ कालू सिंह	जट्ट सिख गाँव कमालपुर थाना जगराओं	जेल में 04.10.1914	बज बज
118	सुंदर सिंह/ गुरमुख सिंह	जट्ट सिख गाँव मान थाना जगराओं	जेल में 02.10.1914	चंपाडंगा हुगली
119	बारू/ हेमा	अराई मुस्लमान गाँव ढोलेवाल थाना लुधियाना	जेल में 20.09.1914	बज बज
120	धन सिंह/ नत्था सिंह	जट्ट सिख गाँव अचरवाल थाना रायेकोट	जेल में 02.10.1914	चंपाडंगा हुगली
121	पूर्ण सिंह/ गुरदित सिंह	जट्ट सिख गाँव जनेतपुरा थाना जगराओं	जेल में 02.10.1914	चंपाडंगा हुगली
122	नत्था सिंह/ बूटा सिंह	जट्ट सिख गाँव चक्कर थाना जगराओं	जेल में 02.10.1914	चंपाडंगा हुगली
123	ध्यान सिंह/ अमर सिंह	जट्ट सिख गाँव घुम्मन थाना जगराओं	जेल में 04.10.1914	बज बज
124	वीर सिंह/ खजान सिंह	जट्ट सिख गाँव गुरा थाना जगराओं	जेल में 01.10.1914	बिस्तूपुर 24 परगना
125	होशियार सिंह/ इन्द्र सिंह	जट्ट सिख गाँव कालर थाना जगराओं	जेल में 18.10.1914	गार्डन रीच
126	केहर सिंह/ गुरदित सिंह	जट्ट सिख गाँव अचरवाल थाना रायेकोट	जेल में 30.09.1916	बज बज
127	हीरा सिंह/ चंदा सिंह	जट्ट सिख गाँव नाटा थाना लुधियाना	जेल में 20.09.1914	बज बज
128	प्रताप सिंह/ जगत सिंह	जट्ट सिख गाँव नत्थुवाल थाना रायेकोट	जेल में 01.10.1914	बज बज
129	पाला सिंह/	जट्ट सिख	जेल में	बज बज

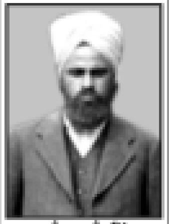

भाई पूर्ण सिंह

	शाह चन्द	गाँव लोहारा थाना लुधियाना	29.09.1914		
130	प्रेम सिंह/ निहाल सिंह	जट्ट सिख गाँव जवद्दी थाना लुधियाना	जेल में 30.09.1914	बज बज	
131	मल्ल सिंह/ नत्था सिंह	जट्ट सिख गाँव अचरवाल थाना रायेकोट	जेल में 02.10.1914	बेहाला	
132	काका सिंह/ हरी सिंह	जट्ट सिख गाँव डाबा थाना लुधियाना	जेल में 10.10.1914	बेहाला	
133	पाखर सिंह/ राम सिंह	जट्ट सिख गाँव पंडोरी थाना दाखा	जेल में 12.10.1914	बांकुडा	
134	नत्था सिंह/ सुध सिंह	छींबा सिख गाँव बोपारा थाना रायेकोट	जेल में 12.10.1914	बांकुडा	
135	जाती सिंह/ भाग सिंह	जट्ट सिख गाँव बोपारा	जेल में 12.10.1914 थाना रायेकोट	बांकुडा	दांये कंधे पर गोली का जख्म
136	मल्ल सिंह/ सुंदर सिंह	जट्ट सिख गाँव बोपारा थाना रायेकोट	जेल में 30.09.1914	बज बज	बांयी पिंडली पर जख्म
137	तारा सिंह/ काहन सिंह	जट्ट सिख गाँव आलुणी मियाणी, थाना खन्ना	जेल में 12.10.1914	बांकुडा	
138	पाल सिंह/ हीरा सिंह	जट्ट सिख गाँव रूमी थाना जगराओं	जेल में 03.10.1914	बज बज	
139	अमीर मुहम्मद/ खान गुल मुहम्मद	पठान लुधियाना मोहल्ला ढोलेवाल लुधियाना	जेल में 02.10.1914	बज बज	

अमीर मुहम्मद

(नोटः अमीर मुहम्मदः सरकार की नजरों में यह बाबा गुरदित सिंह और स. दलजीत सिंह से अतिरिक्त इस मुहिम का तीसरा प्रमुख आगू था। इनके पड़पोत्र नजीर से प्राप्त एक समकाली दस्तावेज़ अनुसार इनकी जूह-बुंदी 27.12.1919 तक जारी रखी गई थी, उनकी फोटो भी अज़ीज नजीर की ही भेजी हुई है। बाद में जाकर यह सिंगापुर जा बसे थे, जहाँ

पर इनका कारोबार करोड़ों में था, और वहां से यह दोनों दुर्लभ दस्तावेज़ प्राप्त हुए हैं – लेखक

140	मस्तान सिंह/ काका सिंह	जट्ट सिख गाँव दौधर थाना रायेकोट	जेल में 24.10.1914	लुधियाना
141	अर्जन सिंह/ राम सिंह	सिख गाँव तारीया	जेल में 20.10.1974	बज बज

फरीदकोट रियासत

142	नरैण सिंह/ नत्था सिंह	जट्ट सिख गाँव गुनीयाणा थाना निऊजावाला	जेल में 06.10.1914	झिंजरीया पुल
143	साजाद सिंह/ गंडा सिंह	जट्ट सिख गाँव अबलू थाना कोटकपुरा	जेल में 10.10.1914	बेहाला 24 परगना

अंबाला

144	केहर सिंह/ सिबू सिंह	जट्ट सिख गाँव कतो थाना मबारकपुर	जेल में 11.10.1914	हावडा-आपता
145	बदन सिंह/ हरमेल सिंह	जट्ट सिख गाँव सलामतपुर थाना खरड़	जेल में 01.10.1914	मटीयाबुर्ज
146	काबल सिंह/ मंगल सिंह	जट्ट सिख गाँव सलामतपुर थाना खरड़	जेल में 12.10.1914	बांकुडा
147	नंद सिंह/ काका सिंह	जट्ट सिख गाँव सलामतपुर थाना खरड़	जेल में 01.10.1914	बिस्तूपुर
148	हाकिम सिंह/ लाल सिंह	जट्ट सिख गाँव ननबेरीया थाना खरड़	जेल में 12.10.1914	बांकुडा
149	करीम/ शादी खान	मुस्लमान गाँव धानेर थाना पदावर	जेल में 28.09.1914	बज बज
150	मंगल सिंह/ भूपा सिंह	सिख गाँव दधारपुर थाना खरड़	जेल में 31.10.1914	संदेशखाली

जालन्धर

151	काबल सिंह/ गुरदित सिंह	जट्ट सिख गाँव हरीपुरा थाना आदमपुर	जेल में 12.10.1914	बांकुडा	
152	ऊधम सिंह/ सूबा सिंह	जट्ट सिख गाँव खुर्दपुर थाना आदमपुर	जेल में 02.10.1914	हावड़ा	
153	दलीप सिंह उर्फ सरूप सिंह/ बूटा सिंह	जट्ट सिख गाँव खुर्दपुर थाना आदमपुर	जेल में 12.10.1914	बांकुडा	
154	मेला सिंह/ अछर सिंह	जट्ट सिख गाँव खुर्दपुर थाना आदमपुर	जेल में 01.10.1914	बज बज	
155	कर्म सिंह/ सुंदर सिंह	जट्ट सिख गाँव रूड़का कलां थाना फिलौर	जेल में 29.09.1914	बज बज	
156	इन्द्र सिंह/ हमीर सिंह	जट्ट सिख गाँव बाजों थाना राहों	जेल में 30.03.1914	बज बज	
157	बीर सिंह/ भाग सिंह	जट्ट सिख गाँव कोलार थाना नकोदर	जेल में 06.10.1914	बेहाला	
158	बेअंत सिंह/ पाल सिंह	राजपूत सिख गाँव शालू, थाना राहों	जेल में 29.09.1914	बज बज	
159	विधी सिंह/ हाकिम सिंह	जट्ट सिख गाँव खुर्दपुर थाना आदमपुर	जेल में 04.10.1914	बज बज	
160	गुरदित सिंह/ काला सिंह	जट्ट सिख गाँव कोहाड थाना नकोदर	जेल में 30.09.1914	बज बज	बांए मच्छले पर जख्म
161	भगवान सिंह उर्फ भान सिंह/ नत्था सिंह	जट्ट सिख गाँव रापुर थाना बंगा	जेल में 08.10.1914	मेदनापुर	
162	करतार सिंह/ हरदित सिंह	जट्ट सिख गाँव मूसापुर	जेल में 30.09.1914	बज बज	

		थाना बंगा			
163	दलीप सिंह/ गैला सिंह	जट्ट सिख गाँव बंडाला थाना नूरमहल	जेल में 07.10.1914	आरामबाग	
164	सुंदर सिंह/ जवाहर सिंह	जट्ट सिख गाँव काले थाना फिलौर	जेल में 30.09.1914	बज बज	

लाहौर

165	नंद सिंह उर्फ गुरबख्श सिंह/ जैवंत सिंह	सुनियार गाँव सुर सिंह थाना खालडा	जेल में 01.10.1914	बिष्टूपुर 24 परगना	
166	डोगर सिंह/ जीवन सिंह	जट्ट सिख गाँव गुमानके थाना भाई फेरु	जेल में 30.09.1914	बज बज	
167	भान सिंह/ मीहां सिंह	जट्ट सिख, गाँव कोटराये बुड्डा थाना वलटोरा	जेल में 01.10.1914	मटीयाबुर्ज	
168	मैहण सिंह/ निहाल सिंह	जट्ट सिख गाँव परहाना थाना खालडा	जेल में 12.10.1914	बांकुडा	
169	हरनाम सिंह/ रूड़ सिंह	जट्ट सिख गाँव और थाना खालडा	जेल में 08.10.1914	मेदनापुर	
170	नरैण सिंह/ बलाका सिंह	जट्ट सिख गाँव गोरा सिंह थाना खालडा	जेल में 05.10.1914	बिस्तूपुर 24 परगना	
171	नरैण सिंह/ वधावा सिंह	जट्ट सिख गाँव तौनेर धुन थाना खालडा	जेल में 30.09.1914	बज बज	
172	सुच्चा सिंह/ आला सिंह	जट्ट सिख गाँव गौर सिंह थाना खालडा	जेल में 29.09.1914	बज बज	दाएं कान के पीछे कट
173	भगत सिंह/ गुरदित्ता	ब्राह्मण सिख गाँव पूनीआ थाना वलटोहा	जेल में 12.10.1914	बांकुडा	
174	सुरैन सिंह/ कुरान सिंह	जट्ट सिख गाँव रदाना	जेल में 06.10.1914	बेहाला	

		थाना खालडा			
175	बघेल सिंह/ घुल्ला सिंह	जट्ट सिख गाँव पूनीआ थाना वलटोहा	जेल में 01.10.1914	बांकुडा	
176	इन्द्र सिंह/ वसावा सिंह	जट्ट सिख गाँव भिखीविंड थाना खालडा	जेल में 02.10.1914	बज बज	
177	सुंदर सिंह/ हाकिम सिंह	जट्ट सिख गाँव इच्छोगिल थाना झामके	जेल में 02.10.1914	बज बज	जोगिन्द्र सिंह करके भेजा
178	अमर सिंह/ खजान सिंह	सिधू सिख गाँव शानपुरा थाना खालडा	जेल में 02.10.1914	चंपाडंगा हुगली	
179	वीर सिंह/ ज्वाला सिंह	जट्ट सिख गाँव करहाट थाना बरकी	जेल में 05.10.1914		
180	जगत सिंह उर्फ जोगे सिंह/ अतर सिंह	सिख गाँव बग्गापुर थाना पट्टी	जेल में 29.10.1914	बिस्तूपुर 24 परगना	

गुरदासपुर

181	किशन सिंह/ हेम सिंह	जट्ट सिख गाँव ढल्ला थाना बटाला	जेल में 30.09.1914	बज बज	
182	सुंदर सिंह/ उर्फ प्रोः जे.टी. मनसुखानी/ तोती राम	जट्ट सिख मनसुखानी लेन हैदराबाद(सिंध)	जेल में 01.10.1914	बज बज	बाएं कान के

जींद रियासत

190	हरदित्त सिंह/ गुलाब सिंह	जट्ट सिख गाँव टांडे, थाना बलेवाल जींद	जेल में 02.10.1914	चंपाडंगा हुगली	

कपूरथला रियासत

191	राम सिंह/ अतर सिंह	जट्ट सिख गाँव ताजपुर	जेल में 01.10.1914	बज बज	

		थाना सुल्तानपुर		
192	पूर्ण सिंह/ राम सिंह	जट्ट सिख गाँव सिधां थाना कपूरथला	जेल में 02.10.1914	चंपाडंगा हुगली

लायलपुर

193	बेला सिंह/ अमर सिंह	जट्ट सिख गाँव कक्कड़ थाना समुन्द्री लायलपुर	जेल में 30.09.1914	बज बज

नाभा रियासत

194	नाभकमल सिंह/ अलवाल सिंह	जट्ट सिख गाँव भैणी महाराजकी, थाना धनोला, नाभा	जेल में 30.09.1914	बज बज
195	सुरजन सिंह/ राजा सिंह	जट्ट सिख गाँव बुर्ज गिल थाना फूल नाभा	जेल में 02.10.1914	चंपाडंगा हुगली
196	सुंदर सिंह उर्फ निहाल सिंह/ गुलाब सिंह	सिख गाँव तावला थाना धनोला		
197	प्रताप सिंह उर्फ बागी सिंह उर्फ बघेल सिंह/ गुलाब सिंह उर्फ सुंदर सिंह	सिख गाँव तावला थाना धनौला	जेल में	मटीयाबुर्ज

रावलपिंडी

198	नानक सिंह/ जैमल सिंह	खत्री सिख गाँव और थाना कहूटा	जेल में 03.10.1914	

सियालकोट

199	महिंगा सिंह/ जैमल सिंह	लुबाना सिख गाँव डिंगा थाना सिधेश्वरी मियाणी	जेल में 03.10.1914	

शाहपुर

200	बिशन दास/ बुलाकी दास	अरोडा खत्री गाँव चौकी थाना खुशहाल	जेल में 30.09.1914	बज बज

कलसीयां रियासत

201	इन्द्र सिंह उर्फ तरलोचन सिंह/ ईशर सिंह उर्फ प्रताप सिंह	जट्ट सिख गाँव और थाना चड़िक	जेल में 01.10.1914	बज बज

नोटः मेरे सहयोगी डॉ. गुरदेव सिंह सिधु की खोज अनुसार इन्द्र सिंह 1917 में सरकारी बंदिश से मुक्त होकर चूहड़चक्क के खालसा स्कूल में अध्यापक लग गया। ...बाद में जाकर वह कविताएं लिखता और प्रचारता रहा, जो 'चल लैक्चर सुनीये' के सिरलेख वाली पुस्तक के रूप में 1922 दौरान प्रकाशित भी हुईं थी। इसके बाद वह विदेश चला गया था। – लेखक

202	अमरीक सिंह/ राम सिंह	गैले सिख गाँव जंडियाना थाना चडिक	जेल में 30.09.1914	बज बज
203	राम सिंह/ छोटू सिंह	जट्ट सिख गाँव दापर थाना डेराबस्सी	जेल में 06.10.1914	बागनगर

मैडीकल कालज हस्पताल में दाखिल सिखों की सूची

क्रम	नाम/पिता का नाम	जाति	गाँव	थाना	जिला
204	बहादर सिंह/चंदा सिंह	जट्ट	गिलवाली	डेरा बाबा नानक	गुरदासपुर
205	पीर बख्श/खेडा	जट्ट	नूरमहल	नूरमहल	जालन्धर
206	हजारा सिंह/जीवन सिंह	राजपूत	पांछटा	फगवाड़ा	कपूरथला रियासत
207	इन्द्र सिंह/सुंदर सिंह	जट्ट	तलवंडी	वलटेहा	लाहौर
208	रला सिंह/वीर सिंह	जट्ट	ढपई	दाखा	लुधियाना
209	प्रभा सिंह/करतार सिंह	राजपूत	बहादरपुर	बस्सी	पटियाला
210	मंगल सिंह/तेजा सिंह	जट्ट	लख्मीपुर	रूपा	अंबाला
211	बादल सिंह/देवा सिंह	जट्ट	होशियारपुर	खरड़	अंबाला

यात्रियों का क्या बना

गाड़ी द्वारा पंजाब गए	61
शहीद हुए	21
गिरफ्तार	28
मफरूर	321

परिशिष्टः

बाबा गुरदित्त सिंह

1932 की गदर डायरेक्टरी के अनुसार वह 1921 तक भूमिगत रहे और 15 नवम्बर 1921 को ननकाना साहिब (गुरु नानक जी के जन्म दिवस) पर गिरफ्तारी दी; बाद में उनको फरवरी 1922 तक नजरबन्द रखा गया। रिहा होकर उन्होंने विदेशी माल के बॉयकाट, सरकार से असहयोग और कोमागाटा मारु कांड के बारे में लिखना आरम्भ किया, जिसके प्रकाशन पर पाबन्दी लगा दी गई। 6 मार्च 1922 को अमृतसर में एक विद्रोही तकरीर करने के अपराध में पांच साल की कैद सुनाई गई। मई 1925 में अपनी जेलबन्दी के दौरान ही उन्होंने कोमागाटा मारु जहाज से उनकी जब्त की गई सम्पत्ति के मुआवजे के लिए कानूनी कार्यवाही की; जनवरी 1926 में रिहाई के बाद मंगल सिंह बी.ए. के नेतृत्व वाली जुझारू सिख पार्टी में शामिल हुए और अप्रैल में सेंट्रल सिख लीग के छठे अधिवेशन की प्रधानगी की; मई 1927 में अकाली दल के प्रधान चुने गए; फिर वह कलकत्ता में बस गए; 1927 दौरान 'किरती' पत्रिका के लिए उगाही की और अक्टूबर माह में वह बाहरी इंकलाबियों से सम्पर्क साधते रहे। उसके बाद वह कई 'आशंकनीय' सरगर्मियों के कारण पकड़े जाते रहे। 19 अक्टूबर 1929 को लाहौर में 'ऑल पंजाब स्टूडेंटस कॉन्फ्रेंस' में बोलते हुए उन्होंने नौजवानों को देश के लिए मर-मिटने को तैयार रहने को कहा। 27-28 दिसम्बर, ऑल इंडिया कांग्रेस के लाहौर सेशन के मौके पर उन्होंने वायसराय की गाड़ी वाले बम धमाके की निंदा वाले प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया। 15 अप्रैल 1930 को जवाहर लाल नेहरु की गिरफ्तारी के विरूद्ध गड़बड़ फैलाने के दोष में पकड़ लिए गए और छः महीने कैद काटी। पंजाब पोलिटेक्निक कॉन्फ्रेंस के 26-27 सितम्बर 1931 के झंरा में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की...।

बाबा जी को 1932 में कलकत्ता में नजरबन्द रखा गया। आप आजादी के लिए 1947 तक अंग्रेजी सरकार से टक्कर लेते रहे। जनवरी 1952 को पंडित जवाहर लाल नेहरु से बज बज शहीदी स्मारक का उद्घाटन करवाया। आप 24 जुलाई 1954 को स्वर्गवास हो गए। (भाई राम सिंह मजीठा की पुस्तक, "अमृतसर के जुझारू योद्धे", पृष्ठ 179 से धन्यवाद सहित।)